लोक-सभा

बुधवार,
१७ अगस्त, १९५५

वाद-विवाद

1st Lok Sabha

(भाग १— प्रश्नोत्तर)

खंड ४, १९५५

(२५ जूलाई से २० अगस्त, १९५५)

दशम सत्र, १९५५

(खण्ड ४ में अंक १ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

842 LSD

विषय-सूची

	स्तम्भ
अंक १—सोमवार, २५ जुलाई, १९५५	
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	१
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १ से ४, ६ से १५, १७ से २२, २४, २५, २७, २९ से ३३, ३६ और ३७	१–४५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५, १६, २३, २६, २८, ३४, ३५ और ३८ से ५२ .	४५–४८
अतारांकित प्रश्न संख्या १ से १४ .	१८–६६
अंक २—मंगलवार, २६ जुलाई, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५३, ५५, ५६, ५८, ७३, ५९ से ६८, ७०, ७२ से ७५, ७८ और ८० . .	६७–१११
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५४, ५७, ६९, ७१, ७६, ७७, ७९ और ८१ से११७	१११–१३५
अतारांकित प्रश्न संख्या १५ से ४२, ४४ और ४५	१३५–१५२
अंक ३—बुधवार, २७ जुलाई, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ११८ से १२५, १२७ से १२९, १३१ से १३४, १३६ से १३८, १४१, १४२, १४४ से १५५ .	१५३–१९७
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ .	१९७-२०३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १३०, १३५, १३९, १४०, १४३, १५६ से १६३	२०३–२१०
अतारांकित प्रश्न संख्या ४६ से ७३	२१०–२२४
अंक ४—गुरुवार, २८ जुलाई, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १६४ से १६९, २०२, १७० से १७२, १७४ से १७७, १७९ से १८१, १८३ से १८५, १८७, १८८ और १९० से १९२	२२५–२६६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १७८, १८२, १८६, १८९, १९३ से २०१, २०३ से २१६	२६६–२८२
अतारांकित प्रश्न संख्या ७४ से ९१ . . .	२८२-२९२

	स्तम्भ
अंक ५—शुक्रवार, २९ जुलाई, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २१७ से २२१, २२३ से २२७, २२९ से २४०, २४२, २४५, २४८ से २५४ .	२९३ ३४४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २२२, २२८, २४१, २४३, २४४, २४६, २४७, २५५ से २७३ . .	३४४–३५८
अतारांकित प्रश्न संख्या ९२ से १२५	३५८ -३८२
अंक ६—सोमवार, १ अगस्त, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २७५, २७७, २८० से २८२, २८५ से २९२, २९५ से २९९, ३०३ से ३०५, ३०७, ३०९, ३११, ३१२, ३१४, २७६, २८३, २९३, ३०६, ३१३ और ३०८ .	३८३ -४२१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २७८, २८४, २९४, ३००, ३०१ और ३१० .	४२१–४२४
अतारांकित प्रश्न संख्या १२६ से १४७ . .	४२४–४३६
अंक ७—मंगलवार, २ अगस्त, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३१५ से ३१७, ३१९, ३२०, ३२२ से ३३२, ३३४, ३३५, ३३७, ३३८, ३४०, ३४२, ३४४ से ३४९, ३५१, ३५२ और ३५४ .	४३७ ४८१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३२१, ३३३, ३३६, ३३९, ३४१, ३४८, ३५३, ३५५ और ३५६ . .	४८१ ४८५
अतारांकित प्रश्न संख्या १४८ से १६७ .	४८५ -४८९
अंक ८—बुधवार, ३ अगस्त, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३५७ से ३५९, ३६४ से ३६८, ३७० से ३७५, ३७७, ३७९ से ३८४, ३८६ से ३९२, ३९५, ३९८ से ४०० और ४०२ .	४८९ ५४५
अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ .	५४५ ५४९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३६०, ३६१, ३६३, ३६९, ३७६, ३७८, ३८५, ३९३, ३९४, ३९६, ३९७, ४०३ से ४११ और ४१३ से ४१८ .	५४९ ५६२
अतारांकित प्रश्न संख्या १६८ से १९८	५६२ ५८४

अंक ९—गुरुवार, ४ अगस्त १९५५ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४१९, ४२०, ४२४ से ४२९, ४३१, ४३२, ४३४ से ४३७, ४४०, ४४३, ४४५, ४४७, ४५० से ४५६, ४५९ से ४६१ और ४२३ ५८५-६२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४२१, ४३०, ४३३, ४३८, ४३९, ४४१, ४४२ ४४४ ४४९ और ४५७ . . ६२५ ६३१

अतारांकित प्रश्न संख्या १९९ से २१४ ६३१-६४२

अंक १०—शुक्रवार, ५ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४६३, ४६२, ४६४ से ४६७, ४९३, ४६९, ४६८, ४७१ से ४७५, ४७७ से ४८१, ४८४ से ४८६ और ४८८ से ४९२ ६४३ ६८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४७०, ४७६, ४८३, ४८७, ४९४ से ४९६, ४९८ और ५०० से ५०२ . . ६८९ ६९५

अतारांकित प्रश्न संख्या २१५ से २२८ ६९५ ७०४

अंक ११—सोमवार, ८ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०४ से ५०६, ५०८ से ५१४, ५१६, ५१९ से ५२२, ५२६ से ५३१, ५३६ से ५३८, ५४०, ५४२, ५४४ से ५४६ और ५४८ से ५५० . ७०५ ७४९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०३, ५०७, ५१५, ५१७, ५१८, ५२४, ५२५,५३२ से ५३५, ५३९, ५४३, ५४७ और ५५१ से ५६० ७५०-७६३

अतारांकित प्रश्न संख्या २२९ से २५७ . . ७६३-७८०

अंक १२—मंगलवार, ९ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६१, ५६२, ५६४ से ५६७, ५६९, ५७०, ५७३ से ५७६, ५७८, ५८१, ५८२, ५८४ से ५९०, ५९७, ६००, ५६८,५९२ ५६३, ५९१ और ५९३ . ७८१—८२३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . ८२४—८२६

	स्तम्भ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५७१, ५७२, ५७७, ५७९, ५८०, ५८३, ५९४, ५९५, ५९६, ५९८ और ५९९	८२६–८३२
अतारांकित प्रश्न संख्या २५८ से २८३	८३२–८४८
अंक १३—बुधवार, १० अगस्त, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६०१ से ६०३, ६०५ से ६१५, ६१८, ६२० से ६२२, ६२६, ६२७, ६३१ से ६३३, ६३५ से ६३७, ६३९ से ६४२ और ६४४ . . .	८४९–८९२
प्रश्नों के लिखित उत्तर —	
तारांकित प्रश्न संख्या ६०४, ६१६, ६१७, ६१९, ६२३ से ६२५, ६२९, ६३०, ६३४, ६३८, ६४३, ६४५ से ६५७, ६५९ और ६६०.	८९२–९०६
अतारांकित प्रश्न संख्या २८४ से ३०३ .	९०६–९१८
अंक १४—शुक्रवार, १२ अगस्त, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६६१ से ६६७, ६६९, ६७२ से ६७८, ६८०, ६८२ से ६८८ और ६९० से ६९३ . . .	९१९ ९६०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६६८, ६७०, ६७१, ६७९, ६८१, ६८९ और ६९४ से ७०२	९६१–९६९
अतारांकित प्रश्न संख्या ३०५ से ३०८, ३१० से ३१२ और ३१४ से ३४३ .	९६९–९९४
अंक १५—शनिवार, १३ अगस्त, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७०३, ७०४, ७१०, ७०५ से ७०७, ७११, ७१३, ७१५ से ७१७, ७१९, ७२२, ७२४, ७२५, ७३०, ७३१, ७३४, ७३५, ७३७ से ७३९, ७०९, ७२९ और ७३२	९९५–१०३२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . .	१०३२ १०३५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७०८, ७१२, ७१४, ७१७, ७१८, ७२०, ७२१, ७२३, ७२६ से ७२८, ७३३, ७३६ ७४०, २७९ और ३०२ .	१०३५–१०४३
अतारांकित प्रश्न संख्या ३४४ से ३५६ .	१०४३–१०५०

अंक १६—मंगलवार, १६ अगस्त, १९५५ स्तम्भ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४१, ७४५, ७४६, ७४९, ७५३ से ७५५, ७५७ से ७५९, ७६२, ७६७, ७६८, ७७०, ७७२ से ७७४, ७७६ से ७८०, ७८९, ७८२, ७८४ से ७८६, ७८८, ३१८, ४९७ और ७६४. १०५१-१०९६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . . . १०९७–११००

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४२ से ७४४, ७४७, ७४८, ७५० से ७५२, ७५६, ७६०, ७६१, ७६३, ७६५, ७६६, ७६९, ७७१, ७७५, ७८१, ७८३, ७८७ और ३४३ . . . ११००–१११३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३५७ से ३८१ १११३–११२८

अंक १७—बुधवार, १७ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७९० से ७९२, ७९६, ७९७, ७९९ से ८०९, ८११, ८१२, ८१४ से ८१६, ८१८, ८२२, ८२३ और ८२५ से ८२९ ११२९–११७३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७९३ से ९९५, ७९८, ८१०, ८१३, ८१७, ८१९ से ८२१, ८२४, ८३० से ८५१, ३६२ और ४०१ ११७३–११९३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३८२ से ४३५ ११९३–१२२८

अंक १८—गुरुवार, १८ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८५३, ८५४, ८५७ से ८६५, ८६९, ८७०, ८७२, ८७३, ८७६, ८७७, ८७९, ८८१, ८८२, ८८४, ८८८, ८५५, ८७१, ८८०, ८८७ और ८७५ . १२२९-१२७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८५२, ८५६, ८६६ से ८६८, ८७४, ८७८, ८८३, ८८५ और ८८६ . . १२७६–१२८२

अतारांकित प्रश्न संख्या ४३६ से ४५१ . १२८२–१२९२

अंक १९—शुक्रवार, १९ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८८९, ८९३, ८९८, ९००, ९०२ से ९०४, ९०६ से ९१०, ९१२, ९१३, ९१६, ९१७, ९२०, ९२३, ९२४, ९२६ से ९२८, ९३०, ४८२, ८९९, ८९४, ८९७, ८९५, ९०५ और ९१४ . . १२९३–१३३६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ८९० से ८९२, ८९६, ९०१, ९११, ९१८, ९१९, ९२१, ९२२, ९२५ और ९२९ १३३६–१३४५

अतारांकित प्रश्न सख्या ४५२ से ४७२ १३४५ १३५८

अंक २०——शनिवार, २० अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या ९३३ से ९३५, ९४०, ९४१, ९४३ से ९४५, ९४७, ९४८, ९५० से ९५३, ९५७, ९५९ से ९६२, ९६८, ९७०, ९७१, ९७४, ९७५, ९३१, ९३८, ९३६, ९४९, ९५४, ९६५ और ९७२ . १३५९ -१४०३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ १४०३–१४०८

प्रश्नों के लिखित उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या ९३२, ९३७, ९३९, ९४२, ९४६, ९५५, ९५८, ९६३, ९६४, ९६६, ९६७, ९६९ और ९७३ . . . . १४०८–१४१४

अतारांकित प्रश्न संख्या ४७३ से ५१३ . . . १४१४–१४३८

समेकित विषय सूची . . . . . .

लोक-सभा

बुधवार, १७ अगस्त, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

चलती गाड़ी में डाके

*७९०. **चौधरी मुहम्मद शफ़ी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी से ३१ जुलाई, १९५५ तक चलती गाड़ियों में कितने डाके पड़े ; और

(ख) उक्त समय में सबसे अधिक डाके किस रेलवे खण्ड में पड़े ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) छ ।

(ख) उत्तर-पूर्वी रेलवे ।

श्री डाभी : क्या मैं प्रत्येक खण्ड के आंकड़े जान सकता हूं ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि ये जो डाके पड़े हैं तो इन में कितने आदमी मारे गये या घायल हुए ?

श्री शाहनवाज़ खां : पूर्वी रेलवे में दो डाके पड़े । श्रीमान्, यह एक लम्बा विवरण है और यदि आवश्यक हो तो मैं इसे पढ़ दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : यह आवश्यक नहीं है ।

श्री भागवत झा आज़ाद : ऐसे मामलों का प्रतिशत क्या है जिन में अपराधियों को पकड़ लिया गया और दण्ड दिया गया ?

अध्यक्ष महोदय : इस विषय में मैं एक सांविधानिक स्थिति को स्पष्ट करना चाहता हूं । ऐसे मामलों में माननीय सदस्यों को स्मरण रखना चाहिये कि डाके आदि की रोकथाम करना रेलवे का दायित्व नहीं है । डाके तो डाकुओं के कारण पड़ते हैं या जिस राज्य में होकर रेलगाड़ी जा रही है उसकी असाधारण स्थिति के कारण पड़ते हैं, और वहां विधि तथा व्यवस्था रखना उस राज्य का काम है अतः अधिक विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है और प्रश्न केवल यह जानने के लिये किये जाने चाहियें कि देश के विभिन्न भागों में स्थिति कैसी है तथा डाकुओं से यात्रियों की रक्षा हेतु रेलवे ने क्या प्रबन्ध किया है । प्रत्येक मार्ग पर विधि तथा व्यवस्था बनाये रखना उनका काम नहीं है । मेरे विचार से तो यही सांविधानिक स्थिति है और मैं स्वयं जानना चाहता हूं कि यही स्थिति है या नहीं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : आपका कथन सत्य है ।

अध्यक्ष महोदय : तो फिर ऐसे विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है ।

श्री भागवत झा आज़ाद : सरकार द्वारा इतना खर्च करके जो रेलवे पुलिस नियुक्त की गई है उसका क्या प्रयोजन है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को ज्ञात होगा कि चलती गाड़ी में चोरी हो जाना अथवा रेलवे अहाते में चोरी हो जाना डाके से एक पृथक् विषय है । डाकू प्रायः गाड़ियों में

यात्रा नहीं करते और रेलवे पुलिस का काम यह देखना नहीं है कि यात्रियों में कोई डाकू तो नहीं आ गया है। अब हम अगला प्रश्न लेंगे।

श्री पुन्नूस : १९५४ के आंकड़े क्या हैं और इस वर्ष के आंकड़ों की तुलना में वे कैसे हैं? मेरे विचार में ये आंकड़े बताये जा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि उन के पास आंकड़े हों तो वे बता सकते हैं, किन्तु मैं इस पर और किसी प्रश्न की अनुमति नहीं देना चाहता।

श्री शाहनवाज़ खां : १ जनवरी, १९५४ से ३१ जुलाई, १९५४ तक ८ डाके पड़े और १९५५ में इसी अवधि में ६ डाके पड़े।

चौधरी मुहम्मद शफी : श्रीमान्, एक प्रश्न और है। इन डकैतियों को रोकने के लिये रेलवे डिपार्टमेंट ने क्या इंतजाम किया है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दे सकता।

तिलहन पेरने का उद्योग

*७९१. **श्री डाभी :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिलहन पेरने के उद्योग की जांच समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री डाभी : इस प्रतिवेदन को कब तक प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इसमें अधिक समय नहीं लगेगा। अक्टूबर-नवम्बर तक वह प्रस्तुत कर दिया जायगा।

श्री डाभी : मैं जानना चाहता हूं कि योजना आयोग की सिफारिश के अनुसार क्या सरकार तेल की मिलों पर कोई उपकर लगाना चाहती है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस समिति द्वारा इस बात की भी जांच की जायगी।

तिब्बत में भारतीय डाकघर

*७९२. **श्री इब्राहीम :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिब्बतस्थित भारतीय डाक घर चीनी गणतंत्र के डाकीय प्रशासन को हस्तांतरित कर दिये गये ; और

(ख) यदि हां, तो तिब्बत और भारत के बीच चीनी अधिकारियों द्वारा लगाये गये डाक प्रतिबन्धों से भारतीय व्यापारियों को कितनी हानि हुई है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) ११ अप्रैल, १९५५ को तिब्बतस्थित भारतीय डाकघरों को चीनी गणतंत्र को हस्तांतरित करने के साथ मनीआर्डर तथा वी० पी० सेवायें बन्द कर दी गईं, और तिब्बत में रहने वाले कुछ विशेष व्यक्तियों को पार्सल प्राप्त करने की जो सुविधा थी वह भी रुक गई। डाकघर बचत बैंक की सुविधायें भी वापस ली गई हैं। इन सुविधाओं के बन्द हो जाने से देश के व्यापारियों को कितनी हानि हुई है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता किन्तु इस विषय में कोई अभ्यावेदन नहीं आया है।

श्री इब्राहीम : मैं जानना चाहता हूं कि क्या चीनी सरकार द्वारा लगाये गये ये प्रतिबन्ध एकपक्षीय हैं और यदि हां, तो क्यों ?

श्री राज बहादुर : यह तो दोनों देशों के पारस्परिक समझौते के अनुसार किया गया

है और इसीलिये ये डाकघर हस्तांतरित कर दिये गये ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि जिस समय यह डाक, तार की व्यवस्थाएं चीन की सरकार के सुपुर्द की गई थीं, उस समय इस तरह का कोई मुआहिदा हुआ था कि कोई नये प्रतिबन्ध नहीं लगाये जायेंगे और क्या इस बारे में अभी भी लिखा-पढ़ी की जा रही है कि कोई प्रतिबन्ध न लगाया जाय ?

श्री राज बहादुर : हमारे पास तीन डाकघर थे: (ग्यांत्सी, फारिजोंग और यातुंग) इनके ज़रिये से पार्सल सर्विस तो कुछ हद तक सीमित हो गई थी और इंश्योरेंस सर्विस बिल्कुल नहीं थी । डाक सर्विस थी । यह तीनों डाकघर भारतीय डाक-तार विभाग के अन्तर्गत काम करते थे । अब इन डाकखानों के हस्तांतरित होने के उपरांत यह डाकखाने चाईनीज़ गवर्नमेंट के अधीन काम करते हैं और इसलिये इन मुआहिदों का अब कोई सवाल पैदा नहीं होता ।

गुड़ और खांडसारी

*७९६. **श्री झूलन सिंह** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गुड़ के निर्यात पर मुक्त रूप से अनुज्ञप्तियां देने से १९५४ में देश के गुड़ और खांडसारी के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : गुड़ के निर्यात पर मुक्त रूप से अनुज्ञप्तियां १९५४ में नहीं, बल्कि फरवरी १९५५ में दी गईं । इससे गुड़ या खांडसारी के देशी मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि विदेशी मांग कम होने से निर्यात बहुत कम हुआ है ।

श्री झूलन सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन मुक्त अनुज्ञप्तियों से बाजार में अधिक एकत्र किये गये गुड़ को निकालने में सहायता मिली ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : श्रीमान्, मैं प्रश्न को नहीं समझ पाया ।

अध्यक्ष महोदय : क्या इससे अधिक एकत्र गुड़ को निकालने में सहायती मिली है?

श्री ए० पी० जैन : किस से ?

अध्यक्ष महोदय : निर्यात से ।

श्री झूलन सिंह : मैंने कहा था "मुक्त अनुज्ञप्तियों" से ।

श्री ए० पी० जैन : निर्यात तो अपेक्षा कृत कम हुआ है । वह केवल १५,००० टन था । इससे आन्तरिक व्यापार पर कुछ प्रभाव अवश्य पड़ा किन्तु कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा ।

गन्ने की कृषि की भूमि

*७९७. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछली ऋतु में उत्तर प्रदेश और बिहार के चीनी के कारखानों में पेरे गये गन्ने की मात्रा पिछले सब वर्षों की मात्रा से अधिक थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह वृद्धि इसलिये है कि पिछले वर्ष की तुलना में गत वर्ष गन्ने की खेती अधिक भूमि पर की गई ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां, उत्तर प्रदेश के कारखानों में ।

(ख) यह वृद्धि इन कारणों से हुई है : (१) गन्ने की खेती अधिक भूमि पर की गई ;

(२) ऋतु अनुकूल होने तथा विकास कार्य में वृद्धि होने के कारण उत्पादन अधिक हुआ ; और

(३) गुड़ का भाव गिर जाने के कारण गुड़ बनाने के बजाय गन्ने को चीनी के कारखानों में अधिक भेजा गया ।

श्री विश्वनाथ राय : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस वर्ष खांड का आयात करना चाहती है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : हमने सरकारी तौर पर कभी खांड आयात नहीं की है इधर कई दिनों से हमारे पास खांड आयात करने के लिये कोई प्रार्थना-पत्र नहीं आया है और अब इस आयात की कोई उम्मीद नहीं ।

श्री विश्वनाथ राय : मैं जानना चाहता हूं कि पिछले वर्ष की तुलना में गन्ने की वृद्धि प्रति एकड़ कितने प्रतिशत हुई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : औसतन २४·६ प्रतिशत है ।

श्री विश्वनाथ राय : गन्ने की इस वृद्धि के कारण क्या हमारा देश चीनी में आत्म-निर्भर हो गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां । मैं भी ऐसा ही समझता हूं ।

देशी दवाइयां

*७९९. **श्री भागवत झा आजाद :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार यूनानी और आयु-र्वेदिक प्रणाली की देशी दवाइयों को संरक्षण प्रदान करना चाहती है ; और

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में कोई योजना बनाई है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) जी नहीं ।

श्री भावगत झा आजाद : मैं जानना चाहता हूं कि आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयों को आधुनिक दवाइयों में सम्मिलित करने के लिये क्या सरकार ने अपनी नीति में कोई परि-वर्तन किया है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : यूनानी और आयु-र्वेदिक दवाइयां आधुनिक दवाइयों से भिन्न हैं अतः हम उन्हें कैसे मिला सकते हैं ?

श्री भावगत झा आजाद : क्या यह मंत्रा-लय की राय है या औषधि-विशेषज्ञों की राय है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपने प्रश्न का ध्यान रखें । वे यूनानी और आयु-र्वेदिक दवाइयों को आधुनिक दवाइयों में सम्मिलित करना चाहते हैं, किन्तु यह प्रश्न उनके इस प्रश्न से सर्वथा भिन्न है कि क्या सरकार देशी दवाइयों को प्रोत्साहन दे रही है ।

श्री भावगत झा आजाद : मंत्रालय का इस सम्बन्ध में यह निर्वचन है कि ये प्रणालियां पुरानी हो चुकी हैं और सरकारी कर्मचारियों द्वारा स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत उनका उपयोग नहीं किया जाता । मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय का यही अभिप्राय है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : यदि हम यह समझेंगे कि ये दवाइयां पुरानी हो गईं तो हम उन्हें वह प्रोत्साहन नहीं देंगे जो कि अभी दिया जा रहा है ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या सरकार स्वास्थ्य योजनान्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को यह स्वतन्त्रता देगी कि यदि वे चाहें तो आयुर्वेदिक चिकित्सा भी करा सकें ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : यह एक पृथक् प्रश्न है और इसके लिये पृथक् सूचना दी जानी चाहिये । आज का प्रश्न तो देशी दवाइयों का संरक्षण के सम्बन्ध में था ।

श्री टेक चन्द : शुद्ध देशी औषधियां और दवाइयां उपलब्ध कराने के लिये क्या सरकार कुछ कार्यवाही करना चाहती है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : हम प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री वी० पी० नायर : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास आयुर्वेद तथा अन्य देशी प्रणालियों में अधिक अध्ययन के हेतु कोई योजनायें हैं जिन में एक्सरे, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ, आदि यंत्रों की सहायता भी प्राप्त हो सके जैसी कि एलोपेथी में (डाक्टरी प्रणाली में) उपलब्ध होती हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : इस विशेष पहलू के लिये हम जामनगर की संस्था में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा खोली गई है । यथावश्यकता प्रयत्न कर रहे हैं ।

माल-डिब्बे

*८००. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल १९५४ के पश्चात् से कलकत्ता की तीन फर्मों को माल डिब्बे बनाने का आर्डर दिया गया हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन फर्मों के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक फर्म को कितने माल-डिब्बों के लिये आर्डर दिया गया है ;

(ग) उनमें से क्रमशः छोटी लाइन व बड़ी लाइन के कितने माल-डिब्बे हैं ; और

(घ) उक्त डिब्बे कब तक दिये जायेंगे ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) कलकत्ता की ६ फर्मों को माल डिब्बे बनाने के लिये आर्डर दिये गये हैं, न कि ३ फर्मों को ।

(ख) से (घ). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४२]**

श्री एस० सी० सामन्त : क्या भारतीय राज्य रेलों के एकीकरण के पूर्व जो मिस्त्रीखाने मालगाड़ी के डिब्बे बनाते थे वे ही आज भी बना रहे हैं ?

श्री शाहनवाज खां : मैं निश्चित रुप से तो नहीं कह सकता किन्तु उन मिस्त्रीखानों की संख्या जो कि एकीकरण के पूर्व मालगाड़ी के डिब्बों का निर्माण करते थे, पर्याप्त रूप में बढ़ गई है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या उन मिस्त्रीखानों का, जो कि एकीकरण के पूर्व मालगाड़ी के डिब्बे बनाते थे, का पुनर्निर्माण किया गया है तथा विभिन्न स्थानों की विभिन्न फर्मों को आर्डर देने के बजाय मालगाड़ियों के डिब्बे वहीं बनाये जा रहे हैं ?

श्री शाहनवाज खां : यह एक सामान्य प्रकार का प्रश्न है । यदि माननीय सदस्य किसी विशेष मिस्त्रीखाने का नाम उल्लेख करें तो मैं उन्हें यथार्थ जानकारी दे सकता हूं ।

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या हमने उन फर्मों के आर्डर बन्द कर दिये हैं । आर्डर बन्द करने के बजाय हमने आर्डर बढ़ा दिये हैं । कुल क्षमता जो कि ७,००० डिब्बों की थी, बढ़ा कर १५,००० डिब्बों की कर दी गई है । अन्य फर्में भी डिब्बों का निर्माण करने लगी हैं । हम इन फर्मों को प्रयोग के रूप में कुछ आर्डर दे रहे हैं तथा उन्होंने उन आर्डरों को पूरा भी किया है ।

श्री एस० सी० सामन्त : मंत्री जी के द्वारा उल्लिखित संख्या में पेट्रोल की टंकियों वाले डिब्बों की कितनी संख्या है ?

श्री अलगेशन : उन्हें इस सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : विवरण में कहा गया है कि टेक्समैको को केवल ३,००० से अधिक डिब्बों का आर्डर दिया गया है, जबकि अन्य ब्रिटिश फर्मों को बड़े आर्डर दिये गये हैं । उदाहरणस्वरूप ब्रेटवाइट्स, हडसन,

जेसप, इत्यादि । क्या मैं जान सकता हूं कि टैक्समैको को इतने कम डिब्बों का आर्डर क्यों दिया गया है ?

श्री अलगेशन : मैं नहीं जानता कि मेरे माननीय मित्र का यह अनुमान सही है कि अन्य फर्में ब्रिटेन की हैं । हमारी जानकारी के अनुसार उनकी व्यवस्था भारतीयों द्वारा भारतीय पूंजी से होती है । उक्त फर्में पुरानी हैं । वे डिब्बों के निर्माण करने के क्षेत्र में पहिले से ही हैं इसलिये उनकी क्षमता अधिक है । हम अन्य फर्मों की क्षमता बढ़ाने का भी प्रयत्न कर रहे हैं ।

दिल्ली के लिये विकास बोर्ड

*८०१. **श्री राधा रमण:** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १७ मार्च, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या १०८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या तब से सरकार ने दिल्ली में विकास बोर्ड स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बोर्ड के उद्देश्य, कार्य और प्राधिकार क्या हैं ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) दिल्ली के लिये एक संविहित योजना तथा विकास प्राधिकार बनाने का प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री राधा रमण : सरकार किन कारणों से दिल्ली में ऐसा विकास प्राधिकार स्थापित कर रही है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : दिल्ली के नागरिक क्षेत्रों के विकास की देखभाल के लिये एकल निकाय स्थापित करने के कारणों को प्रश्नों का उत्तर देते समय कई बार बताया गया है । अब तक यह नियंत्रण विभिन्न संस्थाओं के द्वारा होता रहा है—यथा दिल्ली सुधार प्रन्यास, भूमि तथा विकास कार्यालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, शिक्षा मंत्रालय, अधिसूचित क्षेत्र समितियां (नोटिफाइड एरिया कमेटियां) तथा पुनर्वास मंत्रालय । इसलिये एक नियंत्रक प्राधिकार का होना आवश्यक है । इसीलिये ऐसा सोचा गया है ।

श्री राधा रमण : विचाराधीन प्रस्ताव के अधीन इस निकाय में कितने सदस्य रहेंगे तथा क्या उसका कोई सभापति रहेगा, यदि हां तो क्या वह पूरे समय के लिये होगा, गैर-सरकारी होगा, अथवा सरकारी होगा ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : उक्त सभी पहलुओं पर विचार करने के लिये एक समिति स्थापित की गई है तथा इस समिति ने अपना प्रतिवेदन भी प्रस्तुत कर दिया है, जो कि विचाराधीन है । उसका अन्तिम रूप से निश्चय होने पर हम माननीय सदस्यों को इस योजना का विस्तृत विवरण दे सकेंगे ।

श्री राधा रमण : यह प्राधिकार दिल्ली में कब तक स्थापित हो जायेगा ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : इसके शीघ्र ही स्थापित होने की आशा है ।

टेलेक्स सेवा

*८०२. **श्री हेडा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलेक्स सेवा की व्यवस्था कितने स्थानों पर की गई है ;

(ख) इस पद्धति के क्या लाभ हैं ;

(ग) इस प्रकार के रद्दोबदल पर क्या व्यय होगा ; और

(घ) वर्ष १९५५–५६ के दौरान यह सेवा कितने स्थानों में प्रारम्भ होने वाली है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) बम्बई तथा अहमदाबाद में ।

(ख) एक ग्राहक उसी नगर अथवा अन्य नगरों में रहने वाले अन्य ग्राहकों को डायल घुमा कर टेलीप्रिंटिर पर लिखित संदेश भेज अथवा प्राप्त कर सकता है ।

(ग) यह एक नई सेवा है कोई रद्दो-बदल नहीं । सरकार को प्रत्येक लाइन की प्रारम्भिक लागत लगभग ६,००० रुपये देनी पड़ेगी ।

(घ) कोई नहीं ।

श्री हेडा : क्या सरकार ने चालू वर्ष के लिये कोई लक्ष्य निश्चित किया है ; यदि हां, तो क्या वे लक्ष्य पूरा कर रहे हैं ?

श्री राज बहादुर: यह नई सेवा प्रयोगिक आधार पर बम्बई और अहमदाबाद के मध्य स्थापित हुई है । इस वर्ष अन्य नगरों के बीच टेलेक्स सेवा स्थापित करने की कोई योजना नहीं है ।

श्रीमती कमलेन्दु मति शाह : तार सेवा की तुलना में यह सेवा कैसी है ?

श्री राज बहादुर : यह एक प्रकार का एक्सचेंज है जहां टेलीफोन पर बोलने के स्थान पर एक व्यक्ति उसी नगर अथवा दूसरे नगर में डायल घुमा कर टेलीप्रिन्टर पर अपना संदेश टाइप कर सकता है और वह संदेश उसे दूसरे स्थान पर लिखा जाता है ।

श्रीमती कमलेन्दु मति शाह : मेरा तात्पर्य व्यय से है : तार सेवा की तुलना में इसका व्यय कितना है ?

श्री राज बहादुर: जहां तक टेलीफोनों के किराये, आदि का सम्बन्ध है, वह माननीय सदस्यों को पता है । टेलेक्स सेवा को हमने तीन मिनट के स्थानीय कॉल के लिये नौ आने तथा बम्बई से अहमदाबाद के बीच तीन मिनट के ट्रंक काल के लिये ४ रुपये ८ आने से प्रारम्भ किया था । यह दर घटा देनी पड़ी । अब दर स्थानीय कॉल के लिये ६ आने तथा अहमदाबाद व बम्बई के बीच ट्रंक कॉल के लिये ३ रुपये हैं । यह दर किराये के अतिरिक्त है जो कि दूरी पर निर्भर करता है ।

नर्सों का प्रशिक्षण

*८०३. **डा० रामा राव** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या किसी विदेशी संस्था ने भारतीय नर्सों के प्रशिक्षण के लिये सुविधायें दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रशिक्षण के निमित्त कितनी भारतीय नर्सों को विदेशों में भेजा जाएगा ; और

(ग) डेनमार्क में नर्सों को किन विशेष विभागों में प्रशिक्षित किया जायेगा ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी हां ।

(ख) ४६, जिनमें से २२ नर्सें जा चुकी हैं ।

(ग) क्षय रोगियों की परिचर्या में प्रशिक्षण के लिए ।

डा० रामा राव : क्या मैं राज्यवार, विशेषत: आंध्र तथा मद्रास से, हुए संवरण के सम्बन्ध में जान सकता हूं ?

श्रीमती चन्द्र शेखर : मेरे पास यहां उनके संवरण का विस्तृत विवरण नहीं है ।

डा० रामा राव : भारत में नर्सों के प्रशिक्षण के स्तर को, संख्या तथा प्रकार दोनों ही रूपों से, ऊंचा करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : हमारे यहां दिल्ली में एक नर्सिंग कालिज है । मैं चाहती हूं कि

माननीय सदस्य वहां जाकर देखें जिससे उन्हें हमारे द्वारा की गई कार्यवाही का अधिक अच्छा ज्ञान हो सके । इससे उन्हें स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो जायेगी ।

डा० रामा राव : उक्त ४६ नर्सों का चुनाव किस प्रकार हुआ है ? क्या केन्द्रीय सरकार ने ही उनका सीधा चुनाव किया है अथवा उन्हें सम्बद्ध राज्य सरकारों को सिफारिश से चुना गया है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : साधारणतः हम राज्य सरकारों से अभ्यर्थियों की सिफारिश करने को कहते हैं । उन अभ्यर्थियों में से यहां फिर चुनाव किया गया है ।

श्रीमती सुषमा सेन : हमारे देश में भी उसी प्रकार का प्रशिक्षण दिये जाने में कौनसी कठिनाइयां हैं जैसा प्रशिक्षण विदेशों में दिया जाता है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : जब कभी सुविधायें होती हैं, हम अपने विद्यार्थियों को यहां भी प्रशिक्षण देते हैं । प्राप्त जानकारी के अनुसार मैं माननीय सदस्य को यह बता सकती हूं कि संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय शिशु आपात निधि तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन, सुविधायें होने पर, भारत में भी प्रशिक्षण के लिये परिषद्यता व छात्रवृत्तियां प्रदान करती हैं ।

भारतीय उर्वरक

***८०४. पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय उर्वरक आयात किये गये उर्वरकों से घटिया प्रकार के होते हैं ;

(ख) क्या भारतीय तथा आयात किये गये उर्वरकों के खादीय तत्वों का पता लगाने के लिये कोई रासायनिक प्रयोग किया गया ; और

(ग) यदि हां, तो उनका क्या परिणाम हुआ ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) जो परिणाम प्राप्त हुए हैं उनसे प्रश्न के भाग (क) की पुष्टि होती है । निस्संदेह भारतीय उत्पाद अधिक प्रचलित है और किसान इसे ही अधिक पसन्द करते हैं ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या भारत सरकार ने इस भ्रम अथवा गलतफहमी को कि भारतीय उर्वरक आयात किये गये उर्वरकों से घटिया हैं ; दूर करने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : ऐसी कोई गलतफहमी या भ्रम नहीं है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : कल मंत्री महोदय से फर्टिलाइजर के सम्बन्ध में एक सवाल पूछा गया था, उसके लिये कहा गया था कि उसकी विज्ञप्ति और प्रकाशन के लिये जो कार्य किये गये हैं वह फूड मिनिस्ट्री से पूछने चाहिये, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस फर्टिलाइजर के सम्बन्ध में कौन से साधन प्रयोग में लाये गये हैं और क्या उसकी सही जानकारी किसानों तक पहुंची है ।

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां, उस की निस्बत हमने जो कार्रवाई की है मैं उसका नतीजा भी मेम्बर साहब को बतला सकता हूं कि इस साल के अन्दर उसका कंजम्शन दुगुना बढ़ गया है और साथ ही साथ हमने जो प्रचार किया है, शुगरकेन बैटर प्रोडक्शन का या पैदी का, उसमें भी इसका समावेश हुआ

है और उसकी वजह से अब बहुत काफी काश्तकार जानते हैं कि उस का क्या महत्व है और उसकी खपत इतनी बढ़ गयी है कि हमें मिलती नहीं है बाहर के देशों से जितनी हमें चाहिये।

श्री एल० एन० मिश्र : भारतीय उर्वरक का मूल्य आयात किये हुए उर्वरक की तुलना में कितना है ?

डा० पी० एस० देशमुख : सिन्द्री उर्वरक कारखाने से बाहर निकले हुए तथा आयात किये हुए उर्वरक के मूल्य में अधिक अन्तर नहीं होता है, निःसन्देह हम भारतीय उर्वरकों के मूल्यों को घटाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री ए० पी० जैन : मैं इतना और भी कह देना चाहता हूं कि सिन्द्री में निर्मित उर्वरक का मूल्य कारखाने से बाहर जाने पर २७० से २७५ रुपये प्रति टन होता है तथा आयात किये गये उर्वरक का लागत भाड़ा सहित मूल्य लगभग २९५ रुपये से ३०० रुपये प्रति टन तक है।

श्री भावगत झा आजाद : क्या इन उर्वरकों के निरन्तर उपयोग का भूमि की उर्वरता पर होने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में कोई प्रयोग किया गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी, हां। मोटे रूप से हम इसके उपयोग की हानि जानते हैं, किन्तु यदि इसका उपयोग खादों के साथ किया जाता है तो किसी प्रकार के बुरे प्रभाव होने की सम्भावना नहीं है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : कल उत्पादन मंत्री ने बताया था कि फर्टिलाइज़र्ज़ प्लांट की जो कैपेसेटी है, उतना उत्पादन हम इसलिए नहीं कर सके हैं, क्योंकि खपत कम है। आज मंत्री महोदय ने बताया है कि खपत दुगनी हो गई है। मैं पूछना चाहता हूं कि कल की स्टेटमेंट में और आज की स्टेटमेंट म फर्क क्यों है और अगर खपत काफी बढ रही है तो उत्पादन क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है।

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे मालूम नहीं क्या जवाब मंत्री महोदय ने कल दिया था। फिर भी मैं उनसे इसके बारे में पूछूंगा।

बन विद्या

*८०५. **श्री हेम राज :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिये, बन विद्या के विकास के लिये बनाई गई योजनाओं के मुख्य पहलू क्या हैं ; और

(ख) उन पर कितना व्यय होगा ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) योजना के मुख्य पहलू इस प्रकार हैं :—बन गवेषणा तथा बन सम्बन्धी शिक्षा का विस्तार, दियासलाई की लकड़ी के बागानों का विकास, वन्य पशुओं के जीवन का परिरक्षण, लकड़ी के अभिसाधन तथा तैयार करने के लिये संयत्र की स्थापना, लकड़ी काटने की आधुनिक टेकनीक का विकास, टीक, आदि वाणिज्यिक लकड़ी के बागानों का विस्तार, औद्योगिक बागानों तथा विदल और नीले गोंद के पेड़ लगाने का काम प्रारम्भ करना, बहुमूल्य निजी बनों का अर्जन तथा केन्द्र में एक बन विद्या आयोग स्थापित करना।

(ख) उक्त योजनाओं का कुल प्राक्कलित व्यय १० करोड़ रुपये के लगभग होगा।

श्री हेम राज : क्या भूमि रक्षण का प्रश्न भी इसमें सम्मिलित किया जायेगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह भूमिरक्षण बोर्डों को सौंप दिया गया है।

श्री हेम राज : १९५४ में अब तक जंगलों में कितनी बार आग लगी और उससे लगभग कितनी हानि हुई ?

डा० पी० एस० देशमुख : जंगलों में आग लगने का प्रश्न एक बहुत बड़ा प्रश्न है और हमारे लिए यह आवश्यक नहीं कि कितनी बार वहां आग लगी । बन विद्या के बोर्ड और अन्य संगठन राज्य सरकारों के साथ इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं ।

श्री टेक चन्द : जिन जंगलों में सड़कें नहीं बनाई जा सकतीं उनके सम्बन्ध में क्या सरकार वायुयान सुविधा देने की बात सोच रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख : अभी तक हम भमि से बहुत ऊपर नहीं पहुंच पाये हैं ।

श्री सारंगधर दास : क्या जंगलों में वृक्ष काटने और चोरी से लकड़ी उठा ले जाने के काम को, जिसके कारण प्रतिवर्ष भूमि का कटाव बढ़ता जाता है, रोकने के लिए कोई उपाय किया जा रहा है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस प्रकार जंगलों को जो नुकसान पहुंचता है उसका हमें पता है । जंगलों के सीमावर्ती क्षेत्रों में भूमि-रक्षण के सम्बन्ध में हमारे ये सब उपाय इस प्रकार की हानियों को कम करेंगे ।

आन्ध्र में छोटे पत्तन

***८०६. श्री सी० आर० चौधरी :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना में आन्ध्र समुद्र तट के छोटे पत्तनों के विकास के लिए कितनी राशि मंजूर की गयी थी ; और

(ख) अभी तक कितनी राशि व्यय हो चुकी है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) ७ लाख रुपये ।

(ख) १९,८३३ रुपये ।

श्री सी० आर० चौधरी : क्या रेलवे और सड़कों के परिवहन की भीड़भाड़ को कम करने के लिए विशाखापटनम् और कलिंग-पटनम्, आदि छोटे पत्तनों के तटीय नौवहन को विकसित करने के लिए कोई राशि खर्च की गयी है ?

श्री शाहनवाज़ खां : इस प्रश्न का सम्बन्ध आन्ध्र में पत्तनों के विकास से है । इस समय विचाराधीन केवल दो पत्तन—काकिनादा और मसुलीपटम हैं ।

श्री सी० आर० चौधरी : क्या आन्ध्र सरकार ने पूर्वी तट पर तटीय नौवहन का विकास करने के लिए कोई योजना पेश की है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : वे तटीय नौवहन के विकास में प्रत्यक्षत: अधिक रुचि नहीं रखते । यह सब तो छोटे पत्तनों के विकास के सम्बन्ध में है । जैसा कि मेरे सहयोगी ने अभी बताया, इस समय केवल काकिनादा और मसुलीपटम दो पत्तन विचाराधीन हैं । स्पष्ट है कि माननीय सदस्य अन्य पत्तनों के सम्बन्ध में भी रुचि रखते हैं । यह काम आन्ध्र सरकार का है कि वह इस मामले को उठाये और यदि आवश्यकता हो तो केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगे ।

श्री सी० आर० चौधरी : उत्तर के प्रथम अंश में माननीय उपमंत्री ने बताया कि आन्ध्र सरकार तटीय नौवहन में दिलचस्पी नहीं ले रही है । तो इसमें कौन दिलचस्पी ले रहा है ?

श्री अलगेशन : गैर-सरकारी क्षेत्र इसमें दिलचस्पी ले रहा है और केन्द्र गैर-सरकारी क्षेत्र की सहायता कर रहा है ।

श्री सी० आर० चौधरी : क्या कारण है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मंजूर हुए ७ लाख रुपये में से केवल १९,००० रुपये व्यय किये गये हैं ?

श्री अलगेशन : आन्ध्र सरकार ने हमें सूचित कर दिया है कि वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के पूर्व ही वह शेष राशि भी खर्च कर लेगी ।

कोलार स्वर्ण क्षेत्र

*८०७. **श्री टी० बी० विट्ठल राव:** क्या **श्रम** मंत्री २६ जुलाई, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या १०२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलार स्वर्णक्षेत्र के चैम्पियन रीफ सोने की खानों में २७ मई, १९५५ को होने वाली दुर्घटनाओं के कारणों के सम्बन्ध में कोई जांच की गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो उपपत्तियों के ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) दुर्घटना से क्षतिग्रस्त प्रत्येक व्यक्ति को क्या प्रतिकर दिया गया ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी हां ।

(ख) जांच से पता लगा कि ३७८ फीट सीधे खान के मार्ग से जब लिफ्ट नीचे को जा रही थी तो ६०० घन फीट मिट्टी ढह कर लिफ्ट पर गिर जाने के कारण यह दुर्घटन हुई जिसमें १० व्यक्ति मरे और ८ घायल हुये । इस दुर्घटना के लिये कोई भी उत्तरदायी नहीं है और इस को एक आकस्मिक दुर्घटना बताया गया है ।

(ग) समवाय ने १३-६-५५ को मृतों के आश्रितों के लिए कर्मकार प्रतिकर आयुक्त के पास २५,१०० रुपये जमा कर दिया है । घायल व्यक्तियों को प्रतिकर के रूप में ३३४ रुपये १ आना दिया जा चुका है । प्रत्येक व्यक्ति को दिये गये प्रतिकर के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : यद्यपि इतने अधिक कर्मचारियों की जानें इसमें गयीं फिर भी दुर्घटना की जांच के लिए एक जांच न्यायालय क्यों नहीं नियुक्त किया गया ?

श्री आबिद अली : मैं समझता हूं कि इस विशेष मामले में जांच न्यायालय नियुक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हमारे निरीक्षकों ने मामले के ब्यौरों की छानबीन की और हम उनके प्रतिवेदन से सन्तुष्ट हैं ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : भारतीय खान अधिनियम के अन्तर्गत आपात विनियमों को कब प्रख्यापित किया जा रहा है ? कुछ महीने पूर्व यह बताया गया था कि सरकार खान अधिनियम, १९५२ के अन्तर्गत आपात विनियमों को प्रख्यापित करने का विचार कर रही है ?

श्री आबिद अली : मैं आशा करता हूं कि इन नियमों को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिया जाएगा ।

श्री टी०बी० विट्ठल राव : क्या सरकार को इस बात का पता है कि मैसूर सरकार द्वारा कोलार स्वर्ण क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण की घोषणा होने के बाद खानों के सुरक्षा उपायों के व्यय में कमी कर दी गयी है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री आबिद अली : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को जो सूचना मिली है वह ठीक नहीं है । फिर भी, मैं इसकी जांच करूंगा

माल-डिब्बों की कमी

*८०८. **श्री राघवैया :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माल-डिब्बों के संभरण में कमी होने के कारण मद्रास राज्य के अरुमुगनेरी नमक क्षेत्रों में गत महीनों में उत्पादन तथा भेजने के काम में काफी नुक़सान हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जाने वाली है ?

रेलवे तथा परिवहन-मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४३]**

श्री राघवैया : क्या उक्त क्षेत्रों में तैयार किये गये नमक को भेजने के लिए माल के डिब्बों के संभरण में जो कमी रही है उस का कारण यह है कि अनुज्ञप्ति प्राप्त नमक निर्माताओं को माल के डिब्बे देकर बिना अनुज्ञप्ति वाले नमक निर्माताओं को बहुत से डिब्बे दिये गये ?

श्री शाहनवाज़ खां : नमक भेजने की दो श्रेणियां है । एक है खण्डीय नमक अर्थात् वह नमक जिसके यातायात पर नमक आयुक्त का नियंत्रण रहता है । इसे बहुत प्राथमिकता दी जाती है और यह अधिमान्य यातायात सूची मद (ग) के अन्तर्गत है । विवरण से माननीय सदस्य को अवश्य पता लग गया होगा कि खण्डीय नमक के सम्बन्ध में सभी मांगों को पूर्ण प्रकार पूरा किया गया था । दूसरी श्रेणी को खण्डीय नमक नहीं कहा जाता । इस पर नमक आयुक्त का नियन्त्रण नहीं होता । लोग डिब्बों के लिए आवेदन-पत्र देते हैं । मदुरै जिला के लिए २० डिब्बे प्रतिदिन के हिसाब से सुरक्षित रखे जाते हैं । हम यथा सम्भव लोगों की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करते हैं ।

श्री राघवैया : क्या उस विशेष खण्ड के अनुज्ञप्ति प्राप्त नमक उत्पादकों ने उस क्षेत्र में तैयार किये गये नमक के भेजने के सम्बन्ध में कुछ शिकायत की है ?

श्री शाहनवाज़ खां : जैसा कि मैं बता चुका हूं, माल के डिब्बों का वास्तविक आवंटन नमक आयुक्त द्वारा नियंत्रित होता है और सम्बन्धित संस्थाओं के लिए डिब्बों की सिफारिश करने के लिए वही उत्तरदायी है । मैं सभा को यह भी बताना चाहता हूं कि १९५५ में अनुज्ञप्ति प्राप्त कारखानों का उत्पादन ७५,००० मन और बिना अनुज्ञप्ति प्राप्त कारखानों का उत्पादन ७०५,००० मन था ।

इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन

*८०९. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन पांच "विसकाउंट" विमान खरीदने का विचार करता है ; और

(ख) यदि हां, तो वे किस देश से खरीदे जा रहे हैं और उनका मूल्य क्या है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) ये विमान संयुक्त राज्य (यू० के०) से खरीदे जा रहे हैं और इसका मूल्य १.९६ करोड़ रुपया है ।

श्री रघुनाथ सिंह : हवाई जहाज़ के इंजिन की एज क्या होगी ?

श्री राज बहादुर : यह बहुत कठिन है कि किसी एक हवाई जहाज़ की एज निश्चित रूप से बताई जा सके, क्योंकि हम जानते हैं कि जब कभी उसे सर्टिफ़िकेट आफ़ एयर-वर्दीनेस लेना पड़ता है, उस वक्त भी और

ओवरहालिंग के वक्त भी उसके भुगते हुए भाग बिल्कुल नये भागों से बदल दिए जाते हैं और वह बहुधा नया जैसा ही हो जाता है। वह कितने समय तक चल जाता है, यह तो भिन्न भिन्न वायुयानों के लिए भी अलग अलग है।

डा० एस० एन० सिंह : इंजिन के फ्लाइंग आवर्ज़ क्या होते हैं ?

श्री राज बहादुर : अगर आपका मतलब एक ओवरहॉल से दूसरे ओवरहॉल तक फ़्लाइंग आवर्ज़ बिटवीन से है, तो मैं वह निश्चित सूचना नोटिस पर दे सकूंगा।

श्री जी० एस० सिंह : क्या यह सच है कि विमान की उपयुक्तता के सम्बन्ध में विशेशज्ञों में काफ़ी मतभेद था और, यदि हां, तो क्या इस कारण से उनके मगाने का आदेश देने में विलम्ब हुआ और उनके यहां प्राप्त करने की तारीख को वर्ष के लिए आगे बढ़ा दी गयी है ?

श्री राज बहादुर : म समझता हूं कि यह कहना सही नहीं है कि उनमें इसलिए काफी मतभेद था कि सभी बातों के अन्तिम विश्लेषण—चलाने का खर्च, रक्षा के उपाय तथा अन्य आवश्यक बातों—को ध्यान में रखते हुये कानवेयर की अपेक्षा विसकाउट अधिक उपयुक्त जान पड़ा।

विमान समवाय

*८११. **श्री राम शंकर लाल** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व विमान समवायों के ऐसे कर्मचारियों की संख्या क्या है जिन्हें अभी तक कोई काम नहीं दिलाया गया है ;

(ख) क्या ऐसे कर्मचारियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). भूतपूर्व विमान समवायों के उन सभी कर्मचारियों को जो १ जुलाई १९५२ के पूर्व नौकरी में आ गये थे और ३१ जुलाई, १९५३ तक नौकरी में रहे, विमान निगम अधिनियम, १९५३ की धारा २० के अन्तर्गत उन्हीं निगमों द्वारा रख लिया गया। अन्य कर्मचारियों को भी जो उन समवायों की नौकरी में १ जुलाई, १९५२ को या उसके बाद आये थे और ३१ जुलाई, १९५३ तक नौकरी में रहे, निगमों ने नौकरी में ले लिया। उसके बाद किसी भी निगम ने कोई छटनी नहीं की।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि जब से सरकार ने ये एयर कार्पोरेशन्ज़ ली हैं, तब से अब तक उसन उनमें कितने नये एम्पलाईज़ रखे हैं ?

श्री राज बहादुर : ये कार्पोरेशन्ज़ बनने के बाद कितने एम्पलाईज़ रखे गए हैं, यह सूचना मेरे पास इस समय नहीं है, एकत्र कर के मैं सभा पटल पर रख सकूंगा।

श्री हेडा : जब एयर कार्पोरेशन्ज़ ली जा रही थीं, तो कहा गया था कि इनको नैशनेलाइज़ करने से इकानोमी होगी, तो फिर ये एम्पलाईज़ रखना क्यों ज़रूरी हो गया है ? क्या इसकी वजह यह है कि और सर्विसिज़ बढ़ाई गई हैं या इकानोमी नहीं हो पाई है, जिसके होने की सम्भावना थी ?

श्री राज बहादुर : मेनटेनेन्स और इंजीनियरिंग को देखते हुए, जो नई सर्विसिज़ बढ़ाई गई हैं, उनको देखते हुए और आन्तरिक व्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुसार एयर कार्पोरेशन्ज़ ने कुछ और व्यक्तियों को सम्भवत: नौकरियों में लिया है।

वाच एण्ड वार्ड विभाग

*८१२. **श्री सिंहासन सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, १९५३ से उत्तर पूर्व रेलवे पर रेलवे के और अन्य माल भेजने वालों के माल की चोरियों की संख्या में कहां तक कमी हुई ;

(ख) जनवरी, १९५३ से इस रेलवे पर वाच एण्ड वार्ड विभाग के संधारण पर औसत वार्षिक व्यय कितना हुआ ; और

(ग) इस विभाग की स्थापना से पूर्व रेलवे को कुल कितने दावों के सम्बन्ध में क्षति-पूर्ति देनी पड़ी और उसके बाद की संख्या कितनी है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) . मांगी गई जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४४]**

श्री सिंहासन सिंह : विवरण से पता चलता है कि १९५५–५६ में जून, १९५५ तक चोरियों की संख्या ३३१ थी । पर उक्त अवधि के दावों की संख्या नहीं दी गई है । क्या मैं इसका कारण जान सकता हूं ?

श्री शाहनवाज खां : क्योंकि किसी दावे के भुगतान का उत्तरदायित्व स्वीकार करने के पूर्व हमें बहुत लम्बी जांच करनी पड़ती है कि क्या दावा न्यायोचित है ।

श्री सिंहासन सिंह : भुगतान की बात अलग है । मैं तो यह जानना चाहता हूं कि कितने दावे किये गये ?

श्री शाहनवाज खां : हमारे पास दिए गए दावों की संख्या नहीं है । हम वास्तव में भुगतान किये गये दावों की संख्या रखते हैं ।

श्री सिंहासन सिंह : विवरण से पता लगता है कि वाच एण्ड वार्ड (सुरक्षा और प्रतिपालन) विभाग के नियुक्त होने के बाद दावों की संख्या हजारों बढ गई है । १९४८–४९ में भुगतान किये गये दावे ७७८२ थे पर इस विभाग की नियुक्ति के बाद अगले वर्ष में में दावों की संख्या १२,६६८ हो गयी । इस नियुक्ति के बाद दावों के बढ़ने का क्या कारण है ?

श्री शाहनवाज खां : माननीय सदस्य ने १९४८–४९ के आंकड़े बताये और कहा कि उस वर्ष दावों की सख्या ७,००० से कुछ अधिक थी और १९४९–५० में यह संख्या बढ़ कर १२,६६८ हो गयी । पर यदि माननीय सदस्य विवरण में जरा और आगे देखते तो उन्हें इधर की स्थिति का पता लगता कि १९५३–५४ में संख्या १२,६६८ से घटकर ३,५३६ रह गयी ; यह बहुत श्रेयष्कर बात हैं ।

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : मैं बताना चाहता हूं कि १९४९–५० के आंकड़े में भूतपूर्व आसाम रेलवे के मामलों के आंकड़े भी सम्मिलित थे ।

श्री सिंहासन सिंह : १९४८–४९ के आंकड़ों में भी भूतपूर्व आसाम रेलवे के आंकड़े सम्मिलित थे । मेरे माननीय मित्र ने दावों के घटने के सम्बन्ध में कहा परन्तु १९५२–५३ में फिर दावों की संख्या बढ़कर ८,४२० हो गयी ।

चामराजानगर—सत्यमंगलम रेलवे लाइन

*८१४. **श्री एन० राचय्या :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार को मैसूर राज्य का एक अभ्यावेदन अभी हाल में प्राप्त हुआ है जिसमें चामराजानगर से सत्यमंगलम् तक तुरन्त रेलवे लाइन बनवाने की मांग की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगैशन) : (क) जी हां ।

(ख) प्रस्ताव को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नई लाइनों के निर्माण के चुनाव के समय विचार करने के लिए रख लिया गया है ।

श्री एन० राचय्या : क्या सरकार को मालूम है कि मैसूर की जनता को इस बात से बहुत असन्तोष है कि मैसूर राज्य रेलवे का केन्द्रीय रेलवे के साथ विलय होने से पूर्व किये गये सर्वेक्षण के बावजूद भी इस रेलवे लाइन के निर्माण-कार्य में देर की जा रही है ?

श्री अलगेशन : जी हां । यह एक स्वाभाविक बात है कि प्रत्येक राज्य के लोग रेलवे लाइनों का निर्माण कराना चाहते हैं और यदि वे निर्माण शीघ्रता से प्रारम्भ नहीं किये जाते तो उन लोगों को उसके लिये कुछ असंतोष अवश्य होता है । हम सभी लाइनों का निर्माण एक साथ कर लेते, लेकिन ऐसा सम्भव नहीं हो सकता ।

श्री एन० राचय्या : क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि मैसूर के उद्योग मंत्री ने रेलवे मंत्रालय के प्रति इस बात पर बहुत खेद प्रकट किया है कि उसने मैसूर राज्य में, विशेषत: दक्षिण में, एक भी रेलवे लाइन बनाने का कोई कदम नहीं उठाया है ?

श्री अलगेशन : दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रकार के प्रादेशिक दावे ऐसी अभागी रीति से सामने लाये जायें । हम इस लाइन के निर्माण पर अवश्य विचार करना चाहते हैं किन्तु ऐसा करना कोई सरल काम नहीं । इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने में बहुत पैसा लगेगा और बाद में इस से हमें कोई लाभ नहीं होगा । हमें इन सब बातों पर विचार करना पड़ता है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : अभी उपमंत्री जी ने बताया कि यह उद्यम बहुत खर्चीला पड़ता है क्योंकि वहां भूमि आदि बहुत ही खराब है । क्या दिवंगत श्री गोपालस्वामी अय्यंगार ने इस लाइन के निर्माण पर विचार करते समय इस विशेष पहलू पर विचार नहीं किया था ? क्या प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसकी कार्यान्विति का प्रस्ताव नहीं था ?

श्री अलगेशन : केन्द्रीय परिवहन बोर्ड की एक बैठक में, जो कभी १९५२ के प्रारम्भ में आयोजित हुई थी, यह निश्चय किया गया था कि इस काम को आरम्भ किया जाय और यह भी निश्चय किया गया था कि दूसरी कंडवा-हिंगलोई लाइन भी बनाई जाय क्योंकि इन दोनों लाइनों से सकरी लाइन की जगह घिर जाती ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं यही जानना चाहता हूं कि क्या इसकी मंजूरी नहीं दी गई ।

श्री अलगेशन : हम दूसरी लाइन का काम आरम्भ कर सके और उसका निर्माण चल रहा है, किन्तु इस सम्बन्ध में हम बंगलौर और सैलम के बीच रेलवे लाइन बिछाने के विषय में सर्वेक्षण कर रहे हैं । यदि इन दोनों स्थानों के बीच रेलवे लाइन बनाई गई तो शायद इन प्रस्तावित दो स्थानों को मिलाने की आवश्यकता नहीं रहेगी । अतः सैलम-बंगलौर लाइन के सर्वेक्षण प्राप्त होने के बाद ही इन दोनों लाइनों के तुलनात्मक और सापेक्ष गुणावगुणों पर विचार किया जा सकेगा ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार: क्या मैसूर सरकार ने इस लाइन के निर्माण की भी सिफारिश नहीं की है ?

श्री अलगेशन : शायद उन्होंने ऐसा किया है, लेकिन मुझे ठीक से याद नहीं ।

टेलीफोन

*८१५. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विविध राज्यों में वहां के ग्रामीण क्षेत्रों में, कितने टेलीफोन लगाये गये हैं ;

(ख) क्या बुनियादी तथा वार्षिक फीस के कम किये जाने का कोई प्रस्ताव है ताकि ग्रामीणों को भी टेलीफोनों का लाभ प्राप्त हो सके ;

(ग) यदि हां, तो उन प्रस्तावों का स्वरूप क्या है ; और

(घ) गांवों में टेलीफोनों को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ट्रंक (दूर के) टेलीफोनों का जो जाल बिछा हुआ है उसके साथ २,०७६ स्थान मिला दिये गये हैं, इसके अतिरिक्त डाक तथा तार विभाग द्वारा लगाये गये अथवा डाक तथा तार विभाग से अनुज्ञप्ति प्राप्त करके व्यक्तियों द्वारा लगाये गये अन्य टेलीफोनों की संख्या २,०३६ है ।

(ख) और (ग). इस मामले पर विचार हो रहा है ।

(घ) प्रथम योजना अवधि में पहले ही इस बात की कार्यवाही की जा चुकी है कि टेलीफोन की सुविधायें सभी ज़िला और उपज़िला नगरों तक पहुंचाई जायं । द्वितीय योजना के अन्तर्गत यह प्रस्ताव रखा गया है कि इन सुविधाओं को उन स्टेशनों की ओर आगे की श्रेणियों और उपश्रेणियों तक भी यथासम्भव, पहुंचाया जाय । इसके अतिरिक्त उन अन्य ग्रामीण स्थानों में टेलीफोन लगाये जाते हैं जहां टेलीफोन लगाने से डाक तथा तार विभाग को कोई आर्थिक हानि न हो ।

सरदार इकबाल सिंह : क्या सरकार को यह ज्ञात है कि नगर के पांच मील बाहर यदि कहीं टेलीफोन लगाया जाये तो उसकी वार्षिक दर ६०० रुपये होती है और यदि पांच मील के भीतर हो तो केवल ३१५ रुपये होती है ? इसका कारण क्या है ?

श्री राज बहादुर : टेलीफोन की दरें इस प्रकार हैं । नगर के भीतर २८८ रुपये प्रति वर्ष है । ग्रामीण क्षेत्रों के लिये एक्सचेंज से एक मील के अन्दर २५० रुपये; एक मील और दो मील के बीच में २७० रुपये हैं । दो और तीन मील के अन्दर २८८ रुपये है । हमें स्थिति का ज्ञान है और हमने टेलीफोन की दर संरचना को युक्तियुक्त बनाने के लिये एक समिति नियुक्त की है ।

सरदार इकबाल सिंह : टेलीफोन के आवंटन के लिये कुल कितने आवेदन-पत्र ग्रामवासियों से प्राप्त हुए हैं, कितने आवेदन-पत्र अस्वीकृत किये गये, तथा क्या अस्वीकृति की दर वही है जो कि नगरों में है ।

श्री राज बहादुर : वास्तव में अधिकांश क्षेत्रों में हमारा प्रसार कार्य जितनी मांगें हमारे पास आई हैं उससे भी अधिक हो गया है हमारा विचार ज़िला मुख्यालयों में टेलीफोन एक्सचेंजों की व्यवस्था करने और परगना मुख्यालयों को सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालयों से जोड़ देने का है और अब तहसील मुख्यालयों को भी जोड़ देने की प्रस्थापना हमारे विचाराधीन है। हो सकता है कि कुछ ऐसे मामले हों जिनमें कोई स्थान विशेष इन तीनों श्रेणियों में से किसी में न आता हो परन्तु ऐसी जो भी मांगें आई होंगी उन पर उन के गुणावगुणों के अनुसार विचार किया गया होगा । यदि ऐसे किसी मामले में ऐसी कोई मांग अस्वीकृत कर दी गई हैं, तो में इसके लिये तय्यार हूं कि

उस पर विचार करूं और यह देखूं कि क्या ऐसा निर्णय उन सिद्धान्तों के अनुसार न्यायोचित है जिनका कि ऊपर निर्देश किया गया है ।

सरदार इक़बाल सिंह : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति शान्ति ।

श्री ए० एम० थामस : क्या सरकार वर्तमान दरों के होते हुए भी ऐसी स्थिति में है कि मांगों को पूरा कर सके, यदि नहीं तो कितनी प्रति शत मांगें पूरी की जा रही हैं ? इन ४००० और कुछ टेलीफोन कनेक्शनों में से जिनका कि माननीय मंत्री द्वारा उल्लेख किया गया है, कितने स्वयं चालित हैं ?

श्री राज बहादुर : मैं समझता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयंचालित एक्सचेंज नहीं हैं । हो सकता है कि कुछ स्थानों में आर० ए० एक्सचेंज हों । हमने अब बंगलौर स्थित इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज़ में छोटे छोटे स्थानों के लिये नये प्रकार के स्वयं चालित एक्सचेंज तय्यार किये हैं । यह दस लाइन वाले, पच्चीस लाइन वाले, पचास लाइन वाले और सौ लाइन वाले स्वयंचालित प्रणालियां होंगी । हमारा विचार इन को उन स्थानों में स्थापित करने का है जहां ए० सी० करेन्ट हो और मैं समझता हूं कि ऐसा हो जाने के बाद स्वयं चालित टेलीफोन प्रणाली की सेवा का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों को भी प्राप्त हो सकेगा ।

श्री कामत : देहाती जनता की जानकारी के लिये इस यंत्र को टेलीफ़ोन कहा जायेगा या दूरभाष कहा जायेगा ?

श्री राज बहादुर : मेरी समझ में टेलीफ़ोन शब्द इतना प्रचलित है कि वह सब की समझ में आ सकता है । यदि माननीय सदस्य इसको दूरभाष कहना चाहते हैं तो उसे वह ऐसा कह कर प्रसन्न हो सकते हैं ।

गोदाम

***८१६. श्री सी० आर० नरसिंहन :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल में कोयम्बटूर में हुई पंचवर्षीय योजना गोष्ठी में श्री सी० आर० श्रीनिवासन द्वारा दिये गये इस सुझाव की ओर कि प्रमुख स्टेशनों पर रेलवे गोदामों की व्यवस्था की जाये दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री सी० आर० नरसिंहन : इस बात को देखते हुए कि गोदामों की इस सुविधा की बहुत बड़ी आवश्यकता है और यह सम्भव भी है कि रेलवे ऐसी सुविधा की व्यवस्था करे, मैं जानना चाहता हूं कि अब चूंकि यह प्रश्न उठ ही चुका है तो सरकार के सामने इसकी जांच करने और इसका पता लगाने में कि क्या प्रयोगात्मक उपाय के रूप में इस प्रकार गोदामों की व्यवस्था की जा सकती है क्या कठिनाई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : हमारा कार्यक्रम यह है कि जहां भी आवश्यकता हो मालगोदाम के शेडों को बढ़ाया जाये परन्तु मालगोदामों का निर्माण एक और बात है परन्तु वैयक्तिक व्यापारियों के लाभ के हेतु सामान्य वस्तुओं के लिये गोदामों की व्यवस्था करने का रेलवे से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

शहद

*८१८. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में मिलावट किये हुए शहद का विक्रय बढ़ गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार शहद के वर्ग विशिष्टतायें निर्धारित करने का विचार करती है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) भारत सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, १९५४ के अन्तर्गत जो नियम बनाये जा रहे हैं उनमें शहद सम्मिलित किये जाने के लिये एक मान्य विशिष्टता विचाराधीन है ।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : इस सम्बन्ध में कब तक सरकार की तरफ से विचार खत्म होगा और कब तक कार्यवाही की जायेगी, और कब तक सरकार इस विषय सम्बन्धी अपनी प्रस्थापनाओं को अन्तिम रूप दे सकेगी ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, १९५४ के लिये नियम बन जाने पर ही हम यह बता सकेंगे ।

श्री डाभी : क्या कोई ऐसी परीक्षण विधि है जिसके द्वारा एक साधारण व्यक्ति भी यह जान सके कि इस शहद में मिलावट की गई है या नहीं ।

श्रीमती चन्द्रशेखर : इसके लिये मुझे सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार को यह ज्ञात है कि अधिकांशत: शहद में मिलावट उन ठेकेदारों द्वारा की जाती है जिनको जंगलों से शहद एकत्रित करने का एकाधिकार दिया जाता है क्योंकि शहद लघुवन्य उत्पादों में सम्मिलित है और मिलावट का आरम्भ भी उन्हीं के द्वारा किया जाता है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : मेरे पास कोई जानकारी नहीं है ।

एयर लाइन्स क्षतिपूर्ति न्यायाधिकरण

*८२२. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर लाइन्स क्षतिपूर्ति न्यायाधिकरण द्वारा अभी तक कुल कितने मामले निबटाये गये हैं ;

(ख) न्यायाधिकरण के सामने अभी तक कितने मामले निर्णयाधीन हैं ; और

(ग) कार्य समाप्त करने में न्यायाधिकरण को कितना समय लगने की सम्भावना है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) दो ।

(ख) सात (एक ही विषय पर) ।

(ग) लगभग दो महीने ।

श्री के० सी० सोधिया : न्यायाधिकरण ने जो मामले निपटाये हैं उनमें कुल कितना दावा था ?

श्री राज बहादुर : उनमें दावा तो करीब २० या ३० लाख का था :

श्री के० सी० सोधिया : कितने में निपटायेंगे ?

श्री राज बहादुर : मैं इसको नोटिस पर बताऊंगा ।

श्री के० सी० सोधिया : न्यायाधिकरण में कुल कितने सदस्य हैं ?

श्री राज बहादुर : न्यायाधिकरण में मुख्य सदस्य श्री पातंजलि शास्त्री हैं और उनके दो सहायक हैं ।

श्री के० सी० सोधिया : इसमें कितनी एअर कम्पनियों के दावे थे ?

श्री राज बहादुर : लगभग सात के वर्तमान हैं जो कि लगभग एक ही पाइंट पर हैं। वह लीव पे के सम्बन्ध में हैं।

पर्यटक केन्द्र उत्तर प्रदेश

*८२३. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने छः वर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य में पर्यटन के विकास के लिये अपने सुझाव भेज दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनके विवरण सभा पटल पर रखे जायेंगे ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४५**]

श्री भक्त दर्शन : विवरण से ज्ञात होता है कि अल्पकालीन योजनाओं के लिये ८५,४०,००० रुपये की मांग की गयी है और दीर्घकालीन योजनाओं के लिए १,०७,८६,००० रुपये की मांग की गयी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सारी योजनायें स्वीकार की जा चुकी हैं या इनमें अभी कुछ काट छांट की जायगी ?

श्री अलगेशन : सारी योजना पर हम ख्याल कर रहे हैं।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस सम्बन्ध में अभी भी राज्य सरकार से, या संसद् सदस्यों से या और व्यक्तियों से सुझाव निमंत्रित किये जा सकते हैं और उनके ऊपर विचार किया जा सकता है, या इन के सिवा और किसी पर विचार ही नहीं किया जायगा ?

श्री अलगेशन : ज़रूर सदस्य सुझाव भेज सकते हैं।

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसके साथ में कोई ऐसी योजना भी बनाई जा रही है कि ज़िला बोर्ड, नगर पालिका या इस तरह की गैर सरकारी संस्थायें अग अपने इलाक़ों में पर्यटन उद्योग का विकास करने के लिये कोई योजना प्रस्तुत करें तो उनको भी सहायता मिल सकेगी या केवल राज्य सरकारों को ही यह रुपया दिया जायगा ?

श्री अलगेशन : मैं समझता हूं माननीय सदस्य स्थानीय निकायों इत्यादि द्वारा दिये जाने वाले सुझावों का निर्देश कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न है कि क्या स्थानीय निकायों को पर्यटक यातायात का विकास करने के लिये प्रोत्साहन दिया जायेगा या इसे केवल राज्य सरकारों तक ही सीमित रखा जायेगा।

श्री अलगेशन : उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम भेजा है जिसकी लागत १,९३,२६,००० रुपये बैठती है। आगामी वर्ष पड़ने वाली बुद्ध जयन्ती के सम्बन्ध में हमने सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती तथा शकासिया में संचारव्यवस्था, विश्रामगृह निर्माण इत्यादि जैसे सुधार करने का विनिश्चय किया है। इन सब कार्यों की कुल लागत ४३,३३,००० रुपये आती है। जब राज्य सरकारें ऐसे कार्यक्रम भेजती हैं तो वे पर्यटन योग्य ऐसे सभी स्थानों को ध्यान में रखती हैं जिनका कि वह अपनी राज्य सीमा के अन्दर विकास करना चाहती हैं।

श्रीमती कमलेन्दु मति शाह : क्या ऐसे पर्यटक केन्द्र टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल में भी खोले जाने वाले हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : यदि माननीया सदस्या सभा

पटल पर रखे गये विवरण को देखें तो वे पायेंगी कि उसमें टिहरी गढ़वाल के बहुत से स्थान सम्मिलित किये गये हैं।

रेलवे सर्वेक्षण

*८२५. **श्री बलवन्त सिंह महता :** क्या **रेलव** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के रेलवे बजट में व्यवस्था की गई उदयपुर-हिम्मतनगर और चित्तौड़गढ़ कोटा रेलवे लाइनों के सर्वेक्षणों के सम्बन्ध में अभी तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इन लाइनों के निर्माण का कार्य कब आरम्भ किया जायगा !

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिवा (श्री शाहनवाज खां) : (क) रेलवे से कहा गया है कि जरूरी सर्वे के खर्च का अनुमान तैयार करके भेजे।

(ख) अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री बलवन्त सिंह महता : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि यह सर्वेक्षण किस प्रकार के हो रहे हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : ट्रैफिक सर्वे है।

श्री बलवन्त सिंह महता : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह सर्वेक्षण ब्राडगेज के लिये हो रहा है या मीटर गेज के लिये हो रहा है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : चित्तौड़गढ़ से कोटा तक तो ब्राडगेज के लिये हो रहा है और उदयपुर से हिम्मत नगर तक जो सर्वेक्षण हो रहा है वह मीटर गेज के लिये हो रहा है।

श्री बलवन्त सिंह महता : क्या जनता की ओर से कोई ऐसा आवेदन पत्र आया है जिसमें उदयपुर को बासवाड़ा हो कर रतलाम से मिलाने को कहा गया है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : जी हां, आया है।

श्री बलवन्त सिंह महता : सरकार उस पर क्या विचार कर रही है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : अभी तो सर्वे हो रहा है। दूसरे रास्तों पर भी विचार करेंगे लेकिन कोई उसके बारे में अभी फैसला नहीं किया गया है।

कलकत्ता पत्तन

*८२६. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान कलकत्ता पत्तन आयुक्त इंजीनियर अधिकारी संस्था क त्रैमासिक प्रकाशन 'पोर्ट इंजीनियर' के, अप्रैल १९५५ के अंक की ओर दिलाया गया है जिसमें समुद्र में और आगे चल कर कलकत्ते के लिये एक सहायक बंदरगाह बनाने के लिये एक महत्वपूर्ण प्रतिकथन उपस्थित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सुझाव के प्रति उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) हां।

(ख) बहुत अधिक धन खर्च कर के गेओनखाली में एक सहायक बन्दरगाह बनाना आवश्यक नहीं समझा जाता है क्योंकि पृष्ठ देश की समस्त प्रत्याशित यातायात सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये कलकत्ता में पर्याप्त अतिरिक्त बन्दरगाह सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या सरकार को उन लाभों के सम्बन्ध में कोई समाचार प्राप्त हुए हैं जो कि एक सहायक बन्दरगाह होने के कारण पश्चिमी जर्मनी सिमिति हैमबर्ग को प्राप्त हो रहे हैं और क्या सरकार ने, ऐसे तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर कलकत्ते के बन्दरगाह के कार्य संचालन में सुधार करने तथा प्रसार करने की संभाव्यताओं पर विचार किया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : पता नहीं मेरे माननीय मित्र का ध्यान रूस से जर्मनी की ओर कब से गया। उन्होंने यह प्रश्न 'पोर्ट इंजीनियर' नामक एक पत्रिका के किसी कथन के आधार पर किया है। उसमें कहा गया है कि एक सहायक बन्दरगाह ब्रीमेन के लिये बहुत लाभप्रद रहा है। परन्तु यहां की परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न हैं। हमने उसके पक्ष वाले और विपक्ष वाले दोनों पहलुओं पर विचार किया है और यह जान पड़ता है कि बहुत बड़ी लागतसे एक अलग बन्दरगाह बनाना अधिक लाभदायक नहीं होगा। वही सुविधायें कलकत्ते के बन्दरगाह को सुधारने से भी प्राप्त हो सकती हैं। हमारे अध्ययन का यह परिणाम है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि पूना स्थित गवेषणा केन्द्र ने यह राय ज़ाहिर की है कि जब तक गंगा बांध योजना को प्रारम्भ नहीं किया जाता है कलकत्ते के बन्दरगाह का रास्ता परिवहन के लिये सुरक्षित नहीं है, यदि हां, तो गगा के बांध के निर्माण का काम अभी आरम्भ क्यों नहीं किया गया है ? इस सहायक बन्दरगाह के सम्बन्ध में गेओनखाली जाने वाले फ्रांसीसी विशेषज्ञों ने कौनसी कठिनाइयां बताई हैं ?

श्री अलगेशन : माननीय सदस्य कई बातों को एक में मिला रहे हैं। इस आशंका को उत्पन्न करना व्यर्थ है कि यदि कुछ न किया गया तो कलकत्ते के बन्दरगाह के लिये कोई खतरा पैदा हो जायेगा। यह आशंका कई साल से की जा रही है। परन्तु यह प्रश्न कि क्या किसी निश्चित स्थान पर एक बांध बनाना चाहिये, मेरी समझ में, सिंचाई मंत्रालय के विचाराधीन है।

रेलवे इंजन डिब्बे इत्यादि

*८२७. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेजपुर-रंगिया लाइन पर इंजनों और सवारी के डिब्बों की बहुत कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी के कब तक दूर हो जाने की आशा की जाती है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) पूर्वोत्तर रेलव के तेजपुर-रंगिया सेक्शन की यातायात आवश्यकताओं का जहां तक सम्बन्ध है इंजनों और डिब्बों की कमी है।

(ख) १९५६ के अन्त तक।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या यह सच है कि इस लाइन पर डिब्बों की इतनी कमी है कि यदि एक डिब्बा मरम्मत के लिए भेज दिया जाता है तो उस डिब्बे के स्थान पर कोई दूसरा डिब्बा लिये बिना ही गाड़ी को जाना पड़ता है ?

श्री अलगेशन : मैं तो कह ही चुका हूं कि डिब्बों की कमी है। परन्तु मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय सदस्य हंसी किसकी उड़ाना चाहते हैं। हम इस लाइन को और अधिक डिब्बे और इंजन देने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या यह सच है कि इस लाइन पर इंजन इतने कम हैं कि एक बार जब यह पता चला कि इंजन में खराबी थी तो यह कहा गया कि इसी इंजन को जाना ही होगा क्योंकि और कोई इंजन नहीं था। और इस प्रकार वह रास्ते में ही रह गया ?

अध्यक्ष महोदय : यह सब व्यौरे की बातें हैं

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को ऐसी बाजारू कहानियों पर विश्वास नहीं करना चाहिये।

दूर-संचार गवेषणा केन्द्र

*८२८. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **संचार** मंत्री ३० सितम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १५२३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक दूर-संचार गवेषणा केन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में अब तक कोई निर्णय किया है ;

(ख) क्या सरकार ने किसी अनुभवी दूर-संचार गवेषणा अधिकारी की सेवायें प्राप्त की हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी राष्ट्रीयता क्या है और उसका वेतन कितना है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। दूर-संचार गवेषणा केन्द्र के निदेशक के पद की पूर्ति डाक तथा तार विभाग के एक अनुभवी तार इंजीनियर द्वारा की गई है।

(ग) भारतीय। वह पदाधिकारी १६०० रुपये प्रति मास वेतन ले रहा है वेतन श्रेणी में अधिकतम १३००–१६०० रुपये है।

श्री गाडिलिंगन गौड़ : क्या मैं जान सकता हूं कि कि क्या सरकार इस गवेषणा कार्य में हमारे राष्ट्रीय-जनों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये विदेशों में भेजने की प्रस्थापना करती है ?

श्री राज बहादुर : इस समय तो हम लोग स्वयं संस्था को जिसमें प्रयोगशालायें आदि भी सम्मिलित हैं स्थापित करते हैं ; और आवश्यक कर्मचारी भर्ती करने में लगे हुए हैं सम्भव है कि बाद में इस पहलू विशेष पर भी विचार किया जाये।

श्री गाडिलिंगन गौड़ : क्या मैं जान सकता हूं कि इस गवेषणा केन्द्र की स्थापना पर कितनी लागत आयेगी ?

श्री राज बहादुर : गवेषणा प्रयोगशाला की प्रथम अवस्था में उपकरणों पर ४·४ लाख रुपये और इसके कार्यकरण के तीसरे वर्ष में ३.३४ लाख रुपये।

श्री राघवाचारी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या दूर संचार में उच्च प्रशिक्षण देने के कोई प्रबन्ध हैं ?

श्री राज बहादुर : इस संगठन विशेष का मुख्य प्रयोजन उपकरणों के प्रारूपण में गवेषणा करना; उपकरणों को सुधारना तथा दूर-संचार इंजीनियरिंग के आधारभूत पहलुओं तथा समस्याओं पर अनुसंधान करना है। प्रशिक्षण का प्रश्न इसलिये इस के अन्तर्गत नहीं आता।

रेलवे इंजीनियरिंग सेवायें

*८२९. **सरदार अकरपुरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे इंजीनियरिंग सेवाओं में भर्ती करने का क्या तरीका है ;

(ख) क्या यह सच है कि रेलवे सेवाओं में अर्ह तथा अनुभवी इंजीनियरों की कमी है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या बाहर से उपयुक्त इंजीनियरों को भर्ती करने की कोई योजना है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४६**]

सरदार अकरपुरी : क्या मैं जान सकत हूं कि यह जो रिक्रूटमेंट होता है यह डाइरेक्ट किस निस्बत से होता है और थ्रू डिपार्टमेंट किस निस्बत से होता है ?

रेलवे तथा परिवहनमंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : गज़ेटेड आफिसर्स, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिये लिये जाते हैं। ज्यादातर इंजीनियर्स यूनियन पब्लिक

सर्विस कमीशन से लिये जाते हैं सिवाय उनके कि जो तरक्की से नीचे से ऊपर आते हैं।

सरदार अकरपुरी : क्या मैं जान सकता हूं कि जो इंजीनियर्स डाइरेक्ट लिये जाते हैं, उनको रेलवे के काम की तालीम देने के वास्ते कोई इंस्टीट्यूशन है, और अगर नहीं है, तो उनको वह ट्रेनिंग किस प्रकार से दी जाती है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : इतनी उनको वाक़फ़ियत होती है। वह पूरी डिग्री ले कर आते हैं और रेलवे में काम के निस्बत अगर कोई खास बात होती है तो उनका पता काम करके उन्हें चल जाता है।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या सरकार को मालूम है कि नार्थ ईस्टर्न रेलवे में बिना इंजीनियरिंग पास किये हुए भी इंजीनियर्स ले लिये जाते हैं ?

श्री एल० बी० शास्त्री : यह तो आपके रेलवे की ख़ास ख़ूबी हुई।

पंडित डी० एन० तिवारी : गोरखपुर में मि० स्मार्ट जो इंजीनियर नहीं थे आफ़िस द्वारा वह इंजीनियर बहाल कर लिये गये...

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य नाम अलग से दे सकते हैं और उनका उल्लेख यहां नहीं करना चाहिये। उस व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिकूल भावना उत्पन्न करने से कोई लाभ नहीं है। वह यहां पर अपना बचाव करने के लिये उपस्थित नहीं हैं।

पंडित डी० एन० तिवारी : में यह जानना चाहता हूं.....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति शान्ति—प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कराधान जांच आयोग प्रतिवेदन

*७९३. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे सम्पत्ति पर स्थानीय निकायों द्वारा कर लगाये जाने के सम्बन्ध में कराधान जांच आयोग की सिफारिशों पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) अभी इस पर विचार हो रहा है।

(ख) भाग (क) के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए यह उत्पन्न ही नहीं होता।

कैन्टीनें

*७९४. **श्री गिडवानी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे अपने कर्मचारियों के लिये कई कार्यशालाओं तथा महत्वपूर्ण स्टेशनों पर कैन्टीनें चला रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन कैन्टीनों में पर्याप्त घाटा हो रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो १९५३–५४ में इन समस्त कैन्टीनों में कुल कितना घाटा हुआ ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). समस्त भारतीय रेलवे को समग्र रूप से लेते हुए तो कोई घाटा नहीं है, है, किन्तु १९५३–५४ में २३,००० रुपये का घाटा रहा था।

रेडियो तथा केबिल बोर्ड

*७९५. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले वर्ष रेडियो तथा केबिल बोर्ड द्वारा किन किन मुख्य टेकनिकल समस्याओं को हल किया गया था ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : बोर्ड द्वारा हल की गई मुख्य टेकनिकल समस्याओं को दर्शाने वाला एक विवरण लोक

सभा-पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४७]

सोन नदी पर पुल

*७९८. **श्री विभूति मिश्र** : क्या परिवहन मंत्री १० दिसम्बर, १९५४ को तारांकित प्रश्न संख्या १०४७ के उत्तर में रखे गये विवरण के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) सोन नदी पर पुल बनाने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) उस काम के कब तक समाप्त होने की सम्भावना है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख). पुल के लिये चुने हुए स्थान की उपयोगिता की जांच के नमूनों का परीक्षण प्रगति पर है और आशा की जाती है कि पुल निर्माण का प्रारम्भ तथा उसकी समाप्ति द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में पूरी हो जायेगी।

मध्य भारत में मलेरिया नियंत्रण

*८१०. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) मध्य भारत के मलेरिया पीड़ित क्षेत्रों से मलेरिया को समूल नष्ट करने के लिये सरकार द्वारा अभी तक क्या उपाय अपनाये गये हैं ; और

(ख) इस दिशा में अभी तक क्या प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशखर) : (क) राष्ट्रव्यापी रूप में देश भर में मलेरिया पर प्रभावकारी नियन्त्रण के लिये अप्रैल, १९५३ में भारत सरकार द्वारा शुरू किये गये राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत मध्य भारत को १९५३–५४ में दो मलेरिया कंट्रोल यूनिट दी गयीं। प्रोग्राम को और विस्तृत बनाने के लिये, जिससे मध्यभारत के सभी मलेरिया पीड़ित क्षेत्र इसके अन्दर आ सकें, १९५४–५५ में दो और यूनिट दी गयीं तथा १९५५–५६ में भी दो और यूनिट दी गयीं।

(ख) राज्य अधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार १९५४–५५ में २५ नगरों और ५,१८९ गांवों में डी० डी० टी० का छिड़काव किया गया, जिससे लगभग ६० लाख व्यक्तियों में से, जिन्हें मलेरिया का खतरा था, २५,२०,४६५ व्यक्तियों की रक्षा की गई।

डकोटा विमान

*८१३. **श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक व्यापारिक संस्था द्वारा चार डकोटा विमानों के अफगानिस्तान को निर्यात किये जाने की आज्ञा दी गई है ;

(ख) क्या डकोटा विमानों का कोई मूल्य निर्धारित किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मूल्य में तथा वायु निगम अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये मूल्य में क्या अन्तर है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) .आवश्यक जानकारी देने वाला एक विवरण मैं सभा-पटल पर रखता हूं। [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४८]

रेलवे अस्पताल

*८१७. **श्रीमती सुचेता कृपालानी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे अस्पतालों में कार्यकरण के नियमित समय के बाद आपाती मामलों की देखभाल करने के लिए चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध होते हं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि २५ जन, १९५४ को एक रोगी अजमेर के रेलवे अस्पताल में केवल इस कारण मर गया कि उसके अस्पताल में प्रविष्ट किये जाने के समय कोई तुरन्त चिकित्सकीय सहायता न पहुंचाई जा सकी थी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि विभिन्न क्षेत्रों द्वारा बार बार प्रार्थनायें किये जाने पर भी अभी तक समस्त मामले की जांच किये जाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है ;

(घ) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या क्या हैं ; और

(ङ) क्या सरकार इस विषय में कोई जांच कराने और प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखने की प्रस्थापना करती है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अल-गेशन): (क) से (ङ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४९]**

श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण

***८१९. श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **श्रम** मंत्री १६ अप्रैल, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २३१६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को अखिल-भारतीय श्रम संगठनों से श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण का उत्पादन कर दिये जाने के सम्बन्ध में प्रतिनिधान प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन किन संगठनों से यह प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) यह संगठन किन मुख्य तथा समान कारणों के आधार पर इस श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के उत्पादन की मांग करते हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) और (ख). जी हां, चारों संगठनों से, अर्थात् इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिन्द मज़दूर सभा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस तथा युनाईटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस ।

(ग) मुख्य कारण यह है कि इन न्यायाधिकरणों द्वारा मामलों के निपटारे में बहुत अधिक समय लगाया जाता है ।

करनूल तथा हैदराबाद में डाकघर

***८२०. श्री पी० रामस्वामी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) करनूल तथा हैदराबाद के मुख्य डाकघरों को सामान्य डाकघरों के स्तर पर लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) इन दोनों स्थानों पर डाक, तार व टेलीफोन सुविधाओं को सुधारने के लिये क्या उपाय करने की प्रस्थापना की जा रही है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) इन मुख्य डाकघरों के स्तर को ऊंचा करने के लिये कोई युक्तियुक्त कारण नहीं है ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५०]**

गुड़ के प्रमाप

***८२१. श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति द्वारा नियुक्त गुड़ तथा खंडसारी उप-समिति ने उत्तम विक्रय तथा वर्गीकरण के हेतु प्रत्येक प्रदेश के लिये तथा प्रत्येक महत्वपूर्ण मंडी के लिये गुड़ की निम्नतम प्रमाणित किस्म निर्धारित किये जाने की सिफ़ारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे निम्नतम प्रमाप निर्धारित किये गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी हां ।

(ख) अभी नहीं । गुड़ तथा खंडसारी उपसमिति की सिफारिशें अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के ध्यान में लाई गई हैं, जिसका कि सम्बन्ध गुड़ उद्योग के विकास से है ।

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय

*८२४. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि कई भाग 'ग' में के राज्यों में स्वास्थ्य सेवा निदेशालय हैं ही नहीं ;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों के नाम क्या हैं ;

(ग) उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) उन राज्यों में स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबन्ध किस प्रकार किया जा रहा है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) जी हां ।

(ख) (१) अजमेर
(२) कुर्ग
(३) कच्छ
(४) मनीपुर

(ग) इन राज्यों में काम इतना नहीं है कि एक पृथक् स्वास्थ्य निदेशालय बनाया जाता ।

(घ) इन राज्यों में स्वास्थ्य तथा चिकित्सकीय सेवाओं की व्यवस्था सिविल सर्जन अथवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जाती है ।

डाक व तार विभाग कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

*८३०. **श्री केशवैयंगार** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य भारत तथा कई अन्य स्थानों में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को डाक व तार विभाग के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर तथा दफ्तर निर्माण करने के लिये उपयुक्त ठेकेदार प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा है ; और

(ख) क्या ऐसे राज्यों में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की ओर से एम० इ० एस० प्राधिकारी काम पूरा करने की अवस्था में है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों में जहां संचार सुविधायें कठिन हैं और श्रमिक थोड़ी मात्रा में उपलब्ध होते हैं, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग कभी कभी प्रतियोगीय मूल्य कथन प्राप्त नहीं कर सका है । यह बात केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा ऐसे क्षेत्रों में किये जाने वाले सभी कार्यों पर लागू होती है डाक व तार विभाग पर विशेषतया नहीं ।

(ख) ऐसे मामलों में जहां केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग प्रतियोगीय टेंडर प्राप्त करने में असमर्थ रहता है, एम० इ० एस० की भी कोई अधिक उत्तम स्थिति नहीं होगी क्योंकि वह भी तो उसी स्रोत से टेंडर मंगाता है ।

पोस्ट कार्ड

*८३१. **श्री काजरोल्कर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि ऐसे क्षेत्रों के लिये जहां हिन्दी मातृ भाषा नहीं है, मनीआर्डर फार्म तथा पोस्ट कार्ड प्रादेशिक भाषाओं में छापे जायेंगे ताकि अहिन्दी भाषी लोग उनको ठीक ढंग से भर सकें ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : मनीआर्डर फार्मों तथा पोस्ट कार्डों को प्रादेशिक भाषाओं में मुद्रित करने का कोई विरा नहीं है ।

रेलवे में अपराध

*८३२. **श्री इब्राहीम** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अप्रल १९५४ में और अप्रैल १९५५ में क्रमशः गाड़ियों में कितनी चोरियां और डकैतियां हुई हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) :

माल तथा यात्री गाड़ियां	अप्रैल १९५४	अप्रैल १९५५
डाके	३	५
चोरियां	४४६	४२५

रेलवे का लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

*८३३. **श्री गिडवानी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लेखा परीक्षण विभाग द्वारा विभिन्न रेलों को १९५३–५४ में वेतन तथा भत्तों के अधिक दिये जाने के कितने मामलों की सूचना दी गई है ;

(ख) इन मामलों में कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है ; और

(ग) सम्बद्ध कर्मचारियों से अब तक अधिक भुगतान की गई कितनी राशि वापिस ले ली गई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) २८८४ ।

(ख) १,८९,३३४ रुपये ।

(ग) ७४,४४८ रुपये ।

पठानकोट–माधोपुर रेल सम्पर्क

*८३४. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :**
श्री पी० एन० राजभोज :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पठानकोट-माधोपुर लाइन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : अभी नहीं, श्रीमान् ।

गन्ने का मूल्य

*८३५. **श्री झूलन सिंह** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या २६ फरवरी १९५५ को नई दिल्ली में स्वीकार किये गये गन्ने के मूल्य के बारे में भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति के संकल्प पर सरकार द्वारा विचार किया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या आदसाली गन्ना बोने के मौसम के आरम्भ होने से पहले १९५६-५७ के लिये गन्ने का मूल्य निश्चित करने के बारे में कोई निर्णय किया जा चुका है?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी, हां ।

(ख) अदसाली गन्ना की बुवाई से पूर्व मूल्य निर्धारित करना न तो सम्भव है और न ही वांछनीय है ।

बेकारी

*८३६. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में सब से अधिक बेकारी है ; और

(ख) किन राज्यों में नौकरी दफ्तरों में कराये गये पंजीयनों और इन दफ्तरों के द्वारा दिलाई गई नौकरियों की संख्या में सब से अधिक अन्तर है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) विभिन्न राज्यों में फैली बेकारी सम्बन्धी कोई ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) मैसूर राज्य ।

भेड़ पालन

*८३७. **श्री हेमराज** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भेड़ पालन की उन्नति के लिये कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उस पर कितना धन खर्च किया जायेगा ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५१**]

बिना टिकट यात्रा

*८३८. **श्री एन० राचय्या** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दक्षिण रेलवे (मैसूर मण्डल) के चलती गाड़ी में टिकट की जांच करने वालों को निर्देश जारी कर दिये हैं कि वे प्रतिदिन बिना टिकट यात्रा करने वालों को पकड़ें, और ऐसा न करने पर उन्हें दंड दिया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो क्या समस्त देश के लिये यह कोई सामान्य नियम है?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) ऐसा कोई अनुदेश जारी नहीं किया गया है । अपितु दक्षिण रेलवे पर चलती गाड़ी में टिकट की जांच करने वाले प्रत्येक कर्मचारी के काम का अनुदान समय समय पर उसके स्क्वैड टोली की औसत कमाई के साथ तुलना करके किया जाता है, और जो भी कर्मचारी अपनी टोली की औसतन आमदनी के ७० या ८० प्रतिशत तक अधिक किराया इकट्ठा करने में लगातार असफल होते हैं उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाती है ।

(ख) यद्यपि समस्त रेलवेज़ पर लागू होने वाला ऐसा कोई सामान्य नियम नहीं है, किन्तु प्रत्येक रेलवे ने टिकट जांचने वाले कर्मचारियों की कार्यक्षमता की जांच करने के लिये अपने अपने व्यवहारिक प्रमाप बनाये हुये है ।

ऊपरी पुल

*८३९. **डा० रामा राव** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र में रेलवे क चौराहों के फाटकों पर ऐसे कितने ऊपर के पुल हैं जिनके निर्माण के लिये स्थानीय अधिकारियों को ऋण मंजूर किये गये हैं ; और

(ख) प्रत्येक पुल के लिये कितनी कितनी राशि मंजूर की गई है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख) भारत सरकार ने गुंटर नगर पालिका को गूंटूर नगर पालिका सीमाओं के अन्दर गुंटूर-अमरावती सड़क के ०।४ मील पर वर्तमान चौराहे के फाटक के स्थान पर एक ऊपरी पुल बनाने की लागत का अपना हिस्सा पूरा करने के लिये १.९ लाख रुपये का ऋण दिया है । इस ऋण को बढ़ा कर २.७५ लाख रुपे कर देने की प्रार्थना की गई है जो विचाराधीन है । राज्य के अन्य किसी स्थानीय निकाय के लिय कोई ऋण मंजूर नहीं किया गया है ।

रेल दुर्घटना

*८४०. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री आर० एस० तिवारी :

क्या **रेलवे** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १४ जुलाई, १९५५ को ५–३० म० पू० पर हावड़ा को जाने वाली बम्बई मेल सैन्ट्रल रेलवे के जैतवार स्टेशन पर दुर्घटना ग्रस्त हुई, जिसके फलस्वरुपचार डिब्बे पटरी से उतर गये ; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का कारण क्या था ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) १४-७-१९५५ को शाम के लगभग ५ बज कर ३७ मिनट पर, जब नं० ५ डाउन कलकत्ता मेल मध्य रेलवे के जबलपुर-इलाहाबाद सेक्शन पर जैतवार स्टेशन की लूप लाइन में दाखिल हो रही थी, मेन लाइन से लूप लाइन पर जाते समय इंजिन से लगे हुए चार डिब्बे पटरी से उतर गये ।

(ख) बम्बई के रेलवे इंसपेक्टर ने इस दुर्घटना की जांच की है । उन्हें अब तक की जांच से पता चला है कि कांटा न० ४ के मोड़ पर पटरी में खराबी आ जाने के कारण डिब्बे लाइन से उतर गये ।

खली

***८४१. ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विविध कामों के लिये खली की वार्षिक आवश्यकता क्या है और इसका वार्षिक उत्पादन क्या है ;

(ख) बिनौले की खली के निर्यात में ढील करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इसका आन्तरिक मांग पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) १९५४-५५ में पांच मुख्य प्रकार की खलियों (अर्थात्, मूंगफली, राई और सरसों, अलसी, तिल और एरंडी की खली) का उत्पादन २४·३ लाख टन अनुमान किया जाता है । विविध कामों के लिये इनकी आवश्यकता कितनी है इसकी ठीक ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) कारण ये हैं : (१) गत दो वर्षों में खली और बिनौले के आन्तरिक उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है और इसके अनुपात में इसकी मांग बढ़ी नहीं है, जिसके कारण खलियों और तिलहनों के मूल्य गिर गये हैं और (२) देश में बिनौले को पेरने को उत्साहित करने के लिये ।

(ग) पिछले कुछ महीनों में बिनौले की खली (और सभी खलियों के भी) निर्यात का घरेलू उपभोग के लिये काम में आने वाले ढोरों के चारे की उपलब्धता पर कोई बुरा प्रभाव पड़ा प्रतीत नहीं होता है ।

आसाम में टैलीग्राफ़ लाइन

***८४२. श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेज़पुर, ढेकियागुली, माज़बाट और टांगला से गोहाटी तक केवल एक ही टैलीग्राफ़ लाइन है ;

(ख) क्या इसी कारण इस लाइन पर बहुत भार रहता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार वहां एक दूसरी टैलीग्राफ़ लाइन लगाने का विचार रखती है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) वहां तीन लाइनें हैं ; ढेकियाजुली और माजबाट एक सर्किट पर काम करती है और इसके पांच अन्य स्टेशन हैं और गौहाटी तथा तेज़पुर के अन्य दो सर्किटों पर बहुत अधिक यातायात रहता है । टांगला से गोहाटी तक अन्य लाइन हैं जिस पर अन्य स्टेशन हैं ।

(ख) कुछ तंगी अवश्य रहती है परन्तु अब यह कम हो जायेगी, क्योंकि तेज़पुर और गोहाटी के बीच अब एक नवीन सर्किट चालू कर दिया गया है ।

(ग) जी, नहीं ।

तूतीकोरिन पत्तन

*८४३. **श्री सी० आर० नरसिंहन :**
श्री एस० वी० रामस्वामी :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तूतीकोरिन पत्तन न्यास द्वारा उक्त पत्तन को एक गहन समुद्र पत्तन के रूप में विस्तृत किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पत्तन न्यास बोर्ड ने वित्तीय उत्तरदायित्व का अधिकांश भाग वहन करने की इच्छा प्रकट की है और उसके शेष खर्च के लिये केन्द्र से सहायता मांगी है ;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इस मामले में कोई अभ्यावेदन किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) मद्रास सरकार ने तूतीकोरिन पत्तन को २० फुट गहरे पत्तन के काम में विकसित करने की योजना को अपनी प्रारूप दूसरी पचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया है ।

(ख) और (ग). भारत सरकार को बताया गया है कि योजना के लिये धन की व्यवस्था करने का तरीका राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

(घ) परियोजना को दूसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करवे का प्रश्न योजना आयोग के विचाराधीन है ।

माल-डिब्बों का संभरण

*८४४. **श्रीमती सुचेता कृपालानी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्य राज्यों को बीड़ी के पत्ते भजने के लिये नागपुर डिवीज़न को माल डिब्बों का कितना दैनिक अभ्यंश आवंटित किया जाता है ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार को अभ्यंश के बढ़ाये जाने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, क्योंकि मांग की तुलना में में वर्तमान अभ्यंश बिल्कुल अपर्याप्त है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) केन्द्रीय रेलवे के नागपुर डिवीजन से किसी भी स्थान के लिये बीड़ी के पत्ते भेजने के लिये इस समय प्रति दिन तीन डिब्बों का अभ्यंश निश्चित है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जुलाई १९५५ के पश्चात् से नागपुर डिवीजन से बीड़ी के पत्तों के यातायात का अभ्यंश दो माल डिब्बे प्रतिदिन से बढ़ा कर तीन डिब्बे कर दिया गया था । इसके अतिरिक्त, जब भी सम्भव होता है, समूची आवश्यकताओं की पूर्ति का ध्यान रखते हुए तदर्थ सहायता भी दी जाती है ।

बाढ़ें

*८४५. **श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में अब तक बाढ़ों के कारण विभिन्न राज्यों में कितने स्थानों पर रेलवे लाइनें बह गई हैं ;

(ख) कितने मामलों में लाइनें अभी तक ठीक नहीं की गई हैं ; और

(ग) क्या कोई मामला ऐसा भी है जहां रेल पथ बिल्कुल ही बह गया है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) उत्तरी रेलवे

में ४८ स्थानों पर और पूर्वोत्तर रेलवे में १५ स्थानों पर राज्यवार जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) उत्तरी रेलवे में चार स्थानों पर और पूर्वोत्तर रेलवे में चार स्थानों पर।

(ग) जी, नहीं।

सैनिक गाड़ियां

*८४६. **श्री गिडवानी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३–५४ में सैनिक गाड़ियों की देख रेख इत्यादि पर कुल कितना खर्च हुआ है ; और

(ख) उसी अवधि में इन गाड़ियों के उपयोग के लिये रक्षा संगठन विभाग से कितनी रकम प्राप्त हुई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) क्योंकि इसका पृथक् लेखा नहीं रखा जाता है, इसलिये यह जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) सूद टूट फूट और मरम्मत के "खर्च" के रूप में लगभग ३.२४ लाख रुपये। अभी तक लेखे के अन्तिम रूप में तैयार नहीं किये गये हैं।

स्वास्थ्य योजनायें

*८४७. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) पंचवर्षीय योजना के अन्तगत स्वास्थ्य सेवाओं के विकास के लिये निर्धारित निधियों में से आज तक कुल कितनी राशि व्यय हुई ; और

(ख) सम्पूर्ण निधि का उपयोग न करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) इस बारे में जितनी जानकारी सितम्बर १९५४ तक प्राप्त थी, वह योजना कमीशन द्वारा प्रकाशित पंचवर्षीय योजना की अप्रैल सितम्बर, १९५४ की प्रोग्रेस रिपोर्ट में दी हुई है।

(ख) अभी यह बताना कठिन है कि योजना अवधि के अन्त में कुछ निधि ऐसी भी होगी जिसका उपयोग न किया जा सके और उसके कारण।

गाड़ियों का ठीक समय पर आना जाना

*८४८. **पण्डित डी० एन० तिवारी**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि पूर्वोत्तर रेलवे पर १ अप्रैल, १९५५ से जो समय सारिणी लागू की गई थी, वह इस प्रकार बनाई गई थी कि कटिहार से गोरखपुर और गोरखपुर से कटिहार तक जाने वाली बहुत कम गाड़ियां अप्रैल से जून तक ठीक समय पर चल सकी थीं ;

(ख) क्या पहलेज़ा घाट तक जाने वाली गाड़ियां कभी भी ठीक समय पर नहीं चल सकती थीं ; और

(ग) यदि हां तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५२]**

रेल दुर्घटना

*८४९. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २७ जुलाई, १९५५ को जिस समय टाटा लोहा और इस्पात कारखाना, जमशेदपुर में कोयले के वैगन शंट किये जा रहे थे, तब सात मजदूर वैगनों के नीचे कुचल गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का ब्यौरा क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख) यह दुर्घटना टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की अपनी साइडिंग में हुई जहां कम्पनी की ज़िम्मेदारी पर काम होता है। रेलवे से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

अमरावती और नागार्जुन कोंडा

*८५०. **डा० रामा राव** : क्या **परिवहन** मंत्री २६ जुलाई, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १०५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि नागार्जुन कोंडा में एक बौद्ध विश्व विद्यालय के अवशष हैं और यह महान् बौद्ध पंडित नागार्जुन का, जो कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रवर्त्तक था, मुख्य स्थान था ; और

(ख) यदि हां, तो गंतूर ज़िले म स्थित अमरावती और नागार्जुन कोंडा के प्रसिद्ध बौद्ध विश्वविद्यालय केन्द्रों को पर्यटक यातायात के स्थानों की भांति विकसित किये जाने के लिये क्यों सम्मिलित नहीं किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां।

(ख) तारांकित प्रश्न संख्या १०५ के उत्तर के सम्बन्ध में सभा पटल पर रखी गई बौद्ध तीर्थ यात्रा के मुख्य स्थानों के विकास की योजना में केवल उन स्थानों को सम्मिलित कया गया है जो कि १९५६ में होने वाली २५०० बुद्ध जयन्ती के दृष्टिकोण से विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं और जिनके चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण हो जाने की आशा है। यह योजना किसी प्रकार से भी सवतः पूर्ण नहीं है और सम्भव है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में बौद्धों के लिये महत्वपूर्ण कुछ और स्थानों को सम्मिलित कर लिया जाये।

भारतीय कृषि अनसन्धान परिषद दुग्ध संभरण योजना

*८५१. **श्री झूलन सिंह** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की दुग्ध संभरण योजना को भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् से लेकर किसी अन्य अभिकरण को सौंप दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस हस्तान्तरण की शर्तें क्या हैं ; और

(ग) सरकार को इस सम्बन्ध में नियंत्रण और उत्तरदायित्व सम्बन्धी क्या अधिकार अभी प्राप्त हैं ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५३]**

(ग) अब भारत सरकार पर नियंत्रण अथवा उत्तरदायित्व सम्बन्धी कोई भार नहीं है।

गंगा पुल योजना में आग लगना

*३६२. **श्री एस० एन० दास** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल, १९५५ में गंगा पुल योजना की शिव जेटी में आग लग जाने के कारण डेढ़ लाख रुपये की क्षति हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसका कारण क्या था ;

(ग) क्या इस दुर्घटना के बारे में कोई जांच की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी नहीं। आग से १२,००० रुपये के नुकसान होने का अनुमान है।

(ख) आउट-बोर्ड मोटर इंजन की पेट्रोल टंकी में पेट्रोल भरते समय कुछ पेट्रोल ज़मीन पर गिर गया और उसमें हैण्ड सिगनल लैम्प से आग लग गयी जो पास ही जल रहा था।

(ग) जी हां।

(घ) इस घटना के लिये कमेटी ने कुछ कर्मचारियों को ज़िम्मेदार ठहराया। उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

वायु मार्ग

*४०१. **श्री एस० एन० दास** : क्या **संचार** मंत्री उन वायु मार्गों के नाम बताने की कृपा करेंगे जिन पर डकोटा वायुयानों के लिये पर्याप्त यात्री न होने के कारण १४ सीटों वाले हैरोन वाययानों के आने तक वायु सेवा को स्थगित कर दिया गया था ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण लोक सभा पटल पर रखता हूं। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५४]**।

रेल दुर्घटना

३८२. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ३० मई, १९५५ को उत्तर रेलवे की चुनार-चुर्क लाईन पर चुर्क रेलवे स्टेशन के शंटिग यार्ड में एक रेलवे इंजिन उलट गया था ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) जांच के फलस्वरूप क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग). ३०-५-१९५५ को रात के लगभग ९ बजे चुर्क सीमेंट फैक्टरी का एक इंजन कांटा नं० टी २४ पर पटरी से उतर गया। चुर्क स्टेशन पर इसी कांटे से सीमेंट फैक्टरी साइडिंग के लिये लाइन जाती है।

इंजन के पटरी से उतर जाने का कारण यह था कि पाइन्ट्समैन ने कांटे ग़लत लगा दिये थे। यह पाइन्ट्समैन सीमेंट फ़ैक्टरी का कर्मचारी है। इस साइडिंग का काम जिसमें कांटे लगाने का काम भी शामिल है, सीमेंट फ़ैक्टरी के हाथ में है।

उत्तर रेलवे की ओर से इस घटना की कोई जांच नहीं की गयी।

परिवहन परिशीलन संघ

३८३. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **परिवहन मंत्री** २२ मार्च, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३१६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवहन आयोजन सम्बन्धी परिशीलन संघ ने अपना प्रतिव दन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही किये जाने की प्रस्थापना है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) परिशीलन संघ ने अपने चार निर्देश पदों में से दो के सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है।

(ख) संघ की सिफ़ारिशों का सारांश प्रतिवेदन के अध्याय १७ में दिया हुआ है। प्रतिवेदन की प्रतियां संसद् के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) भविष्य के लिये आयोजन करते समय इन सिफ़ारिशों पर विचार किया जायगा ।

रेल लाइनें

३८४. **श्री कामत** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार दूसरी पंचवर्षीय योजना में उत्तर मध्य प्रदेश की विकास सम्बन्धी योजना के रूप में सागर से करेली तक, जिन की बीच की दूरी ७५ मील है, रेल लाइन बिछाने की प्रस्थापना करती है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : जिन नई रेलवे लाइनों के निर्माण काय को दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में प्रारम्भ किया जायगा उन के सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

नर्मदा पर पुल

३८५. **श्री कामत** : क्या **परिवहन** मंत्री १० दिसम्बर, १९५४ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या १०४७ के उत्तर के सम्बन्ध में रखे गये विवरण के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के नरसिंगपुर उपखण्ड (ज़िला होशंगाबाद) के बरमन (ब्रह्माण्ड) में नर्मदा पर मिश्रित रोड-रेलवे पुल के निर्माण के सम्बन्ध में अब कोई निश्चय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ होगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) बरमन के समीप नर्मदा पर कोई रेलवे लाइन नहीं है । इस कारण बरमन में रोड-रेलवे पुल निर्माण का प्रश्न ही नहीं होता है। राजपथ संख्या २६ में, बरमन की सौगोर-नरसिंगपुर रोड का नर्मदा पर रोड-पुल निर्माण कार्य, चालू पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित है ।

(ख) रोड पुल से सम्बन्धित सभी प्रारम्भिक जांच समाप्त हो चुकी है तथा रूपरेखा बनाई जा रही है । अगले वर्ष निर्माण कार्य प्रारम्भ होने की आशा है ।

घरेलू नौकर संघ

३८६. **श्री राधा रमण** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूत-पूर्व घरेलू नौकर संस्था के सदस्यों को काम देने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हां, तो १९५४ में तथा १९५५ में अभी तक कितने व्यक्तियों को काम दिया गया है ; और

(ग) कितने व्यक्ति अभी तक बेकार हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) से (ग) नौकरी दफतर, घरेलू नौकरों को पंजीबद्ध करते हैं तथा नौकरी दिलाते हैं परन्तु यह ज्ञात नहीं है कि उनमें से कितने भूतपूर्व घरेलू नौकर संघ के सदस्य हैं । नौकरी के दफ्तरों ने १९५४ में १३,६४९ घरेलू सेवा के अभ्यर्थियों को नौकरी दिलाई थी । जनवरी–जून १९५५ में, ८,३०४ पंजीबद्ध व्यक्तियों को घरेलू नौकरी दिलाई गई थी । जून १९५५ के अन्त में उनकी चाल रजिस्टरों में संख्या २०,२१५ थी ।

पर्यटक परिवहन

३८७. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३ तथा १९५४ में कितने विदेशी पर्यटक ताजमहल देखने गये थे ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : ऐसा अनुमान है कि १९५३ तथा १९५४ में क्रमशः ७००० तथा ८३०० विदेशी पर्यटकों ने ताजमहल देखा है ।

अधिक अन्न उपजाओ योजनायें

३८८. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) "अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन के अधीन १९५४–५५ में कितनी सिंचाई की छोटी योजनायें स्वीकृत हुई थीं ; और

(ख) १९५५–५६ के लिये अभी तक इस प्रकार की कितनी योजनाओं पर स्वीकृति हो चुकी है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न किया जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५५]**

रेलवे कर्मचारियों के क्वार्टर

३८९. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४–५५ में आवण्टित निधि में से उत्तर रेलवे के कर्मचारियों के क्वार्टरों के निर्माण के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : १९५४–५५ के वित्तीय वर्ष के लिये अन्तिम रूप से स्वीकृत ७७.५ लाख रुपया पूर्णतः खर्च दिया गया है ।

इंजन

३९०. **श्री एस० एन० दास** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चितरंजन लोकोमोटिव कारखाने में सबसे प्रथम बने इंजन का निर्माण मूल्य क्या है ; और

(ख) अभी तक वहां बने अन्तिम इंजन का निर्माण मूल्य क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ७.१३ लाख रुपये ।

(ख) ४.८१ लाख रुपये ।

(क) तथा (ख) में दिये हुये आंकड़ों में चितरंजन लोकोमोटिव कारखाने के सभी प्रभार चितरंजन उपनगर तथा कर्मचारी सुविधायें आदि सम्मिलित हैं । केवल उसमें पूंजी व्यय के रूप के प्रभार नहीं हैं ।

दिल्ली मार्ग परिवहन सेवा

३९१. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली तथा नई दिल्ली के विभिन्न स्कूलों तथा कालिजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दिल्ली परिवहन सेवा बसों में यात्रा के लिये कुछ रियायत दी गई है ; और

(ख) क्या सरकार दिल्ली परिवहन सेवा बसों में यात्रा करने वाले अध्यापकों को भी रेलवे के समान इस प्रकार की रियायतें स्वीकार करने का विचार है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं

सिंदरी उर्वरक

३९२. **श्री इब्राहीम** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार के कृषकों को सिंदरी उर्वरक कारखाने में उत्पादित उर्वरकों को किस दर पर दिया जाता है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : सिंदरी के कुल उत्पादन को सरकार हस्तगत करके, देश के साधनों से प्राप्त तथा विदेश से आयात की गई अमोनियम सल्फेट का संचय कर लेती है । इस प्रकार संचयित सल्फेट ३४५ रुपये प्रति टन के मूल्य पर बेच दी जाती है ।

ट्रैक्टर

३९३. श्री इब्राहीम : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ में भारी तथा छोटे आकार के कितने तथा कितने मूल्य के ट्रैक्टरों का आयात किया जायेगा ; और

(ख) इनमें से बिहार के लिये कितने ट्रैक्टर दिए जायेंगे ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन): (क) और (ख) : राज्य सरकारों में वितरण के लिये कृषि ट्रैक्टरों का आयात करने की भारत सरकार की कोई योजना नहीं है इसलिये बिहार को कृषि ट्रैक्टरों के देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है ।

फ्लाइंग तथा ग्लाईडिंग क्लबें

३९४. श्री इब्राहीम : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५–५६ में फ्लाइंग तथा ग्लाइडिंग क्लबों के द्वारा विभिन्न श्रेणियों के कितने चालकों को प्रशिक्षित करने का विचार है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : भारत सरकार को मास्टर समिति (असैनिक वायुयान चालक प्रशिक्षण समिति) की सिफारिशों के परिणामस्वरूप व्यापारिक चालकों का फ्लाइंग क्लबों में प्रशिक्षण बन्द कर दिया गया है । परन्तु फिर भी उन प्रशिक्षार्थियों को कठिनाई से बचाने के लिये, जो कि अभी व्यापारिक चालक की अनुज्ञप्ति के लिये प्रशिक्षण ले रहे हैं तथा जो प्रशिक्षण के उच्चस्तर पर पहुंच गये हैं, यह निश्चय किया गया है कि उनमें से उन व्यक्तियों को प्रशिक्षण की अनुमति दी जाये जिन्होंने अपने प्रशिक्षण काल की निश्चित तिथि तक निश्चित घंटों का उड्डन समाप्त कर लिया हो । ऐसी आशा है कि इस प्रकार के लगभग ५० प्रशिक्षार्थी 'ख' चालकों की अनुज्ञप्ति ले लेंगे ।

१९५५–५६ में अनुज्ञप्तियां अथवा प्रमाणपत्र पाने वाले अन्य चालकों की अनुमानित संख्या निम्नलिखित है :—

(क) चालक (फ्लाइंग)	२४०
(क) चालक (ग्लाडिंग)	६०
(ख) चालक (ग्लाइडिंग)	६०
(ग) चालक (ग्लाइडिंग)	२५

वेध शालायें

३९५. श्री इब्राहीम : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्दमान, निकोबार द्वीप समूह में कितनी तथा किन स्थानों पर वेधशालायें हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : अन्दमान निकोबार द्वीप समूह में छः अन्तरिक्ष शास्त्रीय वेधशालायें हैं । यह निम्नलिखित स्थानों पर स्थापित हैं :—

(१) माया बन्दर
(२) लांग आइलैंड
(३) पोर्ट ब्लेयर
(४) कार निकोबार
(५) नान कौरी
(६) कोंडुल

केन्द्रीय गवेषणा संस्था, कसौली

३९६. डा० सत्यवादी : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) १९४७–१९५४ में केन्द्रीय गवेषणा संस्था, कसौली में कितने बीमार व्यक्तियों को इंजैक्शन दिये गये, और इन इंजैक्शनों के लिये क्या राशि ली गई ;

(ख) संस्था की डिस्पैन्सरी में पिछले सात वर्षों में प्रत्येक वर्ष कितने जानवरों का इलाज किया गया ;

(ग) १९४७ से जुलाई, १९५४ और जुलाई, १९५४ से ३१ मार्च, १९५५ तक के काल में संस्था के भंडार से डिस्पैन्सरी को कितने मूल्य की दवायें दी गईं ; और

(घ) पिछले वर्ष सैनिक अस्पताल और छावनी सामान्य अस्पताल को कितने मूल्य की दवायें दी गईं और उन दोनों केन्द्रों में अलग अलग कितने कर्मचारियों का इलाज किया गया ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) आवश्यक सूचना नीचे दी जा रही है :

वर्ष	इलाज किये गये रोगियों की संख्या	वैक्सीन की रोगियों से प्राप्त कीमत रु० आ०पा०
१९४७	७४	२६३ २ ०
१९४८	६३	२४९ १४ ०
१९४९	५८	२११ ६ ०
१९५०	९४	३८७ ११ ०
१९५१	६२	२५१ ५ ०
१९५२	१४९	७७२ १ ०
१९५३	११६	८५३ ७ ६
१९५४	८०	६८५ ११ ०

(ख) डिस्पैन्सरी में इलाज किये गये जानवरों का रिकार्ड नहीं रक्खा जाता है । सिवाय घोड़ों के जिनके सम्बन्ध में मांगी गई पिछले सात वर्षों की सूचना इस प्रकार है :

वर्ष	इलाज किये गये घोड़ों की संख्या
१९४८	२२
१९४९	२८
१९५०	२९
१९५१	३०
१९५२	३२
१९५३	३३
१९५४	३३

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और मिलने पर सभा की मेज पर रख दी जायगी ।

(घ) गत वर्ष संस्था द्वारा दोनों अस्पतालों में से किसी को भी दवायें नहीं दी गईं अतः उनके मूल्य का प्रश्न ही नहीं उठता । इन दोनों अस्पतालों में संस्था के जिन कर्मचारियों का इलाज किया गया उनकी संख्या के बारे में अलग से कोई रिकार्ड प्राप्त नहीं है ।

तपेदिक के अस्पताल

३९७. डा० सत्यवादी : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि केंद्रीय सरकार से आर्थिक सहायता पाने वाले तपेदिक के अस्पतालों में विस्थापित व्यक्तियों और हरिजनों की निःशुल्क चिकित्सा के लिये कितने बिस्तरों की व्यवस्था है ?

स्वास्थय उपमंत्री (श्रीमतीचंद्र शेखर) : भारत सरकार से आर्थिक सहायता पाने वाले विभिन्न टी० बी० अस्पतालों और सेनीटोरियम में विस्थापित व्यक्तियों में से असहाय क्षय रोगियों व हरिजनों के मुफ्त इलाज के लिए ६८१ बिस्तर सुरक्षित रक्खे गये हैं ।

दिल्ली परिवहन सेवा

३९८. श्री झूलन सिंह : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दिल्ली परिवहन सेवा ने अभी तक अपनी बसों को नियत समय पर चलाने में कोई सुधार किया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : दिल्ली सड़क परिवहन अधिकारियों ने अपनी सेवाओं को नियत समय पर चलाने में ८२.६ प्रतिशत जुलाई १९५४ से जुलाई १९५५ में ८७.४ प्रतिशत सुधार कर लिया है।

गुड़ और खांडसारी

३९९. श्री झूलन सिंह : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चीनी

की तुलना में गुड़ और खांडसारी को इधर उधर भेजने में रेलों द्वारा दी गई प्राथमिकता की वर्तमान स्थिति क्या है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन): कारखानों से निकली चीनी को प्राथमिकता प्राप्त यातायात की अनुसूची में प्राथमिकता श्रेणी 'ग' दी जाती है तथा गुड़ और खांडसारी श्रेणी 'ङ' में इधर उधर ले जाती है । रेलवे बोर्ड ने गुड़ और खांडसारी को इधर उधर ले जाने में इससे अधिक प्राथमिकता इसलिये नहीं दी है क्योंकि इसका अन्य वस्तुओं के यातायात पर बुरा प्रभाव पड़ेगा तथा क्योंकि इन वस्तुओं के यातायात का कोई आयोजित प्रबन्ध रखना सम्भव नहीं था । परन्तु फिर भी जनवरी १९५५ से गुड़ और खांडसारी के इधर उधर ले जाने के लिये भिन्न भिन्न रेलों ने बैगनों का प्रतिदिन का 'कोटा' बढ़ाया था । गुड़ को शीघ्रता से इधर उधर ले जाने के यथा-सम्भव प्रयत्न जारी हैं ।

यात्री यातायात

४००. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, जून और जुलाई १९५५ में मद्रास केन्द्र स्टेशन से मलाबार एक्सप्रेस से ओलावाकोट से आगे यात्रा करने वाले तृतीय श्रेणी के यात्रियों की प्रतिदिन की औसत संख्या क्या है ;

(ख) गाड़ी में औसतन प्रतिदिन कितनी सीटों की व्यवस्था होती है ; और

(ग) यदि इस गाड़ी में बैठने की जगह अपर्याप्त है तो इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अल-गेशन) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है तथा समय पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) ३३८ ।

(ग) अधिक भीड़ के समय इस गाड़ी में एक अतिरिक्त डिब्बा जोड़ दिया जाता है ।

यात्री यातायात

४०१. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, जून तथा जुलाई १९५५ में बम्बई विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन से ओलावा-कोट (जिला मलाबार दक्षिण रेलवे) से आगे प्रति दिन औसतन कितने टिकट बांटे जाते हैं ; और

(ख) क्या भीड़ के लिये गाड़ी में पर्याप्त स्थान होता है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अल-गेशन) : (क) ७५ ।

(ख) केवल बहुत भीड़ के अवसरों को छोड़कर सामान्यतः स्थान पर्याप्त होता है उस समय अतिरिक्त यात्रियों को सीधी जाने वाली गाड़ियों के स्थान पर अन्य गाड़ियों में स्थान दे दिया जाता है ।

खाद्यान्न उपभोग

४०२. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२–५३ तथा १९५४–५५ के वर्षों में प्राक्कलित प्रति दिन प्रति व्यक्ति अनाज की कितनी मात्रा का (कैलोरीज में) उपभोग किया गया ; और

(ख) उपरोक्त वृद्धि के कितने भाग को (१) खाद्यान्न, (२) दालों तथा (३) पशुओं से प्राप्य खाद्य में हुई वृद्धि के कारण समझी जा सकती है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) और (ख) प्राप्य सूचना निम्नलिखित है :—

प्रति व्यक्ति प्राप्य खाद्यान्न की मात्रा

	कैलोरीज में		१९५२-५३ से १९५३-५४ में वृद्धि		
	१९५२-५३	१९५३-५४	सही कैलोरीज में	प्रतिशत	
खाद्यान्न	१,१५७	१,२७६	११९	(+)	१०.३
दालें तथा चना	१७९	१९४	१५	(+)	८.४
पशुओं से प्राप्त खाद्य, (मास, मछली, अंडा तथा दूध)	१५८	१६१	३	(+)	१.९
अन्य (वनस्पतियों, वनस्पति, तैल, फल तथा काष्ठफल तथा चीनी तथा गुड़	२२१	२२१	—		—
जोड	१,७१५	१,८५२	१३७	(+)	८.०

नोट : १९५४-५५ क आंकड़े अभी प्राप्य नहीं हैं।

पर्यटक सूचना कार्यालय

४०३. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **परिवहन** मंत्री १२ अप्रैल, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या २१८३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि १३ वर्तमान कार्यालयों के अतिरिक्त निकट भविष्य में किन किन स्थानों पर नये पर्यटक सूचना कार्यालय खोलने का विचार है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत भुवनेश्वर (उड़ीसा) में एक पर्यटक सूचना कार्यालय खोले जाने का विचार है।

अन्तरिक्ष शास्त्रीय वेधशालायें

४०४. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **संचार** मंत्री २५ अप्रैल, १९५५ को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या ९९९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काश्मीर से आसाम तक फैले हुये हिमालय के पहाड़ी प्रदेश में किन किन राज्यों के किन किन स्थानों पर खोली गई ७३ अन्तरिक्ष शास्त्रीय वैधशालायें काम कर रही हैं ; और

(ख) इन वेधशालाओं के अग्रेतर विकास के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) उन स्थानों के नाम तथा राज्यों के नाम, जिनमें ७३ धनवातिकी अवलोकनालय हिमालय के पार्वतीय प्रदेशों में काम कर रहे है निम्नांकित हैं :—

(१) काश्मीर

(१) गुलमर्ग
(२) पटनीटाप
(३) सोनमर्ग
(४) गुरेज
(५) ड्राफ
(६) करगिल
(७) लेह

(८) श्रीनगर*

(९) श्रीनगर (चालक वागोल अवलोकनालय)

(२) नेपाल

(१०) भोजपुर

(११) अंगबुंग

(१२) धानकुं

(१३) डुमुहन

(१४) लुंगथुंग

(१५) मेंमंग जगत

(१६) पलुट

(१७) टापकेथाक

(१८) टापलेजंग

(१९) बालंगचुंगगोला

(२०) चैनपुर

(२१) मछुघाट

(२२) मुंगा

(२३) चौड़ीखरका

(२४) कुरलेघाट

(२५) नामचीबाजार

(२६) अइसइआलूखरका

(२७) ओखलडंगा

(२८) पेकरनास

(२९) फाफलू

(३०) मानेभंजयंग

(३१) चौतरा

(३२) घूलीखेल

(३३) दोलालघाट

(३४) धुमथंग

(३५) मनदन

(३६) नेपालथोक

(३७) रामेचप

(३८) त्रिवेणी

(३९) चत्रा

(४०) बाराहक्षेत्र

(४१) बिराटनग

(४२) संदकफू

(४३) शिरहा

(४४) टोंगलू

(४५) धरनबाजार

(४६) काठमांडू †

(४७) काठमांडू (उद्धनवातिकी) अवलोकनालय)

(३) पंजाब

(४८) धरमशाला

(४९) शिमला

(५०) धरमपुर

(५१) किलोंग

(५२) कोठी

(५३) कोकसार

(५४) गोंडला

(४) उत्तर प्रदेश

(५५) मंसूरी

(५६) नैनीताल

(५७) मुक्तेश्वर

(५८) बद्रीनाथ

(५९) तपोवन

(६०) खरशाली

(६१) राणा

(६२) जमुनाचेटी

(६३) लोकपाल

---

*श्रीनगर में दो अवलोकनालय हैं। एक आई० ए० एफ० द्वारा पुष्टित चालक वागोल अवलोकनालय तथा दूसरा भारतीय घनवातिकी विभाग के कर्मचारियों द्वारा पुष्टित तल अवलोकनालय।

†काठमांडू में दो अवलोकनालय हैं एक घनवातिकी तथा दूसरा उद्घनवातिकी प्रयोजन के लिये।

(५) हिमाचल प्रदेश

(६४) डलहौजी
(६५) मंडी
(६६) चूम्बी
(६७) ज्ञांटसे
(६८) लासा

(७) पश्चिमी बंगाल

(६९) दार्जिलिंग
(७०) कालिमपोंग

(८) सिक्किम

(७१) चुंवथंग
(७२) थंगू
(७३) लाचेन

(ख) इनमें से बहुत से अवलोकनालय साधारण यंत्रों से सज्जित हैं जैसे वायुभार मापक-यंत्र, तापमापक-यंत्र, वर्षाग्रामान अथवा हिमग्रामान, और वायु की गति तथा दिशा मापने के लिये वायुगतिमापक एवं वायुफलक आदि । नेपाल के कोसी जलग्रह क्षेत्र के विभिन्न भागों में वर्षा की तीव्रता के सम्बन्ध में पर्याप्त सूचना एकत्रित करने के लिये स्वग्रमि लेखक वर्षाग्रामान यंत्रों की स्थापना द्वारा निम्न अवलोकनालयों को विकसित करने का प्रस्ताव है ।

फाफलू	टापकेथाक
वालंगचुंगगोला	अंगबुंग
नामची-बाज़ार	चौतरा
धुमथंग	चैनपुर

कुछ अवलोकनालयों में उद्धाष्पमान यंत्र और उद्धविन्दुरेख यंत्र लगाये जायेंगे जिससे उनके द्वारा जलग्रह क्षेत्र के अवशिष्ट जल को आंकने के लिये आवश्यक अतिरिक्त सूचना प्राप्त की जा सके ।

भोजन व्यवस्था

४०५. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे के कितने स्टेशनों के सम्बन्ध में चाय और जलपान तथा फल विक्रेताओं के लिये आवेदन पत्र मांगे गये हैं;

(ख) इन ठेकों को देने के लिये किन बातों को विचाराधीन रखा जायगा ; और

(ग) क्या अपेक्षित अनुभव वाले स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जायेगी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :

(क) (१) चाय की दूकानों तथा प्लेटफार्म पर बिक्री के लिये ५१

(२) फल की दूकानों के लिये १

(३) जलपान-गृह तथा प्लेटफार्म पर बिक्री दोनों के ठेकों के लिये १३

(ख) और (ग). बड़े स्टेशनों पर सामान्यतः यह ठेके उपयुक्त व्यापारियों तथा अनुभवी भोजन व्यवस्था करने वालों को दिये जाते हैं । छोटे स्टेशनों पर सामान्यतः यह स्थानीय व्यापारियों को तथा अनुभवी शरणार्थी अनुभवी भोजन व्यवस्था करने वालों को तथा क्षेत्र में स्थापित विक्रेताओं को दिये जाते हैं ।

अन्तरिक्ष विज्ञान केन्द्र

४०६. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अन्तरिक्ष विज्ञान केन्द्र बंगाल की खाड़ी तथा भारत के पूर्वी तट के मौसम के सम्बन्ध में भविष्यवाणी करने में कहां तक सहायक होते हैं ;

(ख) क्या किसानों के लिये मौसम सम्बन्धी भविष्यवाणी की सूचना करने के लिये इन द्वीप समूहों के अन्तरिक्ष विज्ञान केन्द्र आपस में एक दूसरे की सहायता करते हैं ; और

(ग) इन केन्द्रों में कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं तथा इनके वेतन क्रम क्या हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) क्योंकि यह अन्तरिक्ष विज्ञान वेधशालायें अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह, जो कि बंगाल की खाड़ी के मध्य में स्थापित हैं इसी कारणवश इन वेधशालाओं के अनुमानिक आंकड़ों से बंगाल की खाड़ी तथा अन्दमान समुद्र में उठने वाले तूफानों का प्रथम निर्देश मिल जाता है तथा इसीलिये विशेषतया नौवहन पोतों, बन्दरगाहों तथा उड्डयनों और सामान्य जनता को तूफानों की चेतावनी मिल जाती है ।

(ख) अन्दमान, निकोबार द्वीप समूह से किसानों के लिये मौसम के बुलेटिन, अभी नहीं निकलते हैं । परन्तु इन वेधशालाओं से प्राप्त अनुमान के आंकड़े सभी व्यक्तियों जिसमें पूर्वी तटीय क्षेत्रों के किसान भी हैं का लाभ, सम्बन्धी मौसम की भविष्यवाणी करने में बहुत सहायता देते हैं ।

(ग) पोर्ट ब्लेयर की वेधशाला में भारतीय अन्तरिक्ष विज्ञान विभाग के पूरे समय के ये कर्मचारी नियुक्त हैं :—

१. व्यापारिक सहायक
२. वैज्ञानिक सहायक
३. वरिष्ठ अवलोकक
४. रात्रि का चौकीदार

पोर्ट ब्लयर के उपरिलिखित कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन तथा भत्ते के ब्यौरे सम्बद्ध विवरण में दिये गये हैं । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५६]** । माया बन्दर, लांग आइलैन्ड, कार निकोबार, नानकौरी तथा कोंडुल की अन्य वेधशालाओं में प्रत्येक में दो अवलोकक हैं तथा इनका भत्ता २९ रुपये प्रति माह प्रति वेधशाला स्थानीय सरकार के पुलिस विभाग के कार्यालय से इनको दिया जाता है । उनको उनके मूल विभाग से मिलने वाला वेतन तथा भत्ता मिलता है ।

रेलवे पर काम

४०७. श्री मात्तन : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे की निम्नांकित व्यावहारिक समस्याओं को सुलझाने के लिये क्या-क्या कदम उठाये गये हैं :—

(१) कार्यालय के स्थान की कमी;

(२) एयर कंडीशन यंत्र (शीतोष्ण नियंत्रण) और जलशीतक लगाकर कार्यालयों में काम करने की हालत में सुधार करना ;

(३) कौम्प्टोमीटर कार्ड इंडैक्स आदि जैसी मेहनत बचाने वाली मशीनें लगाकर कार्यालयों में काम को आधुनिक बनाना ; और

(४) कर्मचारियों की कमी, जिसके कारण कर्मचारियों को अपनी अर्जित छुट्टी लेना बहुत मुश्किल हो जाता है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (१) विद्यमान कार्यालयों को बढ़ा कर, नये कार्यालय बनाकर और गैर-रेलवे मकानादि को किराये पर लेकर जहां जरूरत हो अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था की जाती है ।

(२) रेलवे बोर्ड की नीति के अनुसार, महाप्रबन्धकों के कमरे, अस्पताल, असैनिक और मशीनी ड्राइंग के कार्यालय, विभागों के प्रमुख और उप-प्रमुखों के कार्यालय के कमरे, तार स्टेशन, केन्द्रीय कार्यालय, स्वचालित टेलीफोन विनिमय-केन्द्र आदि सेवाओं के भवनों में एक कार्यक्रम के आधार पर एयर-कंडीशन यंत्र लगाये जायेंगे ।

कारखाना अधिनियम से शासित होने वाले कारखानों और अन्य इकाइयों में जहां २५० से अधिक व्यक्ति काम करते हैं, बिजली के जलशीतक लगाये जाते हैं। वे महा मुख्यालयों, डिवीजन कार्यालयों और प्रादेशिक कार्यालयों जैसे बड़े-बड़े कार्यालयों में भी लगाये जाते हैं, पर ये एक कार्यक्रम के आधार पर कुछ वर्षों में लगने को हैं।

(३) ऐसी मशीनों को उन स्थानों पर काम में लाया जाता है, जहां उनको उपयोगी रूप में काम में लाया जा सकता है।

(४) रेलवे विभाग में अवकाश के लिये पर्याप्त संरक्षित व्यक्ति रखे जाते हैं और अर्जित छट्टी बहुत कम अस्वीकृत की जाती है।

हड़तालें

४०८. **सेठ गोविन्द दास :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मई १९५५ में अमृतसर की कपड़ा मिलों में हड़ताल के कारण कितने काम के घंटों की क्षति हुई ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : केन्द्रीय सरकार के पास अपेक्षित जानकारी प्राप्त नहीं है। इस विषय के लिये राज्य-सरकार जिम्मेवार है।

ट्रैक्टर

४०९. **श्री जी० पी० सिन्हा :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५५ में अभी तक खेती के काम के लिये कितने ट्रैक्टरों का आयात किया गया है ; और

(ख) किन किन देशों से उनका आयात किया गया है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) और (ख). खेती सम्बन्धी ट्रैक्टरों की संख्या और उन देशों के नाम जहां से जनवरी—जून १९५५ के समय में उनका आयात किया गया था उनके नाम निम्न-लिखित हैं: —

क्रमांक	देशों के नाम	ट्रैक्टरों की संख्या
१.	इंगलैण्ड	१०१७
२.	सं० रा० अमरीका	२०१
३.	जर्मनी	१९९
४.	इटली	२
५.	कनाडा	७
६.	जेकोस्लोवाकिया	४१
७.	रूस	२
		१४६९

रेलवे पर डकैती

४१०. **चौधरी मुहम्मद शफी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी रेलवे के धोला जंकशन के पास जलालपुर-मंडवा नामक छोटे (फ्लैग) स्टेशन पर मई १९५५ में डाकुओं ने हमला किया था ;

(ख) यदि हां तो डाके में कुल कितनी क्षति हुई ; और

(ग) क्या डाकुओं को गिरफ्तार किया गया है और दंड दिया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां।

(ख) प्रभारी क्लर्क की, जो काम पर था एक घड़ी और २२ रुपये।

(ग) अभी तक नहीं।

असैनिक अस्पताल

४११. **श्री राधा रमण :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) १९५४-५५ में पूरे देश में कितने असैनिक अस्पताल खोले गये हैं ; और

(ख) १९५५-५६ और १९५६-५७ में ऐसे कितने अस्पताल खोले जायेंगे और वे किन-किन राज्यों में खोले जायेंगे ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) तथा (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और मिलने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रेलवे-आय

४१२. **श्री बी० सी० दास** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे द्वारा (१) बरहमपुर (गंजाम में मई के दूसरे सप्ताह में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक (२) पुरी में मार्च १९५२ में हुए सर्वोदय सम्मेलन (३) पुरी में मार्च १९५५ में हुए अखिल भारतीय प्राइमरी अध्यापक सम्मेलन और (४) पुरी में हाल में हुए रथयात्रा उत्सव के लिये विशेष सुविधायें देने में कितना अतिरिक्त व्यय किया गया; और

(ख) प्रत्येक अवसर पर कितने व्यक्ति आये और गये ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) अतिरिक्त व्यय के ब्यौरे निम्नलिखित हैं—

(१) बरहमपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति रु० २२,४६३-४-०

(२) पुरी में सर्वोदय सम्मेलन रु० ४१६९-६-०

(३) पुरी मे अखिल भारतीय प्राइमरी अध्यापक सम्मेलन रु० ६५२-४-०

(४) पुरी में रथयात्रा उत्सव रु० ५,४४९-४-०

(ख) खेद है कि इनमें से प्रत्येक अवसर के अलग-अलग विश्वस्त आंकड़े प्राप्त नहीं हैं।

औरंगनगर रेलवे स्टेशन

४१३. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का औरंगनगर स्टेशन को उत्तर रेलवे के मलिकपुर पर बदल देने का विचार हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

रलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) औरंगनगर पर गाड़ी रुकने के स्थान को ३१-५-५५ को ६८/५ मील से ६९/१८ मील पर बदल दिया गया है।

(ख) मलिकपुर और आस-पास के गांवों के निवासियों ने गाड़ी रुकने की जगह को बदलने का सुझाव दिया था। इस सुझाव की जांच करने से पता चला कि विभाजन के बाद रुकने की पुरानी जगह की आबादी अब विरल हो गयी है। इस प्रस्ताव की स्थानीय असैनिक अधिकारियों ने भी सिफारिश की थी।

आगरा में काम दिलाऊ दफ्तर

४१४. **सेठ अचल सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५४-५५ में आगरा के काम दिलाऊ दफ्तर में कितने लोग पंजीबद्ध हुए थे ;

(ख) उनमें से कितनों को रोजगार दिलाया गया ;

(ग) क्या यह सच है कि वर्षों पहले पंजीबद्ध हुए लोगों को रोजगार नहीं दिलाया जाता है, जबकि बाद में पंजीबद्ध हुए व्यक्तियों को रोजगार देने की बात पर विचार किया जाता है ; और

(घ) आगरा के नौकरी-दफ्तर पर होने वाला अनुमानित वार्षिक व्यय कितना है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) २८,१९२।

(ख) २१३५।

(ग) समान योग्यता होने पर पहले पंजीबद्ध हुए लोगों को पहले भेजा जाता है, पर जब पहले पंजीबद्ध हुए लोगों के पास अपेक्षित योग्यता नहीं होती, तो काम देने

वालों की आवश्यकता के अनुसार उनके पीछे आने वाले लोगों को भेजा जाता है।

(घ) १९५४–५५ में व्यय रु०६४५,०० था।

बिहार में अन्न के भाव में वृद्धि

४१५. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में विशेषतः उत्तरी बिहार में खाद्य-अन्नों के दाम जून, १९५५ से तेजी से बढ़ते जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी नहीं, बिहार में खाद्य अन्नों के दाम में तेजी से वृद्धि नहीं हुई है यद्यपि सामान्य रूप से मौसमी भाव कुछ बढ़ गये हैं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नही होते।

रेलवे स्कूल, लल्लागुडा

४१६. **श्री पी० रामस्वामी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे हाई स्कूल, लल्लागुडा, सिकन्दराबाद के लिये पक्की इमारत बनने में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इमारत कब तैयार हो जायेगी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अल-गेशन) : (क) और (ख). विचार यह है कि ग्रेनशौप डिपो की इमारतों को, जो अब बेकार हैं, जोड़-तोड़ करने के बाद रेलवे स्कूल के इस्तैमाल के लिये उपयुक्त बना दिया जाये। इन इमारतों को स्थायी स्कूल इमारत में बदल देने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है। इस काम को १९५६–५७ में आरम्भ और समाप्त कर देने के लिये उस वर्ष के निर्माण-कार्यों में शामिल किया जा रहा है।

रेलों का देरी से चलना

४१७. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अप्रैल से ३० जून, १९५५ तक की कालावधि में कितनी बार ३६२।४०० डाउन ट्रेन समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर इलाहाबाद पैसेंजर से मिलान नहीं कर सकी; और

(ख) स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अल-गेशन) : (क) तेईस। शायद मतलब ३६२।४४० से है न कि ३६२।४०० से।

(ख) समस्तीपुर में गाड़ियों के मेल न होने की जो शिकायत है उसे दूर करने के लिये जरूरी कार्यवाही की गयी है। गाड़ियों में मेल न होने का मुख्य कारण यह था कि गाड़ी नं० ३६२।४४० लेट चला करती थी। इस गाड़ी की चाल में सुधार किया गया जिससे मई और जून, १९५५ में हालत कुछ सुधरी, लेकिन जुलाई, १९५५ में पूर्वोत्तर रेलवे में कई जगह लाइन टूट जाने के कारण हालत कुछ बिगड़ गयी। आशा है जब गाड़ियां सामान्य रूप से चलने लगेंगी, तो हालत बहुत कुछ सुधर जायगी।

काम दिलाऊ दफ्तर, खड़गपुर

४१८. **श्री सुबोध हासदा** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५४–५५ में काम दिलाऊ दफ्तर, खड़गपुर, पश्चिमी बंगाल में

अनुसूचित जातियों के कितने उम्मीदवारों को पंजीबद्ध किया गया था ; और

(ख) उक्त काल में खड़गपुर के रेलवे-कारखाने में पंजीबद्ध उम्मीदवारों में से कितने को रोजगार दिलाया गया है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) (क) ८०४ ।

(ख) १ ।

रेलवे की जमीन

४१९. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **रेलवे** मंत्री ३० मार्च, १९५५ को दिये गय तारांकित प्रश्न संख्या १७०८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार को देने के पहले दीघवाड़ा रेलवे स्टेशन के पास की जमीन किसी गैर-सरकारी व्यक्ति को पट्टे पर दी गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो किसके द्वारा, कितने वर्षों के लिये और कितने लगान पर ; और

(ग) क्या यह सच है कि एक पट्टेदार के ज़िम्मे अब भी काफी राशि बाकी है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) जुलाई, १९४६ में राज्य सरकार को देने से पहले जमीन दो व्यक्तियों के पास रही ; अर्थात् श्री राम विनोद सिंह के पास रु० ८।८।– प्रति एकड़ प्रति वर्ष के लगान की दर से एक वष रही और श्री रामानन्द राय के पास उसी दर से दो वर्ष रही ।

(ग) जी नहीं ।

अगरतला–सियना सड़क

४२०. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **परिवहन** मंत्री ४ अप्रैल, १९५५ को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या ५६४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में अगरतला-सियना सड़क को समतल करने का काम शुरू हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख) काम के सितम्बर, १९५५ में शुरू होने और मार्च, १९५८ तक समाप्त हो जाने की आशा है ।

एक्सप्रेस रेल

४२१. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार बीना कटनी होते हुए अहमदाबाद से बिलासपुर को एक एक्सप्रेस रेल चलाने का विचार करती है ; और

(ख) यदि हां, तो कब से ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

काम दिलाऊ दफ्तर, हावड़ा

४२२. **श्री सुबोध हासदा** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५४ में काम दिलाऊ दफ्तर, हावड़ा में अनुसूचित जातियों के कुल कितने उम्मीदवार पंजीबद्ध किये गये थे; और

(ख) उनमें से कितनों को (१) केन्द्रीय सरकार और (२) राज्य सरकार के अधीन नौकरी दिलायी गयी है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) ५२ ।

(ख) (१) १९ ।

(२) कोई नहीं ।

बिजली लगाना

४२३. **श्री सुबोध हासदा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हावड़ा-खड़गपुर रेलवे खंड (सैक्शन) में बिजली लगाना चाहती है ; और

(ख) यदि हां, तो काम के कब तक शुरू होने की आशा है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) अन्य खंडों के साथ इस खंड पर भी विचार हो रहा है, पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रेलवे लाइनों में बिजली लगाने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

केन्द्रीय ट्रैक्टर संस्था

४२४. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आजकल केन्द्रीय ट्रैक्टर संस्था में पदाधिकारियों और चतुर्थ श्रेणियों के कर्मचारियों की अलग अलग संख्या कितनी है ; और

(ख) उनमें से कितने व्यक्ति क्षेत्र (फील्ड) कार्य में लगे हुये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) और (ख) ३० जून १९५५ को केन्द्रीय ट्रैक्टर संस्था में काम करने वाले पदाधिकारियों की संख्या विवरण के रूप में सभा की टेबिल पर रख दी गई है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५७]**

भर्ती

४२५. **श्री गणपति राम** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुरादाबाद डिवीजन के लक्सर रेलवे लोको शेड में हाल ही में कुछ नियुक्तियां की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ;

(ग) कितने उम्मीदवार थे, और उनमें से कितने व्यक्ति चुने गये ; और

(घ) कितने हरिजन उम्मीदवार थे, और उनमें से कितने चुने गये ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (घ) अभी कुछ समय पहले लक्सर लोको शेड में लोको क्लीनरों का चुनाव किया गया था। कुल १८२६ उम्मीदवार थे जिनमें से १९५ लिये गये। उम्मीदवारों में १८ हरिजन थे, जिनमें से १३ चुने गये हैं।

रेलगाड़ी सर्विस

४२६. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेजपुर से उत्तरी बंगाल को चलने वाली नौर्थ बैंक एक्सप्रैस अब तेजपुर के बदले अमीनगांव से चलती है; और

(ख) यदि हां, तो इस परिवर्तन के कारण क्या हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) और (ख) संख्या ३०५।३०६ एक्सप्रैस गाड़ियां अब मनिहारी घाट और माल जंक्शन के बीच चल रही हैं।

२६-७-५४ से पहले ये गाड़ियां मनिहारी घाट और अमीनगांव के बीच चलती थीं, इन गाड़ियों में दो कोचें तेजपुर होकर आती जाती थीं। विचार यह है कि १-१०-५५ से इसी स्थिति को फिर ले आया जाये।

इटारसी रेलवे स्टेशन

४२७. **श्री कामत** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इटारसी मध्य प्रदेश के दोनों ओर सड़क रेलवे के समतल चौराहे पर सड़क के यातायात के प्रति-

दिन रुक जाने की ओर आकर्षित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अल-गेशन) : (क) इटारसी के दोनों ओर सड़क-रेलवे के समतल चौराहे पर सड़क के यातायात के प्राय: रुक जाने की कोई शिकायत नहीं मिली है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

इटारसी रेलवे स्टेशन

४२८. **श्री कामत** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इटारसी में रेलवे टिकट घर की खिड़की पर लगने वाली लम्बी लाइनों और भारी भीड़ की ओर आकर्षित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अल-गेशन) : (क) ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है ।

(ख) इस मामले में स्थानीय अधिकारी निरन्तर स्थिति का पुनर्विलोकन करते रहते हैं ।

रेल गाड़ियों में सोने का स्थान

४२९. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस, फ्रन्टियर मेल, बम्बई मद्रास एक्सप्रेस और डाक गाड़ियों के तीसरे दरजे के मुसाफिरों के लिए सोने के स्थान की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव किया गया है ; और

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अल-गेशन) : (क) वर्णित रेल गाड़ियों पर तीसरे दरजे के मुसाफिरों के लिए सोने के स्थान की व्यवस्था सम्बन्धी कोई ठोस प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है ।

(ख) कुछेक गाड़ियों पर सोने के स्थान की प्रयोगात्मक आधार पर व्यवस्था की गई है तथा अनुभव के प्राप्त होने पर दूसरी गाड़ियों पर ऐसी व्यवस्था के करने के प्रश्न पर भी विचार किया जायगा ।

विशेष रेलें

४३०. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री साधन गुप्त :

क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस इरादे से कि लोग तुकराल गांव की श्रीमती गेंद कुंवर बाई को सती होते हुये देख सकें, आगरा और उज्जैन के बीच संकरी लाईन पर रेलवे प्राधिकारियों द्वारा तराना स्टेशन तक एक विशेष गाड़ी चलाई गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो यह विशेष प्रबन्ध क्यों किया गया ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अल-गेशन): (क) और (ख) सूचना इस प्रकार है :—

चलायी गयी स्पेशल गाड़ियों का ब्यौरा		कारण
(१)	२९–७–५५ को उज्जैन से घोसला के लिए दो स्पेशल गाड़ियां ।	तुकराल गांव के रास्ते में घोसला स्टेशन जाने वाले यात्रियों की भीड़ हटाने के लिए ।
(२)	३१–७–५५ और १-८-५५ को घोसला से उज्जैन के लिए ६ स्पेशल गाड़ियां ।	घोसला में इकट्ठे यात्रियों को उज्जैन और मकोरिया-आम वापस लाने के लिए ।

नोट:—घोसला स्टेशन मध्य रेलवे के उज्जैन-आगरा (आगरा नहीं) खण्ड में है ।

स्वास्थ्य कैंटीन

४३१. **श्री एम० एल० अग्रवाल** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी कर्मचारियों के लिए सचिवालय (सेक्रेटरियेट) में जो स्वास्थ्य कैंटीन चलाया जा रहा है, उसकी स्थापना कब हुई थी ;

(ख) क्या उक्त कैन्टीन को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता मिलती है ;

(ग) यदि हां, तो (१) वार्षिक वित्तीय सहायता की राशि कितनी है (२) अभी तक दी गई वित्तीय सहायता की कुल राशि कितनी है तथा (३) यह कब तक से दी जा रही है ;

(घ) क्या यह सच है कि यह कैन्टीन निरन्तर हानि पर चल रही है ; और

(ङ) यदि हां तो जब से सरकार यह वित्तीय सहायता दे रही है, प्रतिवर्ष हानि की कुल राशि ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) १७ जनवरी, १९४९ ।

(ख) सरकार ने समय समय पर इस स्वास्थ्य कन्टीन को अनुदान दिए हैं ।

(ग) कोई वार्षिक वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है । १९५१–५२ से १९५३–५४ तक के वर्षों में निम्नलिखित सहायता दी गई है :

१९५१-५२	१००० रुपये
१९५२-५३	२००० रुपये
१९५३-५४	२५०० रुपये

(घ) जी नहीं

(ङ) उत्पन्न नहीं होता ।

उर्वरक

४३२. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें पिछले तीन वर्षों में विभिन्न राज्यों को आवांटित उर्वरकों की मात्रा का वर्णन किया गया हो ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५८]**

नल-कूप

४३३. **श्री रामदास** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अप्रैल १९५४ से पंजाब में जिलावार कितने नलकूप खोदे गए हैं ;

(ख) उनकी ज़िलावार खुदाई के व्यय में कितना अन्तर है ; और

(ग) इन कुओं के लिए केन्द्रीय सरकार ने पंजाब सरकार को कितनी सहायता या ऋण दिया है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : सूचना राज्य सरकार से मांगी गई है तथा प्राप्त होने पर सभा को उपलब्ध की जायगी ।

भ्रष्टाचार

४३४. **श्री राम दास** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम जनवरी से ३० जून १९५५ तक के काल में प्रत्येक श्रेणी में ऐसे रेल कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें अवैध परितोषणा के स्वीकार करने के अपराध में न्यायालयों द्वारा दोष सिद्ध क़रार दिया गया, या विभागीय रूप से बरखास्त किया गया, निम्न वेतन-क्रम में रखा गया अथवा मुअत्तल किया गया ; और

(ख) इनमें कितने कर्मचारियों की क्रमशः माल के यातायात और मुसाफ़िरों के यातायात से था ।

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : एक विवरण संलग्न किया जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५,अनुबन्ध संख्या ५९]**

नस्ली सांड

४३५. श्री राम दास : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री ३ अगस्त, १९५५ को दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या १८५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि वैज्ञानिक पशु-पालन योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को कितने नस्ली सांड दिए गए हैं ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : अमरीका से प्राविधिक सहयोग मिशन के अन्तर्गत नस्ली साड किसी राज्य को नहीं दिया गया है ।

लोक-सभा

बुधवार,
१७ अगस्त, १९५५

वाद-विवाद

18/4/83

Chamber Fumigated

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ६, १९५५

(१६ अगस्त से ३ सितम्बर, १९५५)

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
3-4-92
Fumigated
On 11.7.83
Parliament Library

दसम सत्र, १९५५

(खंड ६ में अंक १६ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली ।

विषय-सूची

(खंड ६, अंक १६—३०, १६ अगस्त से ३ सितम्बर १९५५)

अंक १६—मंगलवार, १६ अगस्त, १९५५

स्तम्भ

स्थगन प्रस्ताव—

गोआ के स्वतंत्रता आन्दोलन के प्रति सरकार की नीति . . १३४३–१३५०

सभा पटल पर रखे गये पत्र—

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का वार्षिक प्रतिवेदन . . १३५०–१३५१

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियम १३५१

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . १३५१

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—

असमाप्त . . . १३५१–१४०८

अंक १७—बुधवार, १७ अगस्त, १९५५

राज्य-सभा से सन्देश १४०९

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—

चौतीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित १४१०

गोआ स्थिति के बारे में वक्तव्य . . . १४१०–१४

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—

असमाप्त १४१४–८९, १४८९–९२

सभा का कार्य १४८९

अंक १८—गुरुवार, १८ अगस्त, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—

पुर्तगाली अत्याचारों के विरुद्ध प्रदर्शन १४९३–९७

राज्य-सभा से सन्देश १४९७–९८, १५७७–७८

सभा-पटल पर रखा गया पत्र—

बाढ़ की स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य १४९८–१५०३

गोआ के सम्बन्ध में वक्तव्य १५०३–१५०४

उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण के बारे में वक्तव्य . १५०४–१५०७

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—

असमाप्त १५०७–७६

अंक १९—शुक्रवार, १९ अगस्त, १९५५

कार्य मंत्रणा समिति—
तेईसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित १५७९
भारतीय शस्त्रास्त्र अधिनियम—
याचिका का उपस्थापन १५७९
तारांकित प्रश्न संख्या के उत्तर में शुद्धि १५७९–८०
समितियों के लिये निर्वाचन—
रबड़ बोर्ड १५८०
काफी बोर्ड १५८१
समवाय विधेयक—जारी
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का
प्रस्ताव—स्वीकृत १५८१–१६१६
श्री सी० डी० देशमुख १५८१–१६१६
प्रेस आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त . . . १६१६–१६४२
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—
चौतीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत १६४२–४३
विदेशी राज्यों से उपाधि तथा उपहार (स्वीकृति पर दंड) विधेयक—
वापिस लिया गया १६४३–६८
विचार करने का प्रस्ताव १६४३–६८
बाल भिक्षा तथा आवारापन निवारण विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . १६६८–८६

अंक २०—शनिवार, २० अगस्त, १९५५

राज्य-सभा से सन्देश १६८७
परक्राम्य संलेख (संशोधन) विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया . . १६८७
सभा-पटल पर रखा गया पत्र—
इंजीनियर स्टील फाइल उद्योग के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रति-
वेदन १६८७–८८
कार्य मंत्रणा समिति—
तेईसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत १६८८–८९
प्रेस आयोग के प्रतिदवेन के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त . . . १६८९–१७५८

अंक २१—सोमवार, २२ अगस्त, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—
समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें . . १७५९
रक्षित तथा सहायक वायुसेना अधिनियम के नियमों में संशोधन . १७५९–६०
बैंक पंचाट आयोग का प्रतिवेदन १७६०

बैंक पंचाट आयोग की सिफारिशों के बारे में वक्तव्य . . १७६१–६५
प्रेस आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—
संशोधित रूप में स्वीकृत १७६५–१८४४
अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) चालू रखना विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . १८४४

अंक २२—मंगलवार, २३ अगस्त, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—
विकास-परिषदों के प्रतिवेदन—
(१) भारी रसायन (अम्ल और उर्वरक) . . . १८४५
(२) अन्तर्दहन एंजिन और बिजली से चलने वाले पम्प . . १८४५–४६
(३) साइकिलें १८४६
(४) चीनी १८४६
काफी नियम, १९५५ . . . . . १८४६
रबड़ नियम, १९५५ . . . . . १८४६
अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) चालू रखना विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत १८४६–१९१८
खण्ड २, ३ और १ . . . . १९१९
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—असमाप्त . .
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में खंडों पर विचार—
असमाप्त १९१९–५२
खण्ड २ से १० . . . . . १९२०–५२

अंक २३—बुधवार, २४ अगस्त, १९५५

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
पैंतीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . १९५३
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में . . १९५३–२०४४
खंडों पर विचार—असमाप्त . . .
खण्ड २ से १० . . . . १९५३–२०२२
खण्ड ११ से ६७ . . . . . २०२२–२०४४

अंक २४—गुरुवार, २५ अगस्त, १९५५

समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—
खंडों पर विचार—असमाप्त २०४५–२१३८
खंड ११ से ६७ . २०४५–२०७९
खंड ६८ से ८० . . . २०७९–२१०२
खंड ८१ से १४४ . . . २१०२–२१३८

अंक २५—शुक्रवार, २६ अगस्त, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—
सरकार द्वारा आश्वासनों आदि पर की गई कार्यवाही के विवरण २१३९-४०
राज्य-सभा से सन्देश . . . २१४०-४१
एक सदस्य की मुअत्तली . . . . . २१४१—४४
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—
खंडों पर विचार—असमाप्त २१४१,४४—९४
खंड ८१ से १४४ . . . . . २१४१,४४—९४
सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
पैंतीसवां प्रतिवेदन—संशोधित रूप में स्वीकृत . . . २१९४—९७
वैदेशिक व्यापार पर राज्य के एकाधिपत्य के बारे में संकल्प—असमाप्त . २१९७—२२३२

अंक २६—मंगलवार, ३० अगस्त, १९५५

विशेषाधिकार का प्रश्न . . . . . २२३३—३५
सदस्य की मुअत्तली की समाप्ति के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत २२३५—३९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र—
केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कार्य का प्रतिवेदन १९५४-५५ . २२३९
केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा निकाला गया बुलेटिन संख्या २२ . . २२३९
मैसूर की सोने की खानों सम्बन्धी विनियमों में संशोधन १९५३ . २२४०
खान नियम १९५५ . . . . . २२४०
समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . २२४०-४१
राज्य-सभा से सन्देश . . . २२४१
कशाघात उत्सादन विधेयक—
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . २२४१
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
मुर्शिदाबाद के निकट रेलवे दुर्घटना . . . . २२४१—४४
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—
खंडों पर विचार—असमाप्त २२४४—२३३०
खंड १४५ से १९६ . २२४४—९३
खंड १९७ से २०७ . . २२९३—२३३०

अंक २७—बुधवार, ३१ अगस्त, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना २३३१
कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्राक्कलन २३३१
राज्य सभा से सन्देश . . . २३३२

लोक लेखा समिति—
तेरहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . २३३२
सरकारी भूगृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक—
प्रवर समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . . २३३२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
बी० सी० जी० के टीके लगाने का आन्दोलन . . . २३३२—३९
समवाय विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में— २३३९—२४३२
खंडों पर विचार—असमाप्त
खंड १९७ से २०७ . . . . . २३३९—२४१०
खंड २०८ से २५० . . . . . २४११—३२
रेलों का पुनर्वर्गीकरण . . . . . २४३२—४४

अंक २८—गुरुवार, १ सितम्बर, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—
मशीनी पेच उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का
प्रतिवेदन आदि . . . . २४४५—४६
राज्य-सभा से सन्देश २४४६
सभा का कार्य २४५२
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—
खंडों पर विचार—असमाप्त २४४६—५२,२४५२—२५२२
खंड २०८ से २५० . . . २४४६—५२, २४५२—८८
खंड २५१ से २८३ . . . २४८८—२५२२

अंक २९—शुक्रवार, २ सितम्बर, १९५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र—
भारतीय श्रम सम्मेलन के चौदहवें सत्र की कार्यवाही का सारांश २५२३
राज्य सभा से सन्देश . . . . २५२३—२४
तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि २५२४
समवाय विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—
खंडों पर विचार—असमाप्त . . . . २५२४—८५
खंड २५१ से २८३ . . . . २५२४—८५
खाद्य पदार्थ मिश्रण दण्ड विधेयक—
वापिस लिया गया २५८५-८६
मोटर परिवहन श्रम विधेयक—पुरःस्थापित . . . २५८६
बाल भिक्षा तथा आवारापन निवारण विधेयक—
वापिस लिया गया— २५८६—२६०४
विचार करने का प्रस्ताव . २५८६—२६०४

अति आयु विवाह रोक विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत . . . . २६०४—२६२४
अन्त्येष्टि क्रिया सुधार विधेयक—
परिचालित करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . . २६२४—२६२९

अंक ३०—शनिवार, ३ सितम्बर, १९५५

राज्य-सभा से सन्देश २६२९-३०
मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) नियंत्रण विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा संशोधित रूप में पटल पर रखा गया . २६३०-३१
एक सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण . . २६३१
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—
खंडों पर विचार—असमाप्त २६३१—२७१६
खण्ड २८४ से ३२२ . . . . . २६३१—२७०९
खण्ड ३२३ से ३६७ . . . . . २७०९—१६
समेकित विषय-सूची (१६ अगस्त से ३ सितम्बर, १९५५)
अनुक्रमणिका . . . . . .

लोक-सभा

बुधवार १७ अगस्त, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये–भाग १)

१२ मध्यान्ह

राज्य सभा से सन्देश

सचिव : श्रीमान्, मुझे राज्य सभा के सचिव से यह सन्देश प्राप्त हुआ है:—

"मुझे लोक-सभा को यह सूचना देनी है कि राज्य सभा ने १६ अगस्त, १९५५ को हुई अपनी बैठक में निम्न-लिखित प्रस्ताव पारित किया है :—

प्रस्ताव

"कि यह सभा लोक-सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि हिन्दुओं में वसीयत-रहित उत्तराधिकार सम्बन्धी विधि को संशोधित करने वाले विधेयक सम्बन्धी सदनों की संयुक्त समिति को ९ सितम्बर, १९५५ को अथवा उससे पहले प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की हिदायत दी जाये ।"

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

चौंतीसवां प्रतिवेदन

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का चौतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं ।

गोआ स्थिति

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : कल मैं ने वचन दिया था कि गोआ सीमा की घटनाओं के बारे में मुझे जो और सूचना प्राप्त होगी वह मैं सभा के सामने रखूंगा । इन घटनाओं के बारे में मुझे बम्बई सरकार के द्वारा एक पर्याप्त लम्बा प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है । मुझे यह टेलीफोन पर मिला है और इस कारण, कुछ बातों के बारे में थोड़ा भ्रम है । मुझे उसकी पुष्टि कराने का अवसर नहीं मिल सका । परन्तु, साधारणतया, १५ अगस्त, को १७११ व्यक्ति गोआ सीमा के अन्दर गये । जो लोग वापस लौटे उनकी कुल संख्या १६९१ थी ; इसमें कुछ मृतक शरीर भी सम्मिलित हैं । अब तक न मिलने वाले लोगों की संख्या २० है । हो सकता है कि कुछ और लोगों पर भी गोली चलाई गई हो और वे मर गये हों, परन्तु अभी तक हमें पूर्ण विश्वास

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

नहीं है। कुछ लोग रोक लिये गये हैं, कुछ गोआ में अस्पतालों में हैं।

डमन सीमा पर १२४९ व्यक्ति भीतर गये और १२४४ वापस लौटे।

श्री कामत (होशंगाबाद) : मृतक शरीर ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : एक मृतक।

श्री कामत : घायल ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : सात घायल, चार अभी तक नहीं मिले हैं।

अर्थात्, विश्वसनीय सूचना के अनुसार हमें केवल यह विदित हुआ है कि १४ मृत्युयें हुई हैं—यद्यपि हमारा पूर्वानुमान है कि कदाचित ६ या ७ और मृत्यु हुई हैं। परन्तु इस बारे में हमें विश्वसनीय सूचना प्राप्त नहीं हुई है। कदाचित, मृतक शरीर वहां थे। कुछ भी हो, निश्चित सूचना यह है कि १४ मरे, १३ बुरी तरह घायल हुये और २० का पता नहीं है। इन २० लोगों में से कुछ गोआ में अस्पताल में हैं और कुछ अन्यथा रोक लिये गये हैं। मुझे जो सूचना मिली है, यह उसका साधारण वर्णन है।

सभा को यह जानने में अभिरुचि होगी कि गोआ के भीतर, १५ अगस्त के सत्याग्रह के अतिरिक्त क्या हुआ। १४ अगस्त के बाद, अनेकों गोआ के नागरिक, जिनमें कुछ सुप्रसिद्ध नागरिक सम्मिलित हैं, पुर्तगाली अधिकारियों द्वारा बन्दी बनाये गये। १४ अगस्त को २० नागरिक मर्मगांव के और २० बेतुल के बन्दी बनाये गये। १५ अगस्त को मर्मगांव में सत्याग्रह हुआ। बार बार, छः छः गोआनियों की टोलियों ने, जिनके हाथों में भारतीय ध्वजा थी सत्याग्रह किया। उन्हें पकड़ा गया और बन्दी बनाते समय तथा बाद में बुरी तरह पीटा गया। सारा दिन प्रदर्शन होता रहा। और बाजार में नगरपालिका परिषद् कार्यालय के पास मुख्य मार्ग पर, माडल हाई स्कूल के सामने, और वहां मैदान में थोड़े थोड़े समय बाद सत्याग्रह हुआ। जो लोग बन्दी बनाये गये उनमें कुछ गोआ के बहुत विख्यात व्यक्ति भी थे। १४ और १५ अगस्त को कुल मिलाकर ७० गोआ निवासी बन्दी बनाये गये, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में उनमें से अधिकांश को, पीटने के बाद मुक्त कर दिया गया। उस दिन गोआ में भी मर्मगोआ के नागरिकों ने बहुत सी भारतीय ध्वजायें लगाईं और 'जय हिन्द' तथा 'गोआ जिन्दाबाद' के इश्तिहार लगाये गये और पर्चे बांटे गये।

एक बात और है जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं। इसका सम्बन्ध कल की कुछ घटनाओं से, विशेषकर जो बम्बई में हुई, और कुछ अन्य स्थानों की यहां तक कि दिल्ली की घटनाओं से है, जब कि लोगों की बड़ी और अनियन्त्रित भीड़ ने जलूस निकाले और कहीं कहीं हिंसात्मक कार्य किये। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा हो और गोआ सम्बन्धी शांतिमय कार्यवाही के रिकार्ड भ्रष्ट करें। परन्तु इससे भी बुरी बात यह है कि यह इस देश में विदेशी वाणिज्य दूतावासों तथा मिशनों के विरुद्ध किया जाये। कुछ क्षति पहुंचाई गई, दबाव का प्रयोग किया गया, बलपूर्वक भारतीय ध्वजाएं लगाई गईं अथवा विदेशी ध्वजाओं को नीचा किया गया। मुझे इससे बड़ी परेशानी हुई है, क्योंकि यह हमारा कर्त्तव्य है—केवल सरकार का नहीं परन्तु जनता का भी—कि यहां विदेशी मिशनों को सम्मान दें। अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से उन्हें छुआ नहीं जा सकता और राष्ट्रीय दृष्टि से उन्हें वैसा ही सम्मान देना चाहिये जैसा कि हम विदेशों में अपने मिशनों का चाहते हैं। यदि हम यहां विदेशी मिशनों के प्रति ऐसा व्यवहार करते हैं, तो

हम अन्य स्थानों में अपने मिशनों की रक्षा या सम्मान की आशा नहीं कर सकते । कुछ भी हो, कहीं भी इसे उचित व्यवहार नहीं माना जाता । अतः, इससे मुझे बहुत दुःख हुआ है कि यहां कोई व्यक्ति ऐसा व्यवहार करे । जिन विदेशी मिशनों या वाणिज्य दूतों या संस्थापनों के प्रति ऐसा व्यवहार किया गया है, उन के प्रति मैं हार्दिक खेद प्रकट करता हूं और क्षमा प्रार्थना करता हूं, और उन्हें आश्वासन देता हूं कि हम क्षति के लिये, जो भी हुई हो, पूरी क्षतिपूर्ति देने को तैयार हैं ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर) : ये कौन से वाणिज्य दूतावास हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : वे मुख्यतः बम्बई में हैं ।

परन्तु इसके अतिरिक्त, हमारे सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि हम, अन्तर्देशीय राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों के सवाल को एक ओर रखते हुये हमारा आचरण कैसा होना चाहिये यदि हमारी अन्तर्राष्ट्रीय नीति को बाज़ारी स्थानों में तय किया जाता है तो उस नीति से सम्बद्ध किसी भी उत्तरदायी व्यक्ति के लिये काम का करते रहना तनिक कठिन है । यदि भारत सरकार यहां विदेशी मिशनों को रक्षा प्रदान करने के लिये और उन्हें सम्मान देने के लिये अपने नागरिकों पर निर्भर नहीं कर सकती, तो इस देश या सरकार या जनता की प्रशंसा नहीं हो सकती तथा उनकी शोभा नहीं होती इसके गम्भीर परिणाम हैं । और मुझे विश्वास है कि यह सभा ऐसी घटनाओं के होने के बारे में खेद प्रकट करने में मुझ से सहमत है ।

श्री कामत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कल वाणिज्य दूतावास के पास, नहीं अपितु बम्बई सचिवालय में क्या घटनायें हुई ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : बम्बई में बडी भीड़ ने सड़कों पर जुलस निकाले, विभिन्न वाणिज्य दूतावासों की इमारतों को उच्च न्यायालय को गई, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को न्यायालय जाने से रोका, अन्त में सचिवालय की इमारत को घेरा और वहां कुछ क्षति पहुंचाई । कई सिपाहियों को चोट आई, और वे क्षति करने के बाद तथा नारे लगाने के बाद वहां रहे और सायंकाल देर से तितर बितर हुये ।

श्री कामत : क्या वहां गोली चली थी, जैसा कि समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : एक बार गोली चली जिससे मेरा ख्याल है दो व्यक्ति घायल हुये ।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : प्रधान मंत्री ने जो सूचना दी है उससे कुछ सम्भाव्यतायें उत्पन्न होती हैं । श्रीमान्, मेरा ख्याल है कि यदि इस पर इस सभा में हम विचार विमर्श करें तो कुछ लाभ होगा । यदि आप कुछ समय दे सकें तो यह समस्त सम्बद्ध व्यक्तियों के लिये सहायक होगा ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा ख्याल है कि इस सुझाव पर अभी नहीं विचार होना चाहिये । हमें अधिक शान्तिपूर्ण वातावरण की प्रतीक्षा करनी चाहिये । कुछ समय बीतने दीजिये, सरकार को ठीक सूचना प्राप्त करने के लिये समय मिल जायेगा और उत्तेजना शान्त हो जायगी । फिर हम देखेंगे कि ऐसी चर्चा आवश्यक भी है या नहीं ।

समवाय विधेयक--जारी

अध्यक्ष महोदय : अब सभा समवाय विधेयक पर अग्रेतर विचार करेगी ।

पंडित के० सी० शर्मा (ज़िला मेरठ--दक्षिण) : खंड १९७ के बारे में कि पारि-

[पंडित के० सी० शर्मा]

श्रमिक लाभ के ११ प्रतिशत से अधिक न हो, आपत्ति की गई है । इस आपत्ति के बारे में मेरा यह कहना है कि लाभ के ११ प्रतिशत की सीमा निर्धारित करने में कोई बुराई नहीं है । साधारणतया आपको यह विचार करना है कि प्रबन्ध सम्बन्धी व्ययों के लिये १० प्रतिशत पर्याप्त है और न्यायालय किसी भी सम्पदा के प्रबन्ध के लिये १० प्रतिशत से अधिक नहीं देते ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

विभिन्न खण्डों के समाधान के बारे में मुझे कोई कठिनाई दिखाई नहीं देती क्योंकि प्रत्येक खंड में कहा गया है कि 'खंड १९७ के उपबन्धों के अधीन' । खंड १९७ में अधिकतम पारश्रमिक दिया गया है, और यह अमुक अमुक से अधिक न होगा, का अर्थ यह नहीं है कि पारिश्रमिक अधिकतम दर पर ही दिया जायगा । अपितु इसका अर्थ यह है कि उस सीमा तक पारिश्रमिक दिया जा सकता है ।

यह तर्क दिया गया है कि खंड २५४ से यदि समवाय यह नियम बना देता है कि दो तिहाई संचालक अनुपाती प्रतिनिधित्व से निर्वाचित होंगे, और खंड ४०७ से कि यदि मतदान करने वाले व्यक्तियों की दसवीं संख्या ऐसे मामलों में जहां प्रबन्ध अभिकरण समवाय के हित के विरुद्ध कार्य कर रहा है, प्रार्थना करती है तो दो संचालक नियुक्त होंगे, परेशानी उत्पन्न होगी । यदि मेरा सुझाव स्वीकार कर लिया जाता है कि संचालक अनुपाती प्रतिनिधित्व से एक हस्तान्तरणीय मत के द्वारा नियुक्त हों, तो ये दोनों खंड अनावश्यक हो जायेंगे । क्योंकि यह स्वीकार किया गया है कि अंशधारियों का प्रत्येक वर्ग इस बात से सन्तुष्ट हो कि समवाय के प्रबन्ध में उनका हाथ है, इसका होना अच्छा होगा । अतः इस सम्बन्ध में उपबन्ध करना बहुत अच्छा है ।

अपनी परिस्थिति के अनुसार विधेयक में इस बात का उपबन्ध होना चाहिये कि निदेशक मण्डली में मज़दूरों के भी प्रतिनिधि हों । इस सम्बन्ध में श्री बंसल ने कहा था कि यदि उनके प्रतिनिधि लिये जायेंगे तो प्रबन्ध असम्भव हो जायेगा । परन्तु मेरा निवेदन है कि भविष्य में यदि आप मज़दूरों पर विश्वास नहीं करेंगे तो प्रबन्ध असम्भव हो जायेगा । क्योंकि वे अपना महत्व समझ गये हैं । वे धनोपार्जन में मज़दूर महत्वपूर्ण कारक हैं । इसलिए उनकी मांग की उपेक्षा नहीं की जा सकती । मशीनों आदि में अधिक धन के लगाने की अपेक्षा मानव को प्रसन्न करने में अधिक अच्छाई है, परन्तु हमारे प्रबन्ध व्यवस्थापन ने अभी इसे नहीं समझा है । केवल यही तथ्य असहनीय होना चाहिये कि समाज के लिये धन उत्पादित करने वाले इतनी गन्दी अवस्था में जीवन व्यतीत करें । मेरा सादर निवेदन है कि यदि आप श्रम को सन्तुष्ट नहीं रखते तो आप की संस्था टूट जायेगी । उन्हें निदेशक मण्डली में अवश्य प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को जल्दी करनी चाहिये । मैं आगे बोलने वाले प्रत्येक सदस्य को पन्द्रह या बीस मिनट दूंगा ।

पंडित के० सी० शर्मा : खंड ३२३ में इस बात से सूचित करने सम्बन्धी केन्द्रीय सरकार के अधिकार का उल्लेख है कि विशिष्ट प्रकार का उद्योग या व्यापार करने वाले समवाय प्रबन्ध अभिकरण नहीं रखेंगे । इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रत्येक उद्योग में अभिकरण समाप्त हो जायेगा । केवल उन उद्योगों में अभिकरण समाप्त किया जायेगा जहां उसका होना अनुचित समझा जायेगा । मैं समझता हूं इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिये । खंड ३२४ में कहा गया है कि प्रबन्ध अभिकरण समवाय के लिये आवश्यक नहीं है कि वह प्रबन्ध अभिकरण

रखे । मेरा ख्याल है कि यह भी अच्छा उपबन्ध है । खंड ३२५ केन्द्रीय सरकार को प्रबन्ध अभिकर्ता की नियुक्ति आदि को अस्वीकार करने का अधिकार देता है और उन परिस्थितियों का उल्लेख करता है जिनमें अस्वीकृति दी जा सकती है ।

खंड ३२६ में कहा गया है कि विद्यमान अभिकर्ता की पद अवधि १५ अगस्त १९६० को समाप्त हो जानी चाहिये । परन्तु मेरा निवेदन है कि इनकी पद अवधि इस अधिनियम के लागू होते ही समाप्त हो जानी चाहिये और वे समवाय के अंशधारियों द्वारा पुनः नियुक्त किये जाने चाहियें, क्योंकि यह विधान प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली के ढांचे को ही बदल देता है । खंड ३३१ में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति दस समवायों से अधिक का प्रबन्ध अभिकर्ता नहीं होगा । मेरा ख्याल है कि अनुभव ने हमें यह बताया है कि बहुत अधिक समवायों से उत्तम प्रबन्ध में सहायता नहीं मिलेगी । इनके अतिरिक्त, अन्य प्रतिबन्ध भी हैं, और यह तर्क दिया गया है कि ऐसे समय पर जब कि भारत में औद्योगिक आन्दोलन प्रगति कर रहा है, ये प्रतिबन्धात्मक कठोर और जटिल उपबन्ध परिस्थिति के अनुकूल नहीं हैं । मेरा सम्मानपूर्ण निवेदन है कि नैतिक आन्दोलन के बिना औद्योगिक आन्दोलन धन और जानकारो के अभाव की अपेक्षा अधिक परेशानी उत्पन्न करता है । अतः प्रतिबन्धात्मक विधियों का होना आवश्यक है । मैं एक साधारण सा विचार प्रस्तुत करता हूं कि जितना उन्नत समाज होगा विधि उतनी ही जटिल होगी ।

सेठ अचल सिंह (जिला आगरा–पश्चिम): हमारे कम्पनी ला में संशोधन की बहुत ज़रूरत है क्योंकि इसका सम्बन्ध इश्योरेंस कम्पनीज़, बैंक्स और तमाम इंडस्ट्रीज़ से है ।

पहले कम्पनी ऐक्ट में काफी कमियां थीं जिसकी वजह से बम्बई शेअर होल्डर्स एसोशियेशन ने उसके ख़िलाफ आवाज़ उठायी । मैं समझता हूं कि हमारे कम्पनी ऐक्ट में सुधार होने की अत्यन्त आवश्यकता है । हमारे देश में अंग्रेज़ों के आने से पहले इतनी बड़ी कम्पनियां नहीं थीं । ज्यादातर यहां के साहूकार काम करते थे और कुटीर उद्योग और छोटे छोटे उद्योगों के रूप में काम होता था । लेकिन इन छोटे छोटे कामों से इतना बड़ा काम हो जाता था कि हमारे व्यापारी लाखों करोड़ों रुपये का माल विदेशों को भेजते थे । जो धनी और साहूकार लोग थे वे ही सारे व्यापार को चलाते थे । लेकिन जब अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर क़ब्ज़ा किया तो उन्होंने व्यापार को अपने हाथों में लिया । इंगलैंड में कम्पनी ऐक्ट जारी था । इसलिये उन्होंने यहां पर भी उसके अनुसार जवइंट स्टाक कम्पनी ऐक्ट सन् १८५० में जारी किया ।

विक्टोरिया के ऐलान के बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हिन्दुस्तान को अपने हाथ में लिया तो उन्होंने सन् १८६२ में कम्पनी ऐक्ट बनाया और इन्डस्ट्रीज़ को अपने हाथ में लिया और लोगों को भी उसके अनुसार काम करने का मौक़ा दिया । लेकिन जब उन्होंने यह देखा कि लोग ने उस कम्पनी ऐक्ट का दुरुपयोग किया है तो फिर सन् १८८२ में सुधारपूर्वक कम्पनी ऐक्ट बनाया । उसमें सन् १९१३ में और फिर सन् १९३६ में ग्रीन कमीशन की सिफारिशों के अनुसार उसमें संशोधन किये गये ।

दूसरे विश्व युद्ध के दौरान में और उसके बाद यहां जो कम्पनियां थीं उनके मैनेजिंग एजेंट्स ने बहुत नाजायज़ फायदा उठाया । खास बात यह थी कि लड़ाई के दौरान में बाहर से कंज्यूमर्स गुड्स आना बन्द हो गया था । इसलिये यहां पर अनेक

[सेठ अचल सिंह]

इंडस्ट्रीज़ जारी हुईं और उन चीज़ों के काफी दाम बढ़ते गये और मैनिजिंग एजेंट्स ने इस तरह से नाजायज़ फायदा उठाया कि वह अपनी चीज़ों को किसी अपने रिश्तेदार को बेच देते थे और फिर उनको बहुत ऊंचे दामों पर बेचते थे । इस वजा से बाम्बे शेअर होल्डर्स एसोसियेशन, फिस्कल कमीशन, इनकम टैक्स इनवेस्टीगेशन कमीशन, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन और प्लानिंग कमीशन ने आवाज़ उठायी और कहा कि कम्पनी एक्ट और मुख्यतः मैनिजिंग एजेन्सी में काफी सुधार होना चाहिय । इसके फलस्वरूप गवर्नमेंट ने सन् १९५० में एक कम्पनी ला कमेटी नियुक्त की जो भाभा कमेटी के नाम से मशहूर है । उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सन् १९५२ में दी । उस के अनुसार गवर्नमेंट आफ इंडिया ने कार्रवाई शुरू की ।

सन् १९५१ में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गयी । उसमें गवर्नमेंट का ध्यान इंडस्ट्रीज़ की तरफ में गया । विदेशी राज्य में हमारे भारतवर्ष को अपनी इंडस्ट्रीज़ की तरक्क़ी करने का पूरा मौक़ा नहीं मिला था । इस बीच दूसरे देशों में इंडस्ट्री की काफी तरक्क़ी हो चुकी थी । जब हमारी नेशनल गवर्नमेंट बनी तो उसने देखा कि हमें अपनी इंडस्ट्री को तरक्क़ी देनी चाहिये । जब तक हमारी इंडस्ट्रीज़ तरक्क़ी नहीं पा जायेंगी तब तक हम सेल्फ सपोर्टिंग नहीं हो सकते और हमको बहुत सी चीज़ें बाहर से मंगानी पड़ती हैं । तो इस ओर सरकार ने काफी ध्यान दिया और पार्लियामेंट के सामने सन् १९५२ में मौजूदा बिल पेश किया गया और अब यह सिलेक्ट कमेटी से होकर हमारे सामने आया है ।

ए० आई० सी० सी० ने और हमारी सरकार ने भी हमारे देश में समाजवादी समाज की स्थापना करने का उद्देश्य अपने सामने रखा है । इसका मतलब यह है कि हमारे देश में कोई आदमी नंगा, भूखा और बेरोज़गार न रहे और हर एक आदमी के रहने और खाने पीने का इन्तिज़ाम हो जाये ।

हमारी प्लानिंग कमीशन ने और नेशनल डेवेलपमेंट काउंसिल ने सुझाया कि किसी तरह से हमको अपने देश की इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाना चाहिये । कुछ देशों में सरकार इंडस्ट्रीज़ को चलाती है और कुछ में जनता लिमिटेड कम्पनियों द्वारा चलाती है । लेकिन हमारे यहां यह सोचा गया कि मिक्स्ड इकानमी होनी चाहिये अर्थात् की (मूल) और हैवी इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट चलावेगी और छोटी इंडस्ट्रीज़ को व्यक्तिगत कम्पनियां चलाती रहें । इससे काम ठीक चल सकता है ऐसा विश्वास है । इस वक्त जो कम्पनी बिल हमारे सामने है उसका यही उद्देश्य है ।

इस समय हमारे देश में २९ हज़ार से ज़्यादा लिमिटेड कम्पनियां हैं जिनमें एक हज़ार करोड़ रुपया लगा हुआ है । आठ सौ से ज्यादा विदेशी कम्पनियां हैं जो कि बाहर रजिस्टर हुई हैं । उनमें १४०० करोड़ से ज्यादा रुपया लगा हुआ है । इस तरह काम चल रहा है । हमारी गवर्नमेंट ने सोचा कि वह किस तरह से इन कम्पनियों में सुधार कर सकती हैं क्योंकि लोगों ने उनके ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठायी है । इसी सुधार को करने के लिये यह कम्पनी बिल लाया गया है । इस कम्पनी बिल में ख़ास तौर से मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठायी गयी है । इसमें सन्देह नहीं कि मैनेजिंग एजेंट्स ने काफी अपने राइट्स अर्थात् हक़ों का दुरुपयोग किया । इससे उनके ख़िलाफ लोगों को बहुत शिक़ायत है । मैं अपने जाती तजर्बे से कह सकता हूं कि किस तरह

से मैनेजिंग एजेंट्स ने नाजायज़ फायदा उठाया है । लाहोर में पीपल्स बैंक आफ़ नार्दन इंडिया लिमिटेड बैंक थी । उसके डाइरेक्टर्स ने जनता का कई करोड़ रुपया लेकर अपने डायरेक्टरों में बांट दिया और कारखाने खुल गये आदि लेकिन आज तक एक पैसा शेअर होल्डर्स को नहीं मिला और तमाम रुपया मारा गया । इसी तरह से बहुत सी कम्पनियां खुलीं और उन्होंने जनता का विश्वास प्राप्त करके रुपया इकट्ठा किया और उसको नाजायज़ तौर से इस्तेमाल किया और तमाम शेअर होल्डर्स का रुपया मारा गया । इसलिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि हमको मैनेजिंग एजेंसी की तरफ काफ़ी ध्यान देना चाहिये । हमारे सामने जो बिल हैं उसमें मैनेजिंग एजेंसी व्यवस्था पर बहुत बन्दिशें लगायी गयी हैं । इन बन्दिशों के कारण अब काम ठीक से चलेगा । लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज जनता का और सरकारी अफसरों का नैतिक स्तर बहुत गिर गया है । इसलिये जब तक हम अपने मारल को नहीं उठायेंगे तब तक हमारा कोई काम ठीक से नहीं चल सकता ।

हम देखते हैं कि इंगलैंड में भी यह क़ानून लागू है । लेकिन वहां के लोगों का क्रेडिट बहुत ज़बरदस्त है । जो नमूना या स्टेंडर्ड वह बतलाते हैं उसी स्टेंडर्ड या नमूने का माल यहां आता है । लेकिन हमारे देश में जो कम्पनियां काम कर रही हैं उनका नमूना कुछ होता है और जो माल वह सप्लाई करती हैं वह घटिया तरह का होता है । इससे उनका विश्वास करना कठिन हो जाता है । इसलिये चाहे वह गवर्नमेंट हो या मैनेजिंग एजेंसी हो, जब तक लोगों का मोरल या चरित्र ऊंचा नहीं उठेगा तब तक काम ठीक से नहीं चल सकता । गवर्नमेंट ने भी जो योजनायें बनायी हैं, भाखरा नंगल की और हीरा कुड आदि की, उनके बारे में भी हम सुनते हैं कि काफी रुपया गबन किया गया है । आखिर गवर्नमेंट में भी मनुष्य तो हिन्दुस्तान के ही काम करते हैं । वह चाहे कहीं काम करें, अगर उनमें सचाई और ईमानदारी नहीं है तो अच्छा काम नहीं हो सकता । गवर्नमेंट क़ानून बनाती है तो वे उससे बचने का रास्ता निकाल लेते हैं । गवर्नमेंट ने इन-कम टैक्स का क़ानून बनाया है । लेकिन उससे बचने के लिये हमारे बहुत से भाई दो दो बही खाते रखते हैं । सरकार को एक दिखाते हैं और अपने काम के लिये दूसरा रखते हैं ।

मैं समझता हूं कि हमको चाहिये कि हम ऐसा क़ानून बनावें जो कि न तो बहुत कड़ा हो और न जिसमें बहुत ढील पोल हो । ऐसा क़ानून होना चाहिये कि उसमें गवर्नमेंट के भी राइट्स रहें और पबलिक को भी काम करने का मौक़ा मिले ताकि वह देश की तरक्क़ी करने में अपना भाग ले सके । मैं इस बिल का तहे दिल से समर्थन करता हूं और समझता हूं कि मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम में सुधार करने की बहुत ज़रूरत है । पर इसको रखना चाहिये क्योंकि इसके बगैर काम चलना बहुत मुश्किल है । लेकिन जो लोग इसमें रखे जायें वे अच्छे आदमी हों और बावक़त आदमी हों और साथ ही जो गवर्न-मेंट की मैशीनरी काम करे उसमें भी ऐसे ही आदमी होने चाहियें ताकि वे इस काम को ठीक से कर सकें । आज हम देखते हैं कि एक्साइज़ इन्स्पेक्टर, पुलिस इन्स्पेक्टर, सेनेटरी इन्स्पेक्टर, लेबर इन्स्पेक्टर आदि वे सब इस लिये रखे जाते हैं कि काम ठीक से चले । लेकिन होता यह है कि बहुत कुछ गडबड़ी करते हैं और ये लोग नाजायज़ फायदा उठाते हैं । इसलिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि सरकारी अधिकारी अपने मारल को ऊंचा करें । जब वे ऐसा करेंगे तभी वे क़ानून से काम ठीक से हो सकेगा अगर ऐसा नहीं होगा तो उसमें काफी गड़बड़ी हो सकती है ।

[सेठ अचल सिंह]

इसलिये मैं इस बिल का समर्थन करता हूं । साथ साथ ही मैं यह चाहता हूं कि मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम क़ायम रहे और इसमें समय की पाबन्दी न रखी जाये और जनता को मौक़ा दिया जाये कि वह आज़ादी से काम कर सके । गवर्नमेंट के हाथ में तो हमेशा ताक़त रहेगी । वह जब चाहे तब मैनेजिंग एजेंसी को ख़त्म कर सकती है ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार (तिरुपुर) : जब हमने श्री सोमानी के भाषण को सुना तो मुझे थोड़ा भय हुआ था क्योंकि उन्होंने कहा था कि इस समय प्रबन्ध अभिकरण ऐसा सोच रहे हैं कि भविष्य में और समवाय न चलाये जायें । परन्तु आंकड़ों से यह ज्ञात नहीं होता कि इन संशोधनों के द्वारा समवायों की संख्या कम हो जायेगी । जो संशोधन हम करने जा रहे हैं उनकी चर्चा लगभग एक वर्ष से हो रही है तथा यदि इन संशोधनों का कोई प्रभाव होता तो समवायों के पंजीयन के आंकड़े बढ़ नहीं जाते तथा इस तथ्य को सभी जानते हैं । पिछले वित्तीय वर्ष में पंजीबद्ध समवायों की संख्या १०८७ थी तथा इस वर्ष १०७६ है । इसलिये मेरे विचार से इस भय का कोई कारण नहीं है कि लोग पूंजी नहीं लगायेंगे तथा कि इस विधेयक के उपबन्धों के अन्तर्गत समवाय पंजीबद्ध नहीं हुआ करेंगे ।

मेरे विचार से हमें विधेयक के अधिक उपबन्धों का स्वागत करना चाहिये । दंड के लगभग सौ उपबन्ध हैं तथा मुझे आशा है कि व्यापारी लोग कोई ऐसा अवसर नहीं देंगे जिससे इन उपबन्धों का प्रयोग करना पड़े । मैं उन विचारकों में से एक हूं जिनका यह मत है कि राष्ट्र विधान नैतिकता से चल सकता है । सत्य तो यह है कि हमें समवाय के प्रबन्ध से अनैतिकता को दूर करना है । तथा इस प्रकार के नियंत्रणों की व्यवस्था से हम जनता को नैतिकता की ओर ले जायेंगे और धीरे धीरे उनको इसकी आदत डालेंगे । मुझे पूर्ण आशा है कि इससे समवायों का प्रबन्ध ठीक तथा सुचारू रूप से चलेगा ।

सभा के कुछ सदस्यों ने यह सुझाव प्रस्तुत किया है कि निदेशक मण्डली में श्रमिकों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिये वर्तमान अधिनियम में प्रबन्ध अभिकर्ताओं के बहुत अधिकार थे तथा यदि इनके अधिकारों को कम किया जाये तो निश्चित रूप से बुराइयां कम हो जायें परन्तु हम निदेशकों, अंशधारियों आदि के अधिकारों की वृद्धि कर रहे हैं । मेरे विचार से जब हम इस प्रकार के विचार प्रस्तुत करते हैं तब हमें इस पर भी विचार करना चाहिये कि लाभ को किस प्रकार बढ़ाया जाता है । लाभ केवल प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं की चतुरता अथवा अधिक धन लगाने अथवा श्रमिकों के कारण ही नहीं बढ़ता प्रत्युत इसमें देश के शासन द्वारा दिये गये संरक्षण का भी भाग होता है । इसलिये कोई कारण नहीं कि हम लाभांश की सीमा क्यों न निर्धारित करें । आजकल कुछ समवाय ३० प्रतिशत तक लाभांश देते हैं । मेरे विचार से हमें यह अधिकतम लाभांश १२ प्रतिशत निर्धारित कर देना चाहिये जिससे समवाय के धन में वृद्धि हो ।

कल मेरे मित्र ने बताया कि समवाय विधान से आर्थिक नीति में हमें कोई उलझन नहीं करनी चाहिये । मेरे विचार से समवाय विधान के द्वारा हम अपनी आर्थिक नीति को और सुचारू रूप से चलाने में समर्थ होंगे । हम प्रबन्ध अभिकर्ताओं के पारिश्रमिक पर प्रतिबन्ध लगाने के साथ साथ लाभांश को भी १२ प्रतिशत तक अवश्य सीमित कर देना चाहिये । हम समाजवादी ढंग का समाज बनाने जा रहे हैं तथा जिसमें धन की अपेक्षा मानव का महत्व अधिक होना चाहिय ।

इसके पश्चात् मैं अपने पहले प्रश्न पर आता हूं कि निदेशकों के बोर्ड में श्रमिकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिये । श्रम एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है परन्तु हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिये कि सब झगड़ों की जड़ काम को धीरे धीरे करने की नीति है । मेरे विचार से श्रमिकों का वेतन भी लाभ पर ही निर्धारित होना चाहिये तथा इस प्रकार की व्यवस्था से श्रमिक काम में अधिक ध्यान लगायेंगे और उत्पादन बढ़ायेंगे। इसीलिये उत्पादन बढ़ाने के लिये हमें प्रबन्ध में श्रमिकों को सम्मिलित कर लेना चाहिये । तथा मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनको समवाय के कार्यों का ध्यान रहेगा । इसीलिये मेरा विचार है कि यदि हम निदेशकों के बोर्ड में श्रमिकों को स्थान देना चाहते हैं तो यह प्रतिनिधित्व उत्पादन बढ़ाने के लिये उत्तरदायित्व का प्रतिनिधित्व होना चाहिये ।

अब मैं कुछ ऐसे प्रश्नों पर आता हूं जिन के सम्बन्ध में अभी तक सभा में कुछ नहीं कहा गया है । हमारी औद्योगिक नीति के अनुसार, सरकारी प्रबन्ध के लिये कुछ उद्योगों का रक्षण किया गया है । खण्ड ६१४ में दिया है कि :—

> "केन्द्रीय सरकार राजकीय गजट में अधिसूचना के द्वारा निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम का कोई भी उपबन्ध सरकारी समवाय पर लागू नहीं होगा ।"

मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री इस पर प्रकाश डालेंगे कि सरकार सरकारी समवायों को किन उपबन्धों की छूट देना चाहती है । इसके अतिरिक्त हम यह भी जानना चाहते हैं कि इस प्रकार के गूढ़ विषय का निबटारा केवल सरकारी अधिसूचना के द्वारा ही नहीं होना चाहिये प्रत्युत इसके लिये खण्ड ४०९ के अनुसार हमें मंत्रणा आयोग की सलाह लेनी चाहिये ।

मैं नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की सम्मति, जिसका परिचालन लोक सेवा समिति में किया गया था, की ओर निर्देश करना चाहता हूं । उन्होंने कहा है कि इसमें इस प्रकार का कोई उपबन्ध नहीं कि संसद् तथा राज्य विधान सभाओं के समक्ष सरकारी समवायों के लेखे तथा लेखा-परीक्षा रखी जायें । ऐसा प्रतीत होता है कि यह सरकार द्वारा संसद् के बार बार घोषणाओं के यह विरुद्ध है । ११ दिसम्बर, १९५३, को वित्त मंत्री ने संसद् में बताया था कि समवायों के लेखों की लेखा परीक्षा नियंत्रक तथा लेखा परीक्षक करेगा तथा प्रतिवेदन संसद् में प्रस्तुत करेगा जिसकी परीक्षा लोकलेखा समिति करेगी । उन्होंने यह भी बताया था कि इन समवायों के आय-व्ययक भी संसद् के सम्मुख रखे जायेंगे ।

मुझे खेद है कि इस प्रकार की व्यवस्था समवाय विधेयक में नहीं रखी गई है । इन समवायों की लेखा परीक्षा के प्रबन्ध का अधिकार नियंत्रक तथा लेखा परीक्षक को देना चाहिये जिससे सरकार के पक्षपातपूर्ण व्यवहार आदि के सम्बन्ध में कोई विवाद न उठ खड़ा हो ।

खण्ड ६१० इस अधिनियम के बीमा बैंकिंग, बिजली तथा अन्य विशेष अधिनियमों द्वारा शासित समवायों पर लागु होने के सम्बन्ध में है बीमा समवायों पर बीमा अधीक्षक का नियंत्रण है तथा बैंकिंग समवायों पर भारत के रक्षित बैंक का नियंत्रण है । परन्तु अब हम समवाय विधि बना रहे हैं। तब क्या इस प्रकार के समवाय भी इस विधि के अधीन आयेंगे अथवा नहीं । तथा सरकार जो विभाग इन समवायों पर नियंत्रण के लिये बना रही है तो क्या यह भी इसी विभाग के अधीन आ जायेंगी, यह प्रश्न है । इस सम्बन्ध में ९४ खण्ड हैं । मेरा विचार है कि इस विभाग को अर्धन्यायिक होना चाहिये

[श्री टी० एस० ए० चेट्टियार]

तथा पुरातन कार्यों के अनुसार कार्य करें। इन पुरातन कार्यों का प्रकाशन करा लिया जाये जिससे जनता भी इनको जान सके। उन्हें मंत्रणा आयोग की सम्मति भी लेनी चाहिये। खण्ड ४१० की वृद्धि भी करनी चाहिये। खण्ड ३२३ भी इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। उन्हें इस प्रकार का आदर्श उपस्थित कर देना चाहिये जिससे प्रत्येक कार्य में मंत्रणा आयोग की सम्मति लेना आवश्यक हो जाये। सरकार मंत्रणा आयोग के सदस्यों का नामनिर्देशन करेगी इसलिये हमें इस प्रकार का आदर्श अवश्य उपस्थित करना चाहिये।

खण्ड ३७८ से ३८३ में सेक्रेटरियों तथा खजान्चियों के सम्बन्ध में कहा गया है। ये प्रबन्ध अभिकरणों के स्थान पर रखे गये हैं। यह सच है कि ये सेक्रेटरी तथा खजान्ची, प्रबन्ध अभिकर्ताओं से भिन्न है, इनका निदेशक मण्डली में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है तथा इनका पारिश्रमिक ७½ प्रतिशत रखा गया है। परन्तु फिर भी मेरा विचार है कि इन पर भी यह नियंत्रण आवश्यक है कि कोई भी सेक्रेटरी तथा खजान्ची १० समवायों से अधिक का प्रबन्ध न कर सके। हमने यही व्यवस्था प्रबन्ध अभिकर्ताओं के लिये रखी है। इसके अतिरिक्त इन सेक्रेटरी तथा खजान्चियों पर खण्ड ३२३ भी लागु होना चाहिये।

सभा में खण्ड २६४ की पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। मेरे विचार से यह कहना ठीक नहीं कि प्रत्येक समवाय को निदेशकों का चुनाव अनूपाती प्रतिनिधित्व के आधार पर होना चाहिये। अमरीका के भी कुछ राज्यों में ही इस प्रकार की व्यवस्था है। मैं यह अंशधारियों पर ही छोड़ता हूं कि यह निर्वाचन का प्रश्न उस समय निश्चय करें। विशेष बैठक में वह अनुच्छेदों का संशोधन कर सकते हैं। हमें इसे अनिवार्य नहीं बनाना चाहिये।

सभा जानती है कि वर्तमान अधिनियम में अंशों (शेयर) की कई क़िस्मों की व्यवस्था है। संयुक्त समिति ने इनको दो प्रकार का रख कर ठीक किया है (१) साधारण (२) पूर्वाधिकार। परन्तु मुझे खण्ड ८९ ठीक नहीं लगा। मेरे विचार से अन्य अधिनियमों के समान इसको भी तीन वर्ष का समय देना चाहिये तथा उसके पश्चात् मत देने का कोई विशेष अधिकार नहीं देना चाहिये।

खण्ड ३२३ के अन्तर्गत अधिसूचनायें संसद् के समक्ष हैं। परन्तु मेरे विचार से सभा में इस पर चर्चा भी होनी चाहिये तथा संशोधन भी प्रस्तुत होने चाहियें। इससे अधिक मुझे और कुछ नहीं कहना है।

श्री बी० बी० गांधी (बम्बई नगर—उत्तर): इस विधेयक के लिये वित्त मंत्री और संयुक्त समिति प्रशंसा के पात्र हैं। इस के बहुत से अच्छे परिणाम निकलेंगे।

इस का पहला गुण यह है कि इसमें जानकारी प्रकट करने की व्यवस्था की गई है। यह उपबन्ध अंशधारियों, ऋणदाताओं और विनियोजकों के लिये बहुत हितकर होगा। अनुपातिक मताधिकार की प्रणाली को खत्म करने और प्रबन्ध अभिकरण के नवीकरण की अवधि को १० वर्ष तक सीमित रखने के लिये जो उपबन्ध है, वे भी बहुत हद तक अन्याय और अधिकारों के दुरुपयोग को रोकेंगे।

सरकार द्वारा जांच की जाने, अंशधारियों द्वारा दमनकारी मामलों के न्यायालय में ले जाये जाने और सरकार द्वारा हस्तक्षेप किये जाने और दो निर्देशकों की नियुक्ति की जाने के सम्बन्ध में जो उपबन्ध हैं उन सब से

सयुक्त स्कन्ध समवायों के विनियमन में सुधार होगा। किन्तु सारे विधेयक के अध्ययन से यह धारणा बनती है कि इस के निर्माताओं की दृष्टि केवल बड़े बड़े प्रबन्ध अभिकर्ताओं और बड़े बड़े संयुक्त स्कन्ध समवायों पर है। यह इस उपबन्ध से प्रकट होता है जिसमें लाभ न होने की अवस्था में न्यूनतम पारिश्रमिक ५०,००० रुपये तक की राशि न्यूनतम पारिश्रमिक के रूप में दी जाने का उल्लेख है। यह उस उपबन्ध से भी मालूम होता है जिसके अनुसार कोई व्यक्ति केवल १० समवायों का प्रबन्ध अभिकर्ता हो सकेगा। किन्तु हम जानते हैं कि २९,००० रजिस्टर्ड समवायों का प्रबन्ध वे लोग करते हैं जिन के पास प्रबन्ध के लिये केवल एक समवाय है। इसलिये बहुत से दण्डात्मक और निवारक और निरोधक खंडों के होते हुये भी, मुझे डर है कि इस विधेयक से छोटे समवायों को कठिनाई होगी।

इतने बड़े विधेयक में त्रुटियों का होना अनिवार्य है। पहली यह है कि सरकार के हाथ में बहुत शक्तियां आ जायेंगी और इन पर कोई उचित रोक नहीं होगी। दूसरी यह है कि प्रबन्ध अभिकरण सम्बन्धी और कुछ अन्य खंड अनिश्चित और अस्थिर है। कुछ उपबन्ध ऐसे हैं जो अनावश्यक रूप से दुष्परिवर्तनशील और दृढ़ोक्ति पूर्ण है। मैं उन खंडों की ओर निर्देश कर रहा हूं जो न्यूनतम पारिश्रमिक और प्रबन्ध अभिकरण की संख्या निर्धारित करते हैं।

अंशधारियों के लिये परित्राण का प्रबन्ध करते करते हम ने वस्तुतः उन का अस्तित्व ही मिटा दिया है और वे समवायों के नाममात्र के स्वामी होंगे। "सरकारी समवायों" की परिभाषा को अधिक व्यापक बनाने की आवश्यकता है। सरकारी समवायों के सम्बन्ध में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की संसद् के सामने रखना भी सरकार का कर्तव्य है।

मैं सरकार को शक्ति दिये जाने के विरुद्ध नहीं हूं। बुराइयों को रोकने के लिये उसे शक्ति देना आवश्यक है, किन्तु सरकार केवल विभाग द्वारा ही तो काम कर सकती है। सरकार जिन पदाधिकारियों को इस विधि के प्रवर्तन का कार्य सौंपे वे ईमानदार और योग्य व्यक्ति होने चाहियें। ये पदाधिकारी अंशधारियों के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे, यद्यपि प्रबन्ध अभिकर्ता और निदेशक, जो उन पदाधिकारियों द्वारा किये गये विनिश्चयों को क्रियान्वित करेंगे, अंशधारियों के प्रति उत्तरदायी होंगे। अतः मैं कार्यपालिका को अनियन्त्रित शक्ति दिये जाने के विरुद्ध हूं।

मैं यह भी चाहता हूं कि उल्लिखित मामलों में सरकार के विनिश्चयों के खिलाफ़ न्यायालय में अपील की जाने का उपबन्ध होना चाहिये।

कुछ उपबन्ध अनावश्यक रूप से दुष्परिवर्तनशील बना दिये गये हैं। खंड १९७ को ही लीजिये। इसमें उपबन्ध यह है कि न्यूनतम पारिश्रमिक ५०,००० रुपये से अधिक नहीं दिया जाना चाहिये। कहा गया है कि ९० प्रतिशत समवाय छोटे छोटे हैं और उनके सम्बन्ध में इस सीमा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब रही बाक़ी के १० प्रतिशत समवायों की बात। इनके मामलों पर प्रत्येक के गुणावगुणों के अनुसार निर्णय किया जायेगा। सरकार यदि समझेगी कि उनकी कठिनाई वास्तविक है तो वह इस सीमा में ढिलाई कर सकेगी। तो फिर मैं पूछता हूं कि इतने दुष्परिवर्तनशील खंड की क्या आवश्यकता थी।

श्री बर्मन (उत्तर बंगाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : माननीय सदस्य भी संयुक्त समिति के एक सदस्य थे। क्या उन्होंने

[श्री बर्मन]

समिति द्वारा प्रतिवेदित दिये जाने के बाद अपना विचार बदल दिया है ?

श्री वी० बी० गांधी : क्या मैं अपनी सम्मति व्यक्त करने के लिये स्वतन्त्र नहीं हूं । जहां तक प्रबन्ध अभिकर्ताओं को अधिक पारिश्रमिक न दिये जाने का प्रश्न है, हम सब इसके पक्ष में हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस विषय में कोई निदेश तो नहीं दूंगा परन्तु सामान्यतया सभा उन माननीय सदस्यों से, जिन्होंने संयुक्त समिति के द्वारा कुछ सिफारिशें की ह, यह आशा करती है कि वे इन सिफारिशों पर क़ायम रहेंगे ।

श्री वी० बी० गांधी : मैं पारिश्रमिक की सीमा रखे जाने के सिद्धान्त का पूर्ण समर्थन करता हूं । मेरा कहना तो केवल यह है कि क्या खंड १९७ के उपबन्ध बिना काम नहीं चल सकता । मेरा कहना यह भी है कि हमें इस बात पर विचार करना चाहिये कि क्या यह काम खंड ३२५ (२) (ख) से नहीं चल सकता ।

खंड ३३१ के बारे में भी मैं यही बात कहूंगा । यह भी दुष्परिवर्तनशील है और इससे कठिनाइयां उपस्थित हो जायेंगी । इसमें यह उपबन्ध है कि एक व्यक्ति दस समवायों से अधिक का प्रबन्ध अभिकर्ता नहीं हो सकता । इस सम्बन्ध में भी मैं यह कहूंगा कि सरकार खंड ३२५ (२) (ख) के अधीन प्रदत्त शक्तियों से काम चलाने की सम्भावनाओं पर विचार कर सकती है ।

अब मैं प्रबन्ध अभिकरण के प्रश्न को लेता हूं । निस्सन्देह हम इस प्रणाली को समाप्त कर सकते हैं । परन्तु प्रश्न यह है कि क्या हम इसे अब समाप्त कर सकते हैं । मेरे ख्याल में इस कार्यवाही का अभी समय नहीं आया है और हमें कुछ दिन और इन्तजार करना चाहिये । जब तक हमारे पास कोई वैकल्पिक प्रणाली तैयार न हो तब तक हम इस प्रणाली को ख़त्म नहीं कर सकते । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हम गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा अतिरिक्त कार्य किये जाने की व्यवस्था कर रहे हैं । २२०० करोड़ रुपये की कुल पूंजी में से ५०० करोड़ रुपये उद्योगों आदि में लगाये जायेंगे और यह कार्य सम्भवतः संयुक्त स्कन्ध समवायों के द्वारा किया जाना होगा । यदि हम यह काम संयुक्त स्कन्ध समवायों के द्वारा करवाना चाहते हैं तो मेरी समझ में यह ठीक न होगा कि हम इस अवस्था पर प्रबन्ध अभिकरण की प्रणाली समाप्त करने की आवाज़ उठायें । इस विधेयक में हमने सचिवों और कोषाध्यक्षों के रूप में एक वैकल्पिक प्रणाली का उपबन्ध किया है । परन्तु मेरी राय में यह प्रणाली क़रीब क़रीब वही है, सिर्फ नाम में फ़र्क है ।

समवाय विधि समिति ने एक पृथक् संविहित प्राधिकार स्थापित किये जाने की सिफ़ारिश की थी । परन्तु संयुक्त समिति ने इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है । इसके स्थान पर स्वभावतः एक सरकारी विभाग कायम किया जा सकता है । पुराना मंत्रणा आयोग भी रखा जा रहा है । मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही है कि इसे क्यों रखा जा रहा है । संविहित प्राधिकार सब समस्याओं पर कुशलता से ध्यान दे सकता है । चूंकि संयुक्त समिति ने इस सिफारिश को नहीं माना है, इस कारण मैं यह सुझाव दूंगा कि इस सभा को एक ऐसा उपबन्ध रखे जाने पर तो ज़ोर देना ही चाहिये कि विभाग द्वारा निर्णय कतिपय उल्लिखित मामलों में ही किया जाये और उसके विरुद्ध न्यायालय में अपील की जा सके ।

'सरकारी समवाय' की परिभाषा इस प्रकार की गई है कि उसके अन्तर्गत वे ही

समवाय आयेंगे जिनमें ५१ प्रतिशत अंश पूंजी सरकारी निधि में से दी गई हो । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ समवाय ऐसे भी होंगे जिनमें ५१ प्रतिशत या अधिक पूंजी सरकार द्वारा अंश पूंजी के रूप में नहीं बल्कि ऋणपत्र, ऋण और भिन्न प्रकार की अन्य सहायताओं के रूप में लगाई जायेगी । इसके अलावा सरकारी निगमों आदि के रूप में भी सरकारी समवाय रहेंगे । क्या ऐसे समवाय भी 'सरकारी समवाय' की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आने चाहियें ? अतः मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न पर विचार किया जाये और 'सरकारी समवाय' की परिभाषा को अधिक व्यापक बनाया जाये ।

विधेयक में कोई ऐसा स्पष्ट उपबन्ध नहीं है जिसके द्वारा सरकार पर इस बात का आभार हो कि वह इस सभा के सम्मुख नियन्त्रक महालेखापरीक्षक द्वारा दिये जाने वाले अनुपूरक प्रतिवेदन आदि रखे । इस चीज़ का स्पष्ट उपबन्ध होना आवश्यक है, नियन्त्रक महालेखापरीक्षक को इन सरकारी समवायों के लेखे तथा कागजात देखने की शक्ति दी जानी चाहिये ।

इन कमियों के होते हुये भी विधेयक को सामान्य रूप से सभा का समर्थन मिलना चाहिये ।

श्री कृष्णचन्द्र (ज़िला मथुरा पश्चिम): उपाध्यक्ष महोदय, ज्वाइंट स्टाक कम्पनी विधेयक इस भवन में कई रोज से चल रहा है । ज्वाइंट स्टाक कम्पनी इस देश में अपना एक बहुत बड़ा महत्व रखती है । आज हम देखते हैं कि देश के रोज़गार, उद्योग और धंधे प्रायः सभी बड़े बड़े रोज़गार, चाहें वह व्यापार हों या उद्योग हों, सब के सब ज्वाइंट स्टाक कम्पनी के द्वारा ही संचालित हो रहे हैं । ज्वाइंट स्टाक कम्पनी एक तरह से रोज़गार और उद्योग को चलाने का एक नया संगठन है । आज संसार में और हमारे इस देश में जैसे जैसे उद्योगों का विकास होता गया, व्यापार बढ़ता गया उसी तरह से यह ज्वाइंट स्टाक कम्पनी का नया तरीक़ा व्यापार और उद्योगों के संगठन के लिये संसार में आया । कि बहुत से लोग इस संगठन के अन्दर अपने रोज़गार को बढ़ाने के लिये या उद्योगों को कायम करने के लिये शरीक़ होते हैं, और आज ज्यादातर रोज़गार इसी तरीक़े पर चल रहे हैं । इस संगठन को बनाने के लिये अपने लोगों का संगठन किया जाये, उन्हें इकट्ठा किया जाये और किसी रोज़गार की, व्यापार की या उद्योग की योजना बनाई जाये, उस योजना का लोगों के सामने रखा जाये, उस में उन की रुचि आकर्षित की जाये और तब उन को उन में शरीक़ किया जाये, इन सब के लिये, इस संगठन को खड़ा करने के लिये किसी एजेन्सी की ज़रूरत है जो कि उस को चलाये । आज तक मैनेजिंग एजेन्ट्स इस का संचालन करते रहे हैं । कुछ लोग मैनेजिंग एजेन्ट बनते हैं, वही तमाम व्यापार या उद्योग की योजना तैयार करते हैं । उस में यह बताते हैं कि इस तरीक़े से काम किया जायेगा और यह मुनाफा होगा, वह उस योजना को लोगों के सामने रखते हैं और लोगों का ध्यान उस की तरफ़ आकर्षित करते हैं, उन को शरीक़ करते हैं और इस तरह से मैनेजिंग एजेन्सी रोज़गार खड़ा करती है और संगठन बनाती हैं । उस के बाद जब रोज़गार चालू हो जाता है तब इस रोज़गार की व्यवस्था भी वही मैनेजिंग एजेन्सी करती है । इस तरह से अगर देखा जाये तो यह मैनेजिंग एजेन्ट्स इस देश में ही नहीं बल्कि संसार में उद्योगों और रोज़गार को बढ़ाने में बहुत बड़ा हाथ रखते हैं । जैसे जैसे समय बढ़ता गया और ज़माना तरक्क़ी करता गया, दूसरे देशों में और और तरीक़े निकलते गये जो मैनेजिंग एजन्सी से बेहतर थे । जैसा कहा जाता है और देशों में अमरीका या ब्रिटेन में मैनेजिंग एजेन्सी का तरीक़ा अब प्रायः इस्तेमाल नहीं होता

[श्री कृष्ण चन्द्र]

क्योंकि वहां पर दूसरे तरीक़े इस्तेमाल हो रहे हैं । , उसी तरह से हमारे इस क़ानून के अन्दर भी कई तरीक़े दिये गये हैं जिन तरीक़ों से कि कम्पनियों का संचालन किया जा सकता है, कम्पनियों को खड़ा किया जा सकता है और आगे जा कर कम्पनियों का इन्तज़ाम किया जा सकता है । आज जो कम्पनी ला हमारे सामने है, उस में कई तरीक़े दिये हुये हैं । एक तरीक़ा है मैनेजिंग एजेन्ट्स का, दूसरा तरीक़ा है ट्रेज़र्स व सेक्रेटरीज़ का । यह नया तरीक़ा इस बिल में रक्खा गया है, तीसरा तरीक़ा मैनेजिंग डाइरेक्टर्स का अब तक चलता रहा है, मैनेजर का भी तरीक़ा है । इस तरह से तीन चार तरीक़े इन कम्पनियों का संचालन करने के लिये हमारे इस बिल में मौजूद हैं । किसी भी तरीक़े को इस्तेमाल कर के कम्पनी को खड़ा किया जा सकता है और आगे जा कर उस का संचालन किया जा सकता है, लेकिन सोचने की यह बात है कि जब कई तरीक़े हमारे सामने हैं तो जो लोग कि उस कम्पनी को खड़ा करने का विचार अपने मन में लाते हैं और वह ज्यादातर वह होते हैं जिन को व्यापार का और उद्योग का कोई अनुभव होता है । आज कल जो करोड़ों आदमी व्यापारों या उद्योग धंधों में लगे हुये हैं । पूंजीपति या सेठ साहूकार लोग हैं, वही कम्पनियों को खड़ा करते हैं, उन्हीं के दिमाग़ में यह ख़याल आता है कि इस क़िस्म का रोज़गार किया जाये, तो जब उन के दिमाग़ में कम्पनी को खोलने का ख़्याल आयेगा, तो इस बिल के क़ानून बन जाने के बाद उन के सामने तीन चार तरीक़े रहेंगे । वह सोचेंगे कि उन तीन चार तरीक़ों का इस्तेमाल करके हम कम्पनी को खड़ा कर सकते हैं और आगे चल कर उस का संचालन कर सकते हैं, तब क़ुदरती बात है कि जब कोई रोज़गार किसी काम को चलाने के लिये खड़ा होता है तो वह यह देखता है कि जिस तरीक़े से हमारा सबसे ज्यादा मुनाफा होगा, किस तरीक़े से ऊंचा मुनाफ़ा होगा और सहूलियत मिलेगी । वह उसी तरीक़े को इस्तेमाल करेगा । जो भी हम ने तरीक़े इस क़ानून में रक्खे हैं वह उनमें से किसी को इस्तेमाल कर सकता है अपनी कम्पनी का इन्तज़ाम करने के लिये हम ने सरकार को यह भी अधिकार दिया है कि सरकार आगे चल कर १९६० में यह भी तय कर सकती है कि इन कुछ निर्धारित उद्योगों के अन्दर जो कम्पनीज़ रहेंगी उन में मैनजिंग एजैन्सी का तरीक़ा नहीं होगा बल्कि दूसरा तरीक़ा होगा, टेज़रर का या मैनजिंग डाईरेक्टर का या कोई दूसरा तरीक़ा । तो जब सरकार वहां पर यह तय कर देगी कि मैनेजिंग एजन्सी का तरीक़ा नहीं होना चाहिये, तब बात दूसरी है, लेकिन जब तक किसी उद्योग के लिये यह तय नहीं किया जाता है तब तक क़ुदरती बात है कि जिस तरीक़े में सब से ज्यादा मुनाफा दिखाई देता है वही तरीक़ा हर कोई इस्तेमाल करेगा । इस वास्ते जैसा कि कहा जाता है कि हम ने आज तक कोई तरीक़ा कम्पनी के इस्तेमाल के लिये दूसरा नहीं निकाला, जब तक हम कोई बहतर तरीक़ा कम्पनयिों के संचालन के लिये न निकाल लें तब तक हमारा इस मैनेजिंग एजेन्सी के तरीक़े को खत्म कर देना बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उस से हमारे रोज़गार खत्म हो जायेंगे । आज जो उद्योग धन्धे चल रहे हैं वह भी खत्म हो जायेंगे । यह सभी तरीक़े अपने स्थान पर काफी महत्व रखते हैं, लकिन जब हम देखते हैं कि कई तरीक़ हमारे सामने है तो जो तरीक़ा कि सब से बड़े मुनाफे का होगा, जिस तरीक़े में हमें सब से ज्यादा मुनाफ़ा हो सकता है । जिस तरीके में हमे सब से ज्यादा सहूलियत हो सकती है,जिस तरीके से मैनेजिंग एजेन्ट्स को जो कि कम्पनी को चलाने वाले हैं, सब से ज्यादा मुनाफा कमाने का मौक़ा मिल सकता है, और जब तक कि

वह तरीक़ा मौजूद रहता है, तब तक क़ुदरती तौर पर जो लोग कम्पनी को चलाने वाले होंगे वह उसी तरीक़े की आजमाइश करेंगे। तो जब तक हम मैनेजिंग एजेन्सी के तरीक़े को अपनायेंगे, तब तक लोगों का ध्यान दूसरे तरीक़ों की तरफ आयेगा ही नहीं। यह जो कहा जाता है कि हम ने कोई रास्ता नहीं निकाला, हम ने कोई दूसरा तरीक़ा नहीं निकाला, उस के सम्बन्ध में मेरा विनीत निवेदन यह है कि जब तक हम मैनेजिंग एजेन्सी सिस्टम को चालू रक्खेंगे, जब तक लोगों के सामने यह रहेगा और वह उस का इस्तेमाल कर सकेंगे, उन के लिये खुला हुआ रास्ता रहेगा, तब तक किसी दूसरे तरीक़े में लोगों की रुचि नहीं हो सकती है क्योंकि वह उस तरीक़े को जिस में उस को ज्यादा सहूलियत है, ज्यादा मुनाफा है और इन्तज़ाम भी जिस में अच्छा हो सकता है, छोड़ने को तैयार नहीं होगा क्योंकि यह मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य की प्रकृति है कि जो मुश्किल तरीक़ा है, जिस में उस का लाभ कम है, उस की आज़माइश करे। हम ने कितने ही प्रतिबन्ध इस मैनेजिंग एजेन्सी सिस्टम पर लगाये हैं, हम ने इन प्रतिबन्धों को लगा कर यह कोशिश की है कि मैनेजिंग एजेंट्स को जो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते रहे हैं और जिन की वजह से मैनेजिंग एजेन्सी काफी बदनाम हुई है और जिन की वजह से लोगों का तीव्र विरोध उन के खिलाफ उठा है उन के उन तरीक़ों को हम बन्द कर दें। इस बिल में कितने तरीक़े हैं कितनी ही व्यवस्थायें हैं कि जिन के ज़रिये से मैनेजिंग एजेंट्स जो खराब तरीक़े अख्तियार करते हैं उन को बन्द किया जा सके। अब मैं उन प्रतिबन्धों का ज़िक्र करूंगा कि जिन से खराबियां दूर करने की व्यवस्था बिल में रखी है। पेश्तर इस के कि मैं उन का ज़िक्र करूं मैं यह बात कह देना चाहता हूं कि जिस वक्त यह बिल हमारे सामने पहले पहल पेश किया गया था उस वक्त इस बिल में बहुत सी खराबियां थीं, बहुत सी कमियां थीं.....

श्री कामत (होशंगाबाद) : अभी भी हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र : हां, अब भी हैं। जब यह बिल ज्वाइंट सिलैक्ट कमेटी के सामने गया और ज्वाइंट सिलैक्ट कमेटी के मैम्बरान ने जो इस में मेहनत की है, परिश्रम किया है मनन किया है उस ने इस को बहुत सुधार करके इस हाउस के सामने पेश किया है। जो कमियां पहले बताई गई थीं, जो खामियां बतलाई गई थीं, उन पर इस कमेटी ने विचार किया और काफ़ी इस बिल को दुरुस्त करने की कोशिश भी की है और आज जो बिल हमारे सामने आया है वह बिल पहले से काफ़ी सुधरा हुआ है। आज इस में बहुत कम कमियां रह गई हैं और अब जो कमियां दिखलाई देती हैं वह ऐसी कमियां हैं कि जिन के बारे में मतभेद हो सकता है। पहले जो कमियां थीं वह साफ तौर से मालूम पड़ती थीं लेकिन अब ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी ने उन्हें बहुत कुछ दूर कर दिया है।

पहली बात जो इस बिल में रखी गई है वह यह है कि मैनेजिंग एजेंट्स का जो रिम्युनरेशन है उस की एक सीमा निश्चित कर दी गई है। यह रिम्युनरेशन चाहे वे मुनाफ़े के किसी विभाग के रूप में लें चाहे वेजिज़ के तौर पर लें उसकी सीमा धारा १९७ में निश्चित कर दी गई है। यह सीमा १० फीसदी निश्चित कर दी गई है और कोई इस से ज्यादा नहीं ले सकता है। यदि वही मैनेजिंग एजेंट अपनी मातहती में कोई मैनेजर रख कर कम्पनी का इन्तज़ाम कराये और उस को तनख्वाह दे तो यह व्यवस्था रखी गई है कि मैनेजर आदि की तनख्वाहों को शामिल कर के और मैनेजिंग एजेंट्स के मुनाफ़े को शामिल कर के कम्पनी के

[श्री कृष्ण चन्द्र]

मुनाफ़े से ११ फ़ीसदी से ज्यादा नहीं लिया जा सकेगा । दो तरीक़ों से सीमा निर्धारित कर दी गई है । इस में एक खामी रह गई है और वह यह है कि इस में कोई व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये कि जिस से गवर्नमेंट को यह अख्तियार दिया जाये, कि वह इस ११ फ़ीसदी और १० फ़ीसदी की सीमा के अन्दर रहते हुये हर कम्पनी के लिये या हर उद्योग के लिये या तो उनकी पूंजी के ऊपर या उनके मुनाफे के ऊपर किसी तरह की सीमा और लगा दें अगर ऐसा हुआ तब तो यह जो हमारी सीमा है । अच्छी तरह से काम करेगी एक कम्पनी दो करोड़ रुपये की लागत से चल रही है, बहुत बड़ा काम कर रही है दस बीस लाख का मुनाफा कमा रही है उसके लिये भी ११ फ़ीसदी की सीमा और जो कम्पनी दो लाख की पूंजी से चल रही है, बहुत थोड़ा मुनाफा कर रही है, उसके लिए भी ११ फ़ीसदी की सीमा उचित नहीं । इसके बारे में इस बिल में कुछ न कुछ प्राविज़न होना चाहिये ।

इस बिल के अन्दर गवर्नमेंट को यह भी अख्तियार दिया गया है कि अगर शेयर होल्डर्ज़ चाहें और वह गवर्नमेंट के पास इस क़िस्म की कोई दरख्वास्त दें कि कम्पनी की इन्तज़ाम ग़लत तरीक़े पर चल रहा है, कम्पनी के इन्तज़ाम मे, मैनेजिंग एजेंट्स के तौर तरीके से कुछ शेयरहोल्डर्ज़ को नुक़सान पहुंच रहा है तो गवर्नमेंट को यह अख्तियार होगा कि वह सारे मामले को इन्वेस्टिगेट करा सकती है और अपने इन्स्पेक्टर मुक़र्रर कर सकती है । इस के अलावा अगर गवर्नमेंट को इस बात का इत्मिनान हो जाये कि कम्पनी ग़लत तरीक़े से चल रही है तो अपने आप भी वह उस के मामलों की तहक़ीकात करवा सकती है । मैं मानता हूं कि यह एक बहुत अच्छा चीज़ है लेकिन इसके बारे में जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूं वह यह है कि इसमें एक पाबंदी लगा दी गई है कि अगर १० फ़ीसदी शेयरहोल्डर्ज़ दरख्वास्त करें, उस कम्पनी के जितने भी शेयरहोल्डर्ज़ हैं उन का दसवां हिस्सा अगर गवर्नमेंट को दरख्वास्त दे तभी गवर्नमेंट तहक़ीकात करवा सकती है वरना नहीं । मैं यह चाहता हूं कि इस बिल में यह रख दिया जाये कि अगर गवर्नमेंट समझे कि शेयरहोल्डर्ज़ की शिकायत काफ़ी हद तक ठीक मालुम होती है और उन शिक़ायतों को देखते हुये अगर गवर्नमेंट मूनासिब समझे तो थोड़ी तादाद भी अगर शेयरहोल्डर्ज़ की हो तो उस सूरत में भी गवर्नमेंट इन्वेसटीगेशन का हुक्म दे सकती है ।

इस बिल में एक बात यह भी की गई है कि एक सीमा लगा दी गई है कि एक मेनेजिंग एजेंट १० कम्पनियों से ज्यादा का मैनैजिंग एजेंट नहीं रह सकता । यह बहुत बड़ी चीज़ है । आज तक जो क़ानुन था उस में यह था कि एक मैनेजिंग एजेंट चाहे जितनी कम्पनियों का मैनेजिंग एजेंट बन सकता था । उस पर ऐसा करने के लिये कोई रोक नहीं लगाई गई थी । कितनी ही कम्पनियों के कुछ लोग मैनेजिंग एजेंन्ट हो सकते थे । इस बिल में पहली दफा इस क़िस्म की सीमा बांधी गई है । इस में इसके अलावा एक और भी चीज की गई है और वह यह कि मैनेजिंग एजेन्टस के जो एसोसियेटस होते हैं उन को भी डिफाइन कर दिया गया है । इस से पहले ऐसा भी होता था कि कुछ मैनेजिंग एजेंट अपने आप तो कुछ कम्पनियों के मैनेजिंग एजेंट बन जाते थे और इस के अलावा कई और कम्पनियों का काम ले लेते थे जिन में कि उन का सीधा तो कोई हाथ नहीं होता था लेकिन किसी तरीक़े से उन का मुनाफ़ा भी उन के पास आ जाता था । इस तरह से वे कितने ही कम्पनियों का इन्तज़ाम सम्भाल लेते थे ।

अब ऐसा नहीं हो सकेगा। इस बिल में एसोसियेट की भाषा काफी विस्तृत तौर पर लिख दी गई है ताकि कोई गुंजाइश न रहे और वे इस का उल्लंघन न कर सकें। यह बहुत अच्छी चीज़ है। मैनेजिंग एजेंट्स जो काबिल होते हैं, अपनी क़ाबलियत से, अपनी योग्यता से, अपने प्रभाव से वे कम्पनी को चलाते हैं उसका इन्तज़ाम करते हैं, उसको मुफ़ीद बनाते हैं, उसको फायदे की चीज़ बनाते हैं। अब तक ऐसा हुआ करता था कि यह मैनेजिंग एजेंट्स पहले से ही यह शर्त कर लिया करते थे कि उन के लड़के उन के पोते उन के बाद उन के उत्तराधिकारी होंगे। इस तरह से जो मैनेजिंग एजेंट हुआ करते थे वे बराबर मैनेजिंग एजेंट ही चले आते थे क्योंकि उन के बाद उन के लड़के और उन के पोते काम को सम्भाल लिया करते थे। लेकिन इस क़ानुन के अन्दर यह तय कर दिया गया है कि आइन्दा के लिये उन के लड़के और उन के पोते, चाहे उन्होंने कितना ही अच्छा काम क्यों न किया हो, उन के उत्तराधिकारी नहीं हो सकेंगे और केवल इसी बिना पर मैनेजिंग एजेंट नहीं बन सकेंगे।

जो क़र्ज़ मैनेजिंग एजेंट्स को दिये जाते हैं उन के बारे में भी इस बिल में काफ़ी सख्त पाबन्दी, बड़े प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं। जो प्रतिबन्ध रखे गये हैं वे ऐसे हैं जिन के बारे में जहां तक अक्ल काम करती है उन प्रतिबन्धों को टाला नहीं जा सकता है, उन का कंट्रेवेंशन नहीं किया जा सकता है, घुमा फिरा कर उन को तोड़ा नहीं जा सकेगा। इस में यह प्रतिबन्ध भी रख दिया गया है न सिर्फ़ मैनेजिंग एजेन्ट बल्कि उनके एसोसिएट, रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार, उनके साथ मुनाफ़ा कमाने वाले शरीक़ कोई भी अगर क़र्ज़ा लेंगे, तो उनको नहीं दिया जायगा। इसके अलावा अब तक यह होता रहा है कि कम्पनी से क़र्ज़ा नहीं लिया, दूसरी जगह से ले लिया और कम्पनी की ज़मानत दे दी। अब यह प्रतिबन्ध लगा दिया गया है कि कम्पनी से भी क़र्ज़ा नहीं लिया जा सकता है और अगर कोई दूसरा क़र्ज़ा दे, तो कम्पनी ज़ामिन भी नहीं होगी।

अब तक यह व्यवस्था थी कि मनेजिंग एजेन्ट्स को अख्तियार था कि वे अपने डायरेक्टर्ज़ मुक़र्रर कर दें, क्योंकि मैनेजिंग एजेन्ट्स के ऊपर डायरेंक्टर्ज़ रहते थे---मैनेजिंग एजेन्ट्स बोर्ड आफ़ डायरेक्टर्ज़ के आधिपत्य में रहते हुये अपना काम करते थे। मैनेजिंग एजेन्ट्स को पूरे अख्तियारात थे, लेकिन बोर्ड आफ़ डायरेक्टर्ज़ का उन के ऊपर कंट्रोल रहता था। अब तक मैनेजिंग एजेन्ट्स को अख्तियार था कि वे एक तिहाई डायरेक्टर्ज़ खूद मक़र्रर कर दें और दो तिहाई जेनरल मीटिंग में मूक़र्रर हो जायें। इस पर भी अब प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। अब यह कर दिया गया है कि वे एक तिहाई या दो, इसमें जो भी ज्यादा हो, डायरेक्टर्ज़ मूक़र्रर कर सकते हैं। वे एक तिहाई मुक़र्रर कर सकेंगे और या दो---दो से ज्यादा मुक़र्रर नहीं कर सकेंगे।

गवर्नमेंट को यह भी अख्तियार दिया गया है कि अगर वह देखे कि किसी कम्पनी में बड़ी बद-इन्तज़ामी हो रही है और मैनेजिंग एजेन्ट्स ने बड़ी धांधलेबाज़ी कर रखी है, तो शेयरहोल्डर्ज़ के हितों की रक्षा करने के लिये उन में से अपनी तरफ़ से दो डायरेक्टर्ज़ मुक़र्रर कर सकती है।

इन पाबन्दियों के रहते हुये उम्मीद तो यह की जाती है कि आइन्दा मैनेजिंग एजेन्ट्स की धांधलेबाज़ी, उनके ग़लत तरीक़ों में काफ़ी कमी हो जायेगी। ज़रूरी यह है कि इन प्रतिबन्धों को ठीक तरीक़े से इस्तेमाल किया जाये और उम्मीद है कि किया जायगा। यह प्राविज़न भी रखा गया है कि अगर इसके बाद भी ये खामियां, ये ख़राबियां दूर न हों,

[श्री कृष्ण चन्द्र]

तो गवर्नमेंट को अख्तियार होगा कि वह १९६० के बाद तय करे कि इन उद्योगों में मैनेजिंग एजेन्सी सिस्टम नहीं रहेगा । यह काम धीरे धीरे किया जायेगा ।

इसके साथ ही साथ सेक्रेटरीज़ और ट्रेज़रर्ज के बारे में भी प्राविज़न है । मैं अर्ज़ करना चहता हूं कि सेक्रेटरीज़ और ट्रेज़र्ज का जो नया रूप बनाया गया है, उसमें और मैनेजिंग एजेन्ट्स के रूप में कोई ज्यादा भेद नहीं है । एक गया और दूसरा आया । चेहरे-मोहरे में फ़र्क़ हो गया, लेकिन आदमी वही रहते हैं । सेक्रेटरीज़ और ट्रेज़रर्ज़ कोई आदमी नहीं हो सकता है । जिस तरह मैनेजिंग एजेंट्स कोई फर्म ही हो सकती है—वह कार्पोरेट हो या इनकार्पोरेट—, उसी तरह सेक्रेटरीज़ और ट्रेज़रर्ज़ के लिये भी रख दिया गया है कि वे भी फ़र्म्ज़ ही होंगे, कोई व्यक्ति नहीं होंगे, ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपने नाम से सेक्रेटरी या ट्रेज़रर्ज़ हो जाये । वह तो सिर्फ़ फर्म ही हो सकती है—चाहे वह कार्पोरेट हो या इनकार्पोरेट । मैनेजिंग एजेन्ट्स में जो बात थी, वही सेक्रेटरी और ट्रेज़रर्ज में रखी गई है । कोई अच्छा आदमी कितना ही क़ाबिल और होशियार क्यों न हो, कम्पनी को अख्तियार नहीं कि वह उसको सेक्रेटरी या ट्रेज़रर बना दे—वह तो कोई व्यापारिक फर्म ही हो सकती है । उसके लिये भी वही अख्तियार रखे गये हैं, जो कि मैनेजिंग एजेन्ट्स के थे । हमारे बिल में लिखा गया है कि सेक्रेटरी और ट्रेज़रर को भी कुछ को छोड़ कर सब वही अख्तियार मिलेंगे । सिर्फ यह फ़र्क़ किया गया है कि मैनेजिंग एजेन्ट्स के मुनाफ़े की सीमा जहां दस परसेंट से ज्यादा नहीं हो सकती है, वहां सेक्रेटरीज़ और ट्रेज़रर्ज़ का मुनाफ़ा साढ़े सात परसेंट से अधिक नहीं हो सकता । एक बात और कर दी गई है कि सेक्रेटरीज़ और ट्रेज़रर्ज़ डाइरेक्टर्स मुक़र्रर नहीं कर सकते हैं । यह उम्मीद की गई है कि सेक्रेटरीज़ और ट्रेज़रर्ज़ मैनेजिंग एजेन्ट्स से ज्यादा बेहतर साबित होंगे । उन में वे ख़राबियां और ख़ामियां नहीं रहेंगी । उन के सामने इतने टम्पटेशन्ज़ नहीं रहेंगे । वे इतने नहीं गिरेंगे जितने कि मैनेजिंग एजेन्ट्स गिरते है । इन दो बातों को छोड़ कर, जिनका कि मैं ने अभी ज़िक्र किया है, उनके अख्तियार भी वही रहेंगे, जो कि मैनेजिंग एजेन्ट्स के हैं । मैनेजिंग एजेन्ट्स को अख्तियार था कि वे पहले से इक़रारनामा कर सकते हैं, पहले से शर्त कर सकते हैं । सेक्रेटरी भी यह कर सकेंगे, जब सारे अख्तियारात वही हैं, तो इतने थोड़े से फ़र्क़ करने से सेक्रेटरीज़ और ट्रेज़रर्ज़ उतने ही ग़लत साबित हो सकते हैं, जितने कि आज तक मैनेजिंग एजेन्ट्स हुये हैं । मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह सब निकाल कर हम मैनेजर रख सकते हैं कोई अच्छे, ईमानदार और होशयार व्यक्ति रख सकते थे, जिन पर ज़िम्मेदारी डाली जा सकती थी या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर रख सकते थे । जैसा कि मैं ने पहले भी अर्ज़ किया है, जब तक हम कम्पनी के संचालन के लिये कई तरीक़े रहने देंगे तो उन में से जो फायदा-मन्द दिखाई देंगे । उसी का इस्तेमाल होगा । हम जानते हैं कि अब तक भी हमारे सामने मैनेजर का तरीक़ा था, मैनेजिंग डायरेक्टर का तरीक़ा था, लेकिन जितने भी बड़े बड़े रोज़गार चल रहे हैं, बड़ी बड़ी कम्पनियां चल रही है, उनमें ज्यादातर मैनेजिंग एजेन्सीज़ ही दिखाई दे रही हैं और दूसरे तरीक़े नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वही तरीक़ा सब से लाभकारी था ।

अब मैं को-आपरेटिव का कुछ जिक्र करूंगा । व्यापार और उद्योग को चलाने का एक तरीका जायंट स्टाक कम्पनी का है

और दूसरा जब को-आपरेटिव सोसायटी का है--इसमें सब का सहयोग ले कर, सब के मफ़ाद में, सब के हित में रोज़गार को चलाना, समाज के हित में रोज़गार को चलाना उद्देश्य है। को-आपरेटिव सोसायटीज का यही उद्देश्य रहा है । अव्वल तो हमारे यहां हर सूबे की सरकार को अख्तियार है कि वह को-आपरेटिव सोसायटीज़ के बारे में क़ानून बना सकते हैं, लेकिन जो हमारे क़ानून इस सम्बन्ध में हैं, उनमें से इतनी ज़बर्दस्त पाबन्दियां लगाई गई हैं, जिनके रहते हुये कोई आदमी को-आपरेटिव सोसायटी खड़ी नहीं कर सकता है । दूसरी तरफ़ जायंट स्टाक कम्पनीज़ का संचालन करने वालों के रास्ते में इतनी सहूलियतें रखी गई हैं, उनके फ़ायदे के इतने तरीक़े रखे गये हैं, कि कोई भी आदमी जायंट स्टाक कम्पनी खड़ी कर सकता है । जायंट स्टाक कम्पनी के लिये यह रखा गया है कि जितने शेयर होंगे, उतनी ही रायें होंगी । वहां डिविडेंड की कोई सीमा नहीं बांधी गई है । इन्तज़ाम के तरीक़े दूसरे हैं । वे अपना इक़रारनामा कर सकते हैं । मैनेजिंग एजेन्ट्स चाहे जितना फायदा रख सकते हैं । दूसरी तरफ़ को-आपरेटिव सोसायटीज़ की हालत देखिये । मान लीजिये कि मेरी तबियत है कि मैं एक को-आपरेटिव सोसायटी खड़ी करूं किसी ऐसे धंधे को चलाने के लिये, जिसमें सब लोगों का फायदा हो । उसमें पहले मुझे यह करना होगा कि मैं को-आपरेटिव सोसायटी की कोई स्कीम बनाऊंगा, चारों तरफ़ जाऊंगा, लोगों के सामने उसे रखूंगा, उसमें लोगों की रुचि उत्पन्न करूंगा ताकि वे उसमें शरीक़ हों । यह सब खर्च करूंगा, परेशानी उठाऊंगा । लेकिन बाद में मेरे पास कोई तरीक़ा नहीं है कि मैं उस खर्चे का उचित कम्पेन्सेशन भी को-आपरेटिव सोसायटी से—जब वह चालू हो जाये—ले सकूं । को-आपरेटिव सोसायटी को यह भी अख्तियार नहीं दिया गया है कि वह कोई नान-आफिशियल मैनेजर ही रख सके—वहां तो जो कोई मैनेजर रह सकता है, वह तन्ख्वाहदार ही पेड रह सकता है ।

पर जो आदमी इस काम के लिये खड़ा होगा उसको अपना ख़र्चा निकालने का कोई तरीक़ा नहीं है । को-आपरेटिव सोसायटी को खड़ा करने के लिये और उसका संचालन करने के लिये और उसके ज़रिये से रोज़गार और उद्योग चलाने के लिये आज काफ़ी सहूलियतें नहीं है । यही वजह है कि यद्यपि हम देखते हैं कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकारें यह चिल्ला रही हैं कि को-आपरेटिव सोसाइटियों के ज़रिये रोज़गार और खेती का धंधा चले मगर फिर भी असली रूप में आज हमारे देश में को-आपरेटिव सोसायटियां कामयाब नहीं हो रही हैं । उसकी वजह यही है कि को-आपरेटिव सोसायटीज़ का क़ानून इतना सख्त है कि किसी आदमी की हिम्मत नहीं होती कि वह उनके संचालन की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले । इसलिये मैं समझता हूं कि हमको दोनों चीज़ों को साथ साथ सोचना चाहिये । जाइंट स्टाक कम्पनीज़ को जो बहुत ज्यादा सहूलियतें मिली हुई हैं जहां उनको एक तरफ़ कम करना चाहिये, वहां को-आपरेटिव सोसाइटियों को ज्यादा सहूलियतें मिलनी चाहिये । अगर ऐसा किया जायेगा तो हम देखेंगे कि काम करने वाले लोग सामने आवेंगे । लेकिन जब हम कोई रास्ता ही नहीं देंगे तो दूसरा रास्ता निकल ही नहीं सकता ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : जो बिल हमारे सामने है मैं नहीं जानता कि मैं उसका ख़ैरमुक़दम करूं या उस के अन्दर जो खामियां हैं उनको देखकर उसका ख़ैरमकदम न करूं । दरअसल मुझे अपनी नाकिस राय में यह जो बिल आया है इतने सारे सेक्शन्ज़ के साथ,

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

मुझे तो यह एक डरावनी सी चीज़ मालूम देती है, एक नई चीज़ मालूम होती है, एक नया तजर्बा मालूम होता है । मुझे यह रियलिटीज़ से बहुत दूर मालूम होता है ।

यह तो सही है कि इतना ज़खीरा हमारे सामने आ गया है, जो कि इतना लम्बा चौड़ा है कि इसके सारे एस्पेक्ट्स पर बहुत ही कम मेम्बर रोशनी डाल सकेंगे । बेहतर होता कि यह इस तरीक़े से न आता बल्कि जिस तरीक़े से कि सिविलि प्रोसीज्योर कोड बना है उस तरह से बना होता और इसमें आर्डर्स वगैरा होते । अगर ऐसा होता तो शायद इस पर ज्यादा ग़ौर हो सकता । इसमें बहुत से मामले ऐसे रह जायेंगे जिन पर इस हाउस में गौर नहीं होगा । मोटी मोटी बातों पर चर्चा हो जायेगी पर छोटी छोटी बातों पर किसी का ध्यान भी नहीं जायेगा ।

मैं जो ज्यादा ख़राबी देखता हूं वह यह है कि जो हमारा मौजूदा ढांचा है उसको एक दम बदलने की कोशिश की गयी है । अगर यह कोशिश कामयाब हो जाये तो बहुत मुबारक़ है, लेकिन अगर कामयाब न हो तो कोई ताज्जूब नहीं होगा । जनाब वाला, मुलाहिज़ा फरमायेंगे कि आज इस देश के अन्दर क़रीब २९,००० कम्पनियां हैं । वह किस तरह से बनी हैं ? वह इस तरह से नहीं बनी हैं कि शेअर होल्डर इक्ट्ठे हुये उन्होंने एक मैनेजिंग एजेंट को ढूंढा और उनका आपस में मुआहिदा हो गया और काम शुरू हो गया । यहां पर तो आम तौर से छोटे छोटे हिस्सेदार तो सब बातों से वाकिफ नहीं होते और न सारी क़ानूनी बातों को जानते हैं । वे लोग अपने हक़ूक़ को भी नहीं जानते । यही बड़ी ख़राबी यहां है कि शेअरहोल्डर कम्पनी में पूरा इंटरेस्ट ही नहीं लेते । इसलिये मैनेजिंग एजेंट लोग जो कि बहुत होशियार होते हैं और जिनके पास रुपये की भी ताक़त होती है वही अब तक जितना प्राफिट होता रहा है उसकी मलाई खाते आये हैं । शेअर होल्डर को तो कुछ मिल गया तो मिल गया और न मिल गया तो न मिल गया ।

बहुत सी बातें इस हाउस में कही गयी हैं और बहुत सी बातें रिपोर्ट में और मिनिटस आफ डिस्सेंट में कही गयी हैं जिनमें कि मैनेजिंग एजेंटस् को इतना काला पेंट किया गया है कि उनकी तरफ देखने को भी जी नहीं चाहता । इन सब को पढ़ कर ऐसा इम्प्रेशन होता है ऐसा मालूम होता है कि मैनेजिंग एजेंट्स का एक ऐसा मजमुआ है जो सिवाय बेइमानी के, सिवाय ख़राबी के और सिवाय टैक्स इवेजन के कोई अच्छा तरीक़ा काम में नहीं लाते । जिन अशख़ास ने नोट आफ डिस्सेंस दिये हैं वह कहते हैं कि इनको ख़त्म कर दिया जाये । इससे पहले भी कुछ कमीशन बैठ चुके हैं । जनाब वाला भी फिसकल कमीशन के मेम्बर थे । और भी कई कमीशन थे । उनमें भी यही कोशिश की गयी कि मैनेजिंग एजेंट्स को ख़राब तरीक़े से पेंट किया जाये और उनको कंडेम किया जाये । मैं तो समझता हूं कि अगर यह चीज़ इतनी काली और ख़राब है तो इसको हमेशा के लिये ख़त्म कर दिया जाये । लेकिन न तो यह तस्वीर पसन्द की गयी है और न यह दुरुस्त है । आज गवर्नमेंट के काम के बारे में सारे देश में चर्चा है कि करप्शन बढ़ रहा है और बहुत सी ख़राबियां बढ़ रही हैं, तो क्या हम गवर्नमेंट को उठा कर फेंक दें । अगर इस सिस्टम में कुछ निकम्मे आदमी हैं तो यह कोई वजह नहीं है कि हम इस सिस्टम को बिल्कुल काट कर फेंक दें । इस लिये मैं समझता हूं कि इस तरह के रेपिड चेंज अगर किये जायेंगे तो वे ज्यादा फायदेमन्द साबित न होंगे, खुसूसन आज जब कि हमारा प्लानिंग

कमीशन चाहता कि एक बड़ी रक़म प्राइवेट सेक्टर में इनवेस्ट हो । गवर्नमेंट चाहती है कि इस देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो और इसके लिये कई सौ करोड़ रुपया देना चाहती है । तो मैं नहीं समझता कि ये दोनों बातें साथ साथ कैसे चल सकती हैं । एक तरफ़ आप चाहते हैं कि मैनेजिंग एजेन्ट्स खत्म हो जायें, कोई इनकी तरफ़ न देखे, और दूसरी तरफ़ आप चाहते हैं कि अगले पांच वर्ष में इंडस्ट्रियलाइज़ेशन बहुत दूर तक चला आय । अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको चाहिये था कि आप इतने रेस्ट्रिक्शन न लगाते । आप इसको इतना परकेंच न करते कि वह थोड़ी बहुत भी उड़ न सके । अगर आप इनसे आगे काम लेना चाहते हैं तो आपको इनके इतने पर कैंच नहीं करने चाहिये । मुझे इस बिल में यह खराबी नज़र आती है कि इसमें मैनेजिंग एजेंट्स पर बहुत ज्यादा पाबन्दियां लगा दी गयी हैं । मैं ने शुरू में अर्ज़ किया है कि कम्पनियां किस तरह से बनती हैं । मैनेजिंग एजेंट जिनके पास अपने घर का कुछ रुपया होता है और जिनको स्किल होती है वे दो चार बड़े शेअर होल्डर से मिलते हैं और लाख दो लाख रुपया इकट्ठा करके अपने नाम से कम्पनी शुरू कर देते हैं । और उनके नाम की वजह से वह कम्पनी कामयाब हो जाती है । जिन ग़रीब लोगों का रुपया लगा होता है उनको बहुत कम फायदा होता है । ये मैनेजिंग एजेंट उस रुपये से बाहर से मशीनरी मंगाते हैं और उसमें भी अपना कमीशन लेते हैं । कुछ रुपया इरेक्शन पर खर्च करते हैं । और इस तरह से कम्पनी चालू करते हैं । जब कम्पनी चलने लग ी है तो अपने भाई भतीजों को उसमें रखते है या सबसिडयरी कम्पनीज़ जारी कर देते हैं और अपना सैलिंग और बाइंग कमीशन रखते हैं । थोड़ा बहुत मुनाफा शेअर होल्डर्स को भी दे देते हैं । इस तरह से कम्पनी को चलाते हैं । लेकिन यह सब होते हुये भी आज भी सिक्का इन लोगों का ही चलता है । आज भी बड़े मैनेजिंग हाउस जो कम्पनी फ्लोट करते हैं उसके हिस्से हाल बिक जाते हैं और जिसका नाम मशहूर नहीं है अगर वह कम्पनी फ्लोट करता है तो उसके हिस्से नहीं बिकते, क्योंकि इन मैनेजिंग एजेंट्स पर लोगों को भरोसा होता है कि ये कम्पनी को चला लेंगे और हमको डिविडेंड देंगे । आप सारी हिस्ट्री को देखेंगे तो आप नहीं कह सकते कि इस सिस्टम ने कुछ काम नहीं किया । आपको मानना होगा कि आज जो मुल्क ने इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस की है वह इन कम्पनियों की ही वजह से की है । आपको मानना होगा कि यह कम्पनियां अपने काम में इतनी एक्सपर्ट हैं कि जो चीज़ पैदा करती हैं वह इतने कम दाम पर पैदा करती हैं कि हमारा माल दुनिया के दूसरे देशों के माल के साथ कम्पीट कर सकता है और कुछ चीज़ों में तो हम दूसरे देशों को मात भी देते हैं । इसलिये में समझता हूं कि अगर हमने इनको खत्म कर दिया तो हम इतनी लो कास्ट पर चीज़ें नहीं पैदा कर सकेंगे और जो आज हम दुनियां में कम्पीट कर पा रहे हैं वह हम नहीं कर सकेंगे ।

इसके अलावा जनाब वाला मूलाहिज़ा फरमायें, कि हमने अपने कांस ीट्युशन में भी इस चीज़ को रखा है और हमारे अब तक के अमल से भी यह ज़ाहिर है कि हम प्राइवेट सेक्टर को क़ायम रखना चाहते हैं । लेकिन अगर हम ऐसा चाहते हैं तो यह कहां तक ठीक होगा कि हम उसको इतना बांध दें कि उसको कोई फ्रीडम ही न रह जाये । मुझे याद है कि हमारे मिनिस्टर साहिबान ने कई बार अपनी यह राय ज़ाहिर की है कि प्राइवेट सेक्टर को क़ायम रखना चाहिये । हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी फेडरेशन आफ चेम्बर आफ कामर्स में बोलते हुये यह कहा था कि हम प्राइवेट सेक्ट को खत्म

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

करना नहीं चाहते और भी मोकों पर उन्होंने ऐसी राय ज़ाहिर की है। इसलिये जब आप उनको खत्म नहीं करना चाहते तो में चाहता हूं कि आप उनको एलबो रूम दें। आप नहीं चाहते कि ये खत्म हो जायें। तो अगर ये दोनों बातें दुरुस्त हैं तो मैं अदब से दरख्वास्त करूंगा कि ये कहां तक कानसिसटेंट हैं। अगर आप इनको अच्छा नहीं समझते हैं तो आप इनको काट कर फेंक दें। लेकिन अगर आप समझते हैं कि इनसे आपको फायदा पहुंचेगा तो इन पर इननी सख्त बन्दिशें आयद न कीजिये जैसा कि किया गया है।

जनाब वाला, मैं जब सेक्शंस ३१३, ३२४, ३२५, ३२७, ३२८ और ३२९ आदि जो मैनेजिंग एजेन्सीज़ से सम्बन्ध रखते हैं, पढ़ता हूं तो हैरान रह जाता हूं। यह सेक्शंस हैरानकुल हैं। ३२३ के अन्दर गवर्नमेंट को यह पावर दी गई है कि वह कुछ इंडस्ट्रीज़ के वास्ते यह इन्तज़ाम कर देंगी कि उनमें एक खास अर्से के बाद मैनेजिंग एजेंसी हो ही नहीं सके।

दूसरी चीज़ यह कहते हैं कि जो गवर्नमेंट की कम्पनीज़ हैं जिसमें कि गवर्नमेंट का ५१ परसेंट शेयर होगा, उनके अन्दर कभी कोई मैनेजिंग एजेंसी नहीं होगी।

मैं जनाब की तवज्जह दफा ३२५ की तरफ दिलाऊंगा जिसके बारे में कहते हैं कि इनके वास्ते नोटिफिकेशन जारी नहीं करेंगे जो कि दफा ३१३ की ज़द में नहीं आते हैं। ३२५ के वास्ते भी मेरा कहना है कि इसमें यह गवर्नमेंट की मर्जी पर छोड़ दिया गया है कि वह नान नोटीफाइड इंडस्ट्रीज़ के मुतालिक एपायन्टमेंट या रिएपायंटमेंट के लिये गवर्नमेंट इजाजत दे अथवा न दे। मुझे तो यह एक अजीब सी दफा लगती है और मेरी निगाह में तो यह एक इल्लीगल दफा है। दफा ३२५ मूलाहिज़ा फरमायें। में नहीं समझा कि नोटीफाइड और नान-नोटीफाइड में क्या फर्क रह जाता है। या तो आप दो जगह लाइन खींचें कि यह नोटीफाइड है और यह नान नोटीफाइड है .....

उपाध्यक्ष महोदय : अधिसूचित का सम्बन्ध सभी प्रबन्ध अभिकर्ताओं से है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : कृपया ३५ खण्ड (२) को देखिये उसमें लिखा है उन इंडस्ट्रीज़ के बारे में जिनको गवर्नमेंट मुनासिब समझेगी, उनको नोटीफाइड कर देगी। उसमें आगे लिखा है :—

"कि एक समवाय को प्रबन्ध अभिकर्ता रखने की अनुमति देना लोक हित के विरुद्ध नहीं है ;

(क) कि इसकी राय में प्रस्तावित प्रबन्ध अभिकर्ता नियुक्त किये जाने अथवा पुनः नियुक्त किये जाने के लिये उपयुक्त है और प्रस्तावित प्रबन्ध अभिकरण करार की शर्तें उपयुक्त हैं, और

(ख) कि प्रस्तावित प्रबन्ध अभिकर्ता ने उन शर्तों को पूरा कर दिया है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अपेक्षित हैं।

मैं अदब से अर्ज करूंगा कि यह तीनों कंडीशन्स एक से एक अजीब हैं। अगर वह अनडिस्चार्जड इंसालवेंट हैं, कनविक्टेड परसन हैं या मेनेजिंग एजेंट के वास्ते जो और ऐब समझे जाते हैं और जो कि कई सेक्शंस में दिये हुये हैं और जिनके कि होने पर वे निकाल दिये जायेंगे। अगर यह अनर्हत हो तो उसे मेनेजिंग एजेंट न बनाया जाये यह काफी ड्रास्टिक प्राविज़न हैं। लेकिन ३२५ दफा में गवर्नमेंट यह कहती है कि जिसकों हम पसन्द करेंगे उसको हम इजाजत देंगे कि मैनेजिंग

एजेंट बने और दूसरों को इसकी इजाज़त नहीं देंगे, यह मेरी समझ में नहीं आता। यह काफी ड्रास्टिक प्राविज़न है जो मेरे ख्याल में कभी किसी मुल्क में नहीं बनाया गया होगा। वैसे मुझें ज्यादा तजुर्बा नहीं है लेकिन मैं कम अज़ कम जनाब की तवज्जह कान्स्टीट्यूशन की दफ़ा १९ (जी) की तरफ़ दिलाना चाहता हूं। संविधान के अनुच्छेद १९(६) के अनुसार सब नागरिक कोई वृत्ति व्यापार अथवा व्यवसाय कर सकते हैं।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : यदि वे उसके लिये अर्ह हों ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं उस आक्षेप को भी लेता हूं। आगे उस अनुच्छेद में कहा गया है कि लोक व्यवस्था और नैतिकता के हित के लिये उक्त अधिकार पर प्रतिबन्ध लगाये जा सकते हैं। मुझे कब एतराज़ है मैं खुद कहता हूं कि गवर्नमेंट प्रोफ़ेशनल टेक्नीकल अर्हताओं को ज़रूर बलद जो किसी वृत्ति व्यवसाय या व्यापार करने वालों के मुत्तल्लिक़ हो।

मैं बहुत अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि जब एक शख्स में सारी खूबियां मौजूद हों तो गवर्नमेंट यह कैसे कह सकती है कि वही अशखास मैनेजिंग एजेन्ट बन सकेंगे इसको जिनको कि गवर्नमेंट पसन्द करे।

श्री मुहीउद्दीन (हैदराबाद नगर) : खण्ड ३२५ वस्तुतः वैसा है जैसा कि संसद् के १९५१ में वर्तमान अधिनियम में संशोधन किया था।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : अगर एक अमेंडमेंट सन् १९५१ में हो गया तो क्या वह सेक्रामेंट हो गया कि वह दफ़ा १९ की ज़द में नहीं आ सकता। आप उस को अमेंड कीजिये। मैं ने सन् ५१ के अमेंडमेंट को देखा नहीं है। मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूं कि वह लाइफ को इतना रेजिमेंटेड करने वाला और न उसका स्कोप इतना बड़ा हो सकता है जितना कि अब बन गया है दस, बीस शेयरहोल्डर्स मिल कर काम करते हैं क्या उनको अख़्तियार नहीं है कि कौन सा आदमी उस कम्पनी को चलाये और कौन उनकी मदद करे जब तक कि गवर्नमेंट की स्वीकृति की मुहर उस पर नहीं लग जाती। अब आप ही बतलाइये किसी के साथ हम प्राइवेट कंट्रेक्ट करते हैं और उसमें रिम्युनरेशन फ़िक्स कर देते हैं तो जब तक कि गवर्नमेंट उसको न माने तब तक वह नहीं हो सकता वौह्ट इज़ दी सेकटिटी आफ़ प्राइवेट कंटेक्ट (ग़ैर सरकारी संविदा की पवित्रता क्या है)? और साथ ही दूसरी चीज़ें भी ख़त्म हो जायेंगी अगर गवर्नमेंट उनको एप्रूव न करे। मैं अर्ज़ करता हूं कि यह दुरुस्त नहीं हैं और इसके जो रिपरकशंस होंगे, वह मुलाहिज़ा फरमायें।

मैं जनाब की तवज्जह अब दफा ३२९ की तरफ़ दिलाना चाहता हूं। दफ़ा ३२९ की रू से अब गवर्नमेंट की मंशा यह है कि जब गवर्नमेंट फाईव ईयर प्लान पर चलने लगी है और कई सौ करोड़ रुपया देश के इंडस्ट्रियलाइज़ेशन के वास्ते ख़र्च करना चाहती है, ऐसी हालत में गवर्नमेंट का इस दफा में यह कहना कि सारी की सारी २९ हज़ार जितनी कम्पनियां हैं उनके जितने मेनेजिंग एजेन्ट्स हैं वे सब के सब एक फ़िक्स्ड डेट पर ख़त्म हो जायेंगे, यह कुछ मेल नहीं खाता और मेरी समझ में गवर्नमेंट को देश में ऐसी अनसर्टेनटी और अनरेस्ट (अनिश्चिता और अशान्ति) पैदा नहीं करनी चाहिये। इस दफ़ा की रूह से सन् १९६० में जितनी मेनेजिंग एजेन्सीज़ हैं, सब खत्म हो जायेंगी। आगे से रिएपायन्टमेंट और एपायन्टमेंट बिला गवर्नमेंट की मर्ज़ी के नहीं होगा। जितना भी सारी कम्पनीज़ हैं उनको सब को गवर्नमेंट के सेक्रेटरी के सामने दस्तबस्ता हो कर हाज़िर होना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि हम को

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

फिट परसन क़रार दीजिये, सिवाय उनके जिनका कि रिअपायन्टमेंट दफ़ा ३२७ के मुताबिक़ न हो गया हो । दफ़ा ३२७ के अन्दर भी अगर मुलाहिज़ा फ़रमायेंगे तो पायेंगे कि बिना गवर्नमेंट की मर्ज़ी के उनका रिअपायन्टमेंट भी नहीं हो सकता । इसके माने यह हुये कि जो आजतक काम कर रहे हैं और बिज़नेस के काम से बखूबी वाक़फियत रखते हैं और जो कम्पनी का काम अच्छी तरह चला रहे हैं, उनके बीच में आप अनसर्टेन्टी डाल दीजियें तो इससे जो उनके नीचे काम करने वाला स्टाफ़ है उनके दिल में उनकी कोई वुकत नहीं रहेगी और इसका नतीजा यह होगा कि कम्पनी के काम में बदइन्तज़ामी होगी । यह प्राविज़न रख कर के सन् ६० के अन्दर सारे देश में मेनेजिंग एंजेन्सीज़ खत्म हो जायेंगी, आप हर एक कम्पनी के अन्दर एक हलचल पैदा कर देंगे और गवर्नमेंट की मर्ज़ी जिसे रखने की होगी उसे फिर से रख लेंगे और जिसे रखने की मर्ज़ी नहीं होगी, उसे नहीं रक्खेंगे, क्या गवर्नमेंट इसी तरह देश का इंडस्ट्रियलाइज़ेशन करना चाहती है ? गवर्नमेंट ने फाईव ईयर प्लान में इंडस्ट्रियलाइज़ेशन के वास्ते कई सौ करोड़ रुपया रक्खा है, ऐसी हालत में मैं नहीं समझता कि इस क़ानून को रखने से गवर्नमेंट की वह मंशा कहां तक पूरी हो सकती है । यहां मैं यह साफ़ कर दूं कि गवर्नमेंट ने जो अख्तियार, खराब कम्पनियों का मेनेजमेंट अपने हाथ में लेने का लिया है, मैं उस अख्तियार को सपोर्ट करता हूं ।

एक माननीय सदस्य : कौन कम्पनीज़ अच्छी हैं और कौन खराब हैं ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मुझ को इस काम पर मुक़र्रर कर दीजिये, मैं आपको बतला दूंगा कि कौन अच्छी हैं और कौन खराब हैं । मेरी अदब से गुज़ारिश है कि उन कम्पनियों को जो अच्छा काम कर रही हैं, उनको बीच में ही, इन दी मिडिल आफ देयर कोर्स, आपको क्या हक़ है कि उन सबको यह कहें कि सब मुस्तफ़ी हो जायेंगे । यह इतनी ड्रास्टिक कंडीशन है और मैं अदब से अर्ज़ करूंगा .....

विधि मंत्रालय में मंत्री (श्री पाटस्कर) : क्या हम प्रबन्ध अभिकरण पद्धति को किसी और व्यवस्था में नहीं परिवर्तित कर सकते ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जनाब वाला अगर आपके पास ऐसा मसाला होता कि आप मेनेजिंग एजेंसी के बजाय किसी और तरफ़ कदम उठा सकते तो मैं आपको मुबारकबाद देता । आज देश में जो कोआपरेटिव कम्पनियां हैं, आप जानते हैं कि उनकी तादाद कितनी कम है और उनको आप अंगुली पर गिन सकते हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि आप यह जो प्रौइवेट कम्पनियां खत्म करने जा रहे हैं तो उसके लिये आखिर आपके पास आलटरनेटिव अरेंजमेंट क्या है ? यह डाइरेक्ट कंट्रोल्ड कम्पनियां बहुत थोड़ी सी हैं । अगर २५ परसेंट, ३० परसेंट या ४० परसेंट कम्पनियां हो जायें जो दूसरे सिस्टम कम कामयाब हों तो आप उन प्राइवेट मेनेजिंग एजेंट्स को निकाल सकते हैं कि वे लोगों का बहुत रुपया खाते हैं और उसमें मैं आपके साथ हूंगा । लेकिन इस वक्त हमारा काम इस से नहीं चलेगा । आप चाहते हैं कि कम्पनियां एक दम से करोड़ों रुपये इन्वेस्ट कर दें, लेकिन आप उन को ऐसे वक्त में छेड़ने लगे हैं, ऐसी कम्पनियों को जिनके खिलाफ़ कोई चीज़ नहीं है, जब कि नाज़ुक हालत में आप हैं । दोनों मर्ज़ एक दम पूरी नहीं हो सकती । आप ने बहुत सी खराबियां को दूर करने के लिये दफे बनाई है वह सब ठीक है । आप ने रेमुनरेशन फिक्स कर के बड़ा अच्छा किया कि इससे ज्यादा कोई ले नहीं सकता है । लेकिन आप

ने यह क़ानून इतना सख्त बनाया है, दफा १६९ में मेम्बर साहबान कहते हैं कि इस बिल में पैनल है, आपने कम्पनी ला इस लिये इतना सख्त बनाया है कि आप कहते हैं कि जिस में हर खराब आदमी ब्राट टु बुक हो जाये । लेकिन आप का जो ऐडमिस्ट्रेशन है वह इतना इनएफिशिएन्ट है कि वह कुछ नहीं कर सकता है । मुझे डर है कि आगे चल कर आप जो क़ानून बना रहे हैं, उस में आप ऐसी चीजें बना रहे हैं जो कि मैं समझता हूं बहुत सख्त हैं । उन में आप ने ऐडमिनिस्ट्रेशन को इतने सख्त अख्त्यार दिये हैं कि मैं समझता हूं कि आप ने एक मुसीबत खड़ी कर दी है । आम एगरीमेंट के मुताबिक़ हैं । जब तक कोर्ट आफ़ ला में किसी मैनेजिंग एजेन्सी का फ्राड साबित नहीं होता तब तक उस को कोई निकाल नहीं सकता । इस के अन्दर इतनी शर्तें हैं, इन शर्तों के खिलाफ़ हयां पर जेनरल मीटिंग में ब्रीच आफ़ ट्रस्ट का रेजोल्यूशन पास कर के ऐसा काम किया जा सकता है । मैं जनाब के मेनेजिंग एजेन्सी और कम्पनी के तमाम तजुर्बे को अपील करता हूं कि आप इस पर मुलाहिज़ा फरमायें कि अगर एजेण्ट को निकाल दिया जाये तो कम्पनी को नये सिरे से चलाने में कितनी देर लगेगी, कुछ अर्सा लगेगा, दूसरे किसी को जैसे ट्रेज़रर, सेक्रेटरी या किसी को भी लायेंगे तो हू आर दे ? ट्रेज़रर, सेक्रेटरी, डाइरेक्टर कोई भी हो वह मेनेजिंग एजेन्ट्स के दूसरे रूप हैं । इस के अलावा और कोई चीज़ नहीं हैं । सेक्रेटरी और ट्रेज़रर जिनकी आप को ज़रूरत है, जिस के माने हैं कि आपको टेक-निकल स्किल और फाइनेन्शियल हेल्प की ज़रूरत है, वह कम्पनी को चलायें या मैनेजिंग एजेन्ट चलाये, दोनों में क्या फ़र्क़ है ? जैसा पाटस्कर साहब ने फरमाया कि वह मनेजिंग एजेन्ट से निकाल कर कोआपरेटिव सिस्टम को चला देंगे, । अगर ऐसा हो तो मैं उन के साथ हूं तो आप ने यह चीजें रक्खी हैं मैं उन के खिलाफ़ नहीं हूं । मैं तो उन के साथ हूं, मैं यह नहीं चाहता कि आप इस कम्पनी ला के अन्दर शेयर होल्डर्स का खयाल न करें, उनके मतलब की बात न सोचें । आई डू नाट वान्ट दिस (मैं यह नहीं चाहता) । आप यह न समझिये कि मैं मेनेजिंग एजेन्ट्स का वकील हूं, लेकिन जब हम अपने देश में ५०० करोड़ रुपये की फाइव इअर प्लान बनाने चले हैं, जब हम इस क़ाबिल नहीं हैं कि वह रुपया हम लगा सकें, भले ही मेनेजिंग एजेन्ट्स के अन्दर बिद्दतें हों, आप यह जो सोच रहे हैं कि १९६०–६५ में उन को खत्म कर देंगे क्योंकि वह आप को सैटिस्फाई नहीं कर सक हैं, उसे आप इस वक्त छोड़ दीजिये क्योंकि मेनेजिंग एजेन्ट्स ही पहली चीज़ होते हैं जो कि होमोजीनियस काम कर सकते हैं, सारे काम को एक आदमी यूनिफाइड माइन्ड से करता है और इसी वजह से उसको काम-याबी मुकम्मल होती है । अगर उस के अन्दर ऐसे एलिमेन्ट्स लाये जायें जिन की वजह से मेनेजिंग एजेन्ट्स का कम्पनी से झगड़ा होता रहे, तो वह बिजिनेस कभी कामयाब नहीं होगा । जिस तरह से आर्मी में डिसिप्लिन होती है और हर एक आदमी का हुक्म वहां चलता है, उसी तरह से बिजिनेस में भी यह पहली कंडीशन है कि वहां एक मेनेजिंग एजेन्ट का हुक्म चले ।

इसके अलावा दो एक और बातें मैं आप के सामने रखना चाहता हूं जिन को मैं दो एक अल्फ़ाज़ में रख दूंगा । प्रपोर्श-नल रिप्रेजेन्टेशन के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि मैं उसूलन तो यह नहीं कर सकता कि उसके खिलाफ कुछ अर्ज़ करूं, लेकिन आप जब तक मैनेजिंग एजेन्सी रख रहे हैं तब तक प्रपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन का ज़िक्र करना बहुत अच्छा नहीं होगा । दुनिया भर में आज तक बहुत थोड़ी जगहें हैं जहां इस का तजुर्बा हुआ है । इस का तजुर्बा और जगहों पर हो

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

जाने दिया जाय, हम उनके तजुर्बे का फायदा उठायेंगे । अगर हम किसी कम्पनी में इस को इस वक्त लायेंगे और फायदा उठाना चाहेंगे तो डाइरेक्टर्स और मैनेजिंग एजेन्सी के अन्दर एक तरह से कोलिजन लायेंगे । क्योंकि डाइरेक्टर्स और मैनेजिंग एजेन्सी इस तरह से मिले रहते हैं जैसे घी और खिचड़ी एक दिल होते हैं । अगर आप यह तय करें कि इस को चलाना ही है, तो कम से कम पांच बरस तक, जब तक कि आप सेकेण्ड फाइव इअर प्लेन को पूरी न कर लें इस को अमल में न लाइये । यह मेरी राय है । जो हमारे दोस्त लेबर वाले हैं मैं उन के मैनेजमेंट में रिप्रेजेन्टेशन से उसूलन बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हूं । लेबर वालों को जितनी सहूलियतें हासिल हो सकें, ज़रूर दी जायें । मैं ने कई दफ़ा बिरला ब्रादर्स और दूसरी जगहों पर देखा है, उन का कारखाना ह ग्वालियर में । मैं ने उन की कंडिशन्स को देखा है, मैं भी कम्पनी के इन्तज़ाम को कुछ जानता हूं । मैं भी कम्पनी के बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स का प्रेज़िडेण्ट रहा हूं । लेकिन मैं ने इस तरह की कंडिशन्स कभी नहीं देखीं, जैसा कि कल एक मेम्बर साहब ने ज़ाहिर की—लेकिन सोचिये इस की ज़िम्मेदारी किस पर है कि इंडस्ट्रियल हाउसिंग वग़ैरह का प्रोग्राम पूरा किया जाये । इस के अलावा मैं चाहता हूं कि जितने लेबरर्स हैं उन को कम्पनी के मुनाफ़े में भी हिस्सा दिया जाये । बोनस तो अलग चीज़ है, मुनाफ़े में हिस्सा दिया जाये और मैनेजिंग एजेन्ट्स आहिस्ता आहिस्ता यह समझने लगें कि लेबर वाले ऐसे शख्स हैं जिन को मैनेजिंग एजेन्सी में हिस्सा देना चाहिये । हमारा जो आइन्दा का कान्स्टिट्यूशन है, हमारे जो दिमाग़ में है वह यह है कि कामन मैन, लेबरर्स और कल्टिवेटर्स और वह लोग जो कम्पनी में काम करते हैं, वह सब कम्पनी के इन्तज़ाम में शामिल हैं । लेकिन अगर आज जब जनाब ने मैनेजमेंट में लेबर के रिप्रेज़ेन्टेशन की इजाज़त दे दी तो क्या होगा ? एक आदमी जो लेबर की तरफ़ से डाइरेक्टर होगा उस के साथ लेबर वाले क्या करेंगे ? उन के साथ जो लेबर वाले होंगे वह या तो प्वाइंट आफ़ पिस्टल पर अपनी बात मनवा लेंगे और अगर नहीं तो कल को स्ट्राइक होंगे, गो स्लो मूवमेंट होगा और कम्पनी का चलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा । जब लेबर यह समझ ले कि फैक्ट्री हमारी है और उन को हक़ है कि फ़ैक्ट्रीके मैनेजमेंट में हिस्सा दिया जाय । लेकिन खुदा के वास्ते, पांच बरस के वास्ते, जब तक आपका फाइव इअर प्लान चलता है, इसको छोड़ दीजिये । पांच वर्ष तक नये नये तजुर्बे इस देश के अन्दर न किये जायें, जिनका नतीजा हमें पता नहीं कि क्या होगा । जो चीज़ ध्रुव है वह तो ध्रुव ही रहेगी ।

ध्रुवं परित्यज्ये यो अध्रुवं परिशेवते,
ध्रुवं तस्यनश्यति अध्रुवं नष्टमेवचे ।

इसके बाद में कहना चाहता हूं कि इस बिल के अन्दर गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने अपने हाथ में बड़ी पावर्स ले रक्खी है । गवर्नमेंट के पास जो पावर्स हैं वह इतनी वसीय हैं जिस का कोई ठिकाना नहीं है । हमने पावर्स दी हैं, लेकिन कौन उन पावर्स को एक्सरसाइज करेगा ? मुझे नज़र आता है कि गवर्नमेंट आफ़ इण्डिया जिस मसाले से अब तक उन पावर्स को एक्सरसाईज करती रही है उस मसाले से आज ठीक तौर पर उन को एक्सरसाइज नहीं कर सकेगी । भाभा कमेटी की १०० परसेन्ट सिफारिशें आप मानते हैं लेकिन आप उनकी मूल आटोनोमस स्टेटुरी बोर्ड को नहीं मानना चाहते हैं । लेकिन उसको मानने न मानने का आपको अख्तियार है । मैं कहता हूं कि बोर्ड बने, वह इन्तज़ाम करे, लेकिन वह पूरी तरह से

आटोनोमस न हो । हमें डी० वी० सी० का बड़ा ख़राब तजुर्बा है । वह आटोनोमस बाडी है, उस के काम में गवर्नमेंट कोई दख़ल नहीं दे सकती है । मेरा कहना यह है कि अगर आप स्टैटुरी बोर्ड बनाते भी हैं तो वह नान-आटोनोमस हों, जिन के अन्दर पार्लियामेंट को दख़ल देने का अख़्त्यार हो । उस को अख़्तयार हो कि वह उन के काम को देखें और जांचें कि उन के अन्दर गवर्नमेंट की पालिसी को पूरी तरह से चलाया जाता है या नहीं । अगर यह अख़्त्यार हो तब तो वह स्टेटुरी बोर्ड बने, नहीं तो नहीं । अगर आप स्टैटुरी बोर्ड बनायें तो मेरी गुजारिश यह है कि उस के अन्दर जो आप के लोग काम करें वह मोस्ट आनेस्ट, सुपर आनेस्ट हों । ऐसे चार पांच आदमियों को ले कर बोर्ड बनाया जाये ।

दूसरे जो आप के ऐडवाइजरी बोर्डस है, जैसा कि आप ने अपने कान्स्टिट्यूशन में दिया है, और जिस को आप ने बहुत थोड़ी पावर्स दी हैं, उसको मज़बूत किया जाये । मैं एडवाइज़री बोर्डस् के काम को जानता हूं । उस की ऐडवाइज़री तफ़सीलों पर होती है कि हमारा काम इस तरह से हो । लेकिन ऐडवाइज़री बोर्ड की सिफारिश को गवर्नमेन्ट चाहे माने या न माने । चाहे तो १०० फी सदी मान ले और न चाहे तो ९०फ़ी सदी न माने । इस लिये मैं अर्ज़ करता हूं कि अगर आप को ऐडवाइज़री बोर्डस बनाने हैं तो उस पर पूरा भरोसा किया जाय । आप इस को डिफाइन कर दीजिये । कि किस तरह के आदमी उस में रक्खे जायें और उन का काम किस तरह से हो । साथ ही यह कन्वेन्शन मुक़र्रर किया जाये, आप ला से तो यह कर नहीं सकते, लेकिन ख़ुद गवर्नमेंट कन्वेन्शन बना ले कि बोर्ड की ऐडवाइस पर अमल किया जायेगा । सब से ज्यादा झगड़ा तो दफा ३२३ में देखा । वह इन सेक्शन्स में इन्क्लूडिड नहीं हैं जिन की एडवाइज़री बोर्ड को अख़्तियार क़ानून हासिल है जो कि बहुत ज़रूरी है । यह डिटेल्स की बात है । मैं इस के ऊपर ज्यादा वक्त ख़र्च नहीं करना चाहता ।

अब मैं चन्द एक छोटे छोटे उमूर की तरफ़ जनाब की तवज्जह दिलाऊंगा । आप पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की दफा २५० देखिये, जिस के अन्दर एक आदमी को मुआवज़ा मिलता था । अगर कोई शख़्स किसी पर झूठा मुक़दमा कर दे तो ऐक्यूज्ड को जो मुआवज़ा मिलना चाहिये वह मुआवज़ा २५० दफा में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, मौजूद था । उसकी दो सूरतें थीं । अब जितने मुक़दमात इस बिल के अन्दर होंगे, उन को एक तरीक़े से सीमित कर दिया गया है कि एक तो रजिस्ट्रार या गवर्नमेंट यह मुक़दमा कर सकती है और एक शेअर होल्डर कर सकते हैं । इन हीं दोनों को अख़्त्यार है, बाहर के किसी आदमी को इस का अख़्त्यार नहीं है इस ऐक्ट के मुताबिक़ । यह सही हो या ग़लत, लेकिन जो शेअरहोल्डर्स मुक़दमा करेंगे, आज उन के वास्ते २५० दफ़ा में बड़ा भारी प्रोटेक्शन था कि उस के ख़िलाफ़ तब मुक़दमा चलाया जा सकत है जब कि उस का मुक़दमा झूठा हो, फ़िवोलस या वेक्सेशस हो । एक हिस्सा उस का निकाल दिया गया जो कि फाल्स का होने के मुतल्लिक़ था । सिर्फ वेक्सेशस या फ़िवोल्स है । यह बात समझने की है । कोई शख़्स यह बतायें कि सिवा वेक्सेशस के और क्या सूरत हो सकती है जब किसी पर मुक़दमा किया जाता है ? कोई अगर यह देखे कि मुक़दमा सच है तो उस आदमी को अख़्त्यार है कि अगर वह कोर्ड के सामने जा कर दरख्वास्त दे कि फलां मनिजिंग एजेन्ट की बैलेन्स शीट ग़लत है और वह ग़लत साबित होती है, तो उस में भी मुआवज़ा दिलाया जा सकता है । अब दोनों बातें साबित

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

करनी ज़रूरी नहीं हैं कि मुक़दमा झूठा भी है और फ़िवोलस या वेक्सेशस भी है ।

इसके अलावा जनाबे वाला जहां तक गवर्नमेंट इन्डस्ट्रीज़ का सवाल है मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि मैं इस से गैर मुतमयन नहीं हूं । उन्होंने अपने हाथ में कुछ सेक्शंस ऐसे रखे हैं जो कि उन पर हावीं नहीं हो सकते हैं । रिम्युनरेशन वग़ैरह के बारे में आप ने इस में ज़िक्र किया है । लेकिन ताहम इस में कहा गया है कि गवर्नमेंट को अख्तियार है कि उस की मर्ज़ी है जिस सेक्शन को लगा दे और जिस सेक्शन को चाहे वह न लगावे । इस के बारे में मैं यह अर्ज़ करता हूं कि यह बात नहीं है कि मुझे गवर्नमेंट पर एतमाद नहीं है लेकिन मैं चाहता हूं कि यह बात यहां पर ज़ाहिर कर दी जाती कि फ़लां सेक्शन लागू होंगे और फ़लां सेक्शन लागू नहीं होंगे । ऐसा करने से लोगों को तसल्ली होती कि गवर्नमेंट सब को एक निगाह से देखना चाहती है । मैं यह भी जानता हूं कि जस्टिस करना और जस्टिस को ज़ाहिर करना कि किया गया है इन दोनों में फ़र्क़ है और मैं यह भी जानता हूं कि ला मिनिस्टर साहब मुझे से बेहतर जानते हैं । लेकिन मैं चाहता था कि अगर आप उस में लिख देते कि फलां सेक्शन उन पर लागू होंगे और फलां सेक्शन नहीं लागू होंगे तो यह एक अच्छी बात होती ।

इस के अलावा मैं यह भी चाहता हूं कि अगर आने वाले वक्त में आप ने मैनेजिंग एजेंसी को डिसकार्ड करने का फैसला नहीं कर लिया है तो मैं चाहूंगा कि आप कोई ऐसी व्यवस्था करें जिस से कि एक मैनेजिंग एजेंट को आप लें और उस के ज़रिये से ऐसा गवर्नमेंट इन्डस्ट्रीज़ का काम करवायें कि वह दूसरों के लिये एक स्पेसिमन बन जायें और जिस से यह पता लगे कि यह भी ठीक काम कर सकते हैं ।

इसके अलावा बाकी जितनी चीज़ें हैं उन के बारे में आप क़ायदे के मुताबिक़ यह कीजिये कि लोगों का यह डर कि गवर्नमेंट इस काम को अपने अफ़सरों के ज़रिये से ठीक तरह से नहीं करवा सकेगी, अच्छी तरह से नहीं करवा सकेगी, वे इन पावर्ज़ का ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे, दूर हो जाये । आप ऐसे आदमी रखिये जो कि बहुत इमानदार हों और कम्पीटेंट हों ।

एक छोटी सी बात मैं और अर्ज़ कर देना चाहता हूं । उस की तरफ़ इस हाउस के चन्द मेम्बर साहिबान ने भी कहा है और मैं भी पूरे ज़ोर से उन की ताईद करता हूं कि जैसे न्यूयार्क में या स्विटज़रलैंड में इस बात का ख्याल रखा जाता है कि डाइरेक्टर्ज़ के अन्दर उन के नेशनल्ज़ हों उसी तरह से मैं भी चाहता हूं कि यहां पर जो भी कम्पनियां कायम हों उन के अन्दर भी इण्डियन नेशनल्ज़ मौजूद हों । आज बहुत सी फारेन कम्पनियां यहां पर कायम हो रही हैं । मैं चाहता हूं कि अब जब हमारा देश हर लिहाज़ से तरक्क़ी कर रहा है और अब जब हमारे देश में ऐसे आदमियों की कमी नहीं है तो उन को बोर्ड आफ़ डाइरेक्टर्ज़ में लेना लाज़िमी कर दिया जाये ।

श्री एम० सी० गुरुपादस्वामी (मैसूर): हमारे पूंजीवादी मित्रों ने और पंजीवादी समाचार पत्रों ने संयुक्त समिति की रिपोर्ट की कड़ी आलोचना की है । विभिन्न समाचार-पत्रों ने संयुक्त समिति के सदस्यों पर आक्षेप किये हैं और कुछ एक ने तो यहां तक कहा है कि संयुक्त समिति के सदस्यों को समवाय विधि का कुछ ज्ञान नहीं और वे इस काम के लिये सक्षम नहीं थे । मैं आप का ध्यान २९ जुलाई, १९५५ के **ईस्टर्न इकोनोमिस्ट** में प्रकाशित आलोचना की ओर दिलाना चाहता हूं । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या

संयुक्त समिति के काम पर आक्षेप संसद् के अवमान के बराबर नहीं है ? इस बात का निर्णय सदन और अध्यक्ष को करना है ।

समवाय विधि का सम्बन्ध हमारी अर्थ-व्यवस्था के एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू से है । गैर सरकारी क्षेत्र में संयुक्त स्कन्ध समवाय का महत्व बढ़ता जा रहा है । निजी उपक्रमों का स्थान अब संयुक्त स्कन्ध समवाय ले रहा है । ऐसे समवायों के विनियमन के लिये विधि बनाने में हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि यह व्यापक हो और सब प्रकार के मामलों पर लागू हो सके । मै यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने उस नीति को, जिस का वह अनुसरण करना चाहती है ध्यान में नहीं रखा और इस विधेयक के बहुत से उपबन्धों के सामाजिक और आर्थिक परिणामों पर विचार नहीं किया ।

समवाय विधि बड़ी महत्वपूर्ण विधि है । इसको देश के आर्थिक संगठन का सुधार करने में काम में लाया जाना चाहिये किन्तु खेद है कि सरकार ऐसा नहीं कर रही है । मुझे लगता है कि सरकार कहीं निहित स्वार्थों के दबाव से डरती न हो । जिन उपबन्धों पर मैं कुछ कहने जा रहा हूं वे बड़े अनिश्चित हैं और उनमें कोई भी पक्ष सन्तुष्ट नहीं है । समवाय विधि समिति ने अधिनियम के प्रवर्तन के लिये संविहित निकाय की स्थापना की सिफारिश की है ।

सब से बड़ा आश्चर्य मुझे इस बात का है कि समवाय विधि केन्द्रीय विषय है और संसद् को इस पर पूरा अधिकार है फिर भी इसका प्रवर्तन पता नहीं क्यों राज्य सरकार के हाथों में सौंप दिया गया है। पंजीयकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति राज्य सरकारें ही करती हैं । राज्यों द्वारा प्रवतन का परिणाम यह होता है कि पंजीयकों को अन्य जो उत्तरदायित्व दे दिये गये हैं उनके कारण वे कम्पनी के मामलों पर निगाह नहीं रख सकते । राज्य सरकारों के अधीन होने के कारण पंजीयकों पर भारत सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है । पंजीयकों तथा अन्य कर्मचारियों का वेतन आदि केन्द्रीय राज्य कोष से ही दिया जाता है । इस प्रकार यह दुःख की बात है कि केन्द्रीय अधिनियम होते हुये भी इसका प्रवर्तन इस प्रकार किया जायेगा मानो यह राज्य विधान मंडल का अधिनियम हो। केन्द्रीय सरकार का समवाय विधि पर नियंत्रण न होने के कारण इसके प्रवर्तन में काफी हानि उठानी पड़ी है। भूतकाल में केन्द्रीय सरकार समवाय विधि से किसी को भी सन्तुष्ट नहीं रख सकी और मुझे अब भी आशंका है कि भविष्य में वह इसका प्रवर्तन सुचारु रूप से कर सकेगी । अतः जैसा कि समवाय विधि समिति ने सुझाव दिया है, एक स्वतन्त्र संविहित आयोग की स्थापना ही एकमात्र उपाय रह जाता है जिससे समवाय के मामलों का विनियमन और देख-रेख हो सकेगी ।

दूसरी बात मुझे निदेशक बोर्ड और प्रबन्ध बोर्ड में मजदूरों के भाग लेने के सम्बन्ध में कहनी है । मैं इस विषय पर अधिक न कह कर केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि कुछ पश्चिमी देशों में, जहां प्रबन्ध बोर्ड में मजदूरों को भाग लेने दिया गया है, उत्पादन, अर्थ व्यवस्था और लाभ में आश्चर्यजनक विकास हुआ है । इस सम्बन्ध में जर्मनी का उदाहरण हमारे सम्मुख है । वहां के पूंजीपतियों का अनुभव हमें बताता है कि मजदूरों के प्रबन्ध में भाग लेने से वास्तव में उद्योग को सम्पन्नता प्राप्त हुई है । अन्तर्निहित सिद्धान्त यह है कि उद्योग में पूंजी और श्रम को समानाधिकार होने चाहियें । अंशधारी यह नहीं कह सकते कि प्रबन्ध बोर्ड अथवा निदेशक बोर्ड में मजदूरों का प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिये क्योंकि

[श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी]

इससे अंशधारियों के हित को हानि पहुंचेगी। यह तर्क देना ठीक नहीं क्योंकि पश्चिमी जर्मनी के अनुभव ने यह सिद्ध कर दिया है कि श्रम का भाग लेना बिल्कुल ठीक है।

अगली बात मुझे प्रबन्ध अभिकर्ताओं के सम्बन्ध में कहनी है। इस विषय पर भी बहुत कुछ कहा जा चुका है। मेरे माननीय मित्र श्री जी०डी० सोमानी ने कल कहा था कि प्रबन्ध अभिकर्ताओं को रखने से कोई लाभ नहीं क्योंकि इस विधेयक के द्वारा जिन प्रतिबन्धों का उपबन्ध किया गया है कि वे इतने कठोर हैं कि उनसे कोई लाभदायक परिणाम नहीं निकल सकता। जब हम यह कहते हैं कि प्रबन्ध अभिकरण खराब हैं तो वे कहते हैं कि उचित प्रतिबन्ध लगाये जाने चाहियें। जब प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं तो यह कहा जाता है कि प्रतिबन्ध कठोर बहुत हैं। यह एक अजीब सी बात है।

पहले तो हमें यह निर्णय करना चाहिये कि हम इस प्रणाली को सुधारना चाहते हैं अथवा समाप्त करना। जब सरकार इसको सुधारना चाहती है तो पूंजीपति इससे सन्तुष्ट नहीं होते। ये सुधार किस प्रकार के होने जा रहे हैं यह हमें देखना है। सरकार यह स्वीकार करती है कि १५ अगस्त, १९६० के पश्चात् सभी विद्यमान प्रबन्ध अभिकरण करार समाप्त हो जायेंगे, किन्तु इसके लिये भी एक परन्तुक है कि यदि उनको उक्त तिथि के पश्चात् चलते रहने दिया गया, तो वे उसके पश्चात् भी चलते रह सकते हैं। मेरी समझ में इसका अर्थ नहीं आया। यदि आप इन अभिकरणों को समाप्त करना चाहते हैं तो एक ही बार में इसकी घोषणा कर दीजिये।

यदि सरकार कुछ प्रकार के उद्योगों में वास्तव में इस प्रणाली को समाप्त करना चाहती है, तो वह विधेयक में एक ऐसी अनुसूची क्यों नहीं शामिल कर देती जिसमें ऐसे उद्योगों का उल्लेख कर दिया जाये ? चूंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं रखी गई है, इस कारण हमें निश्चय नहीं होता कि किस प्रकार के उद्योग केवल निदेशकों द्वारा चलाये जायेंगे और प्रबन्ध अभिकर्ताओं द्वारा नहीं। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि सरकार लुका-छिपी का खेल खेल रही है अथवा वह स्वयं इस विषय में किसी निश्चित निर्णय पर नहीं पहुंच सकी है। इस सम्बन्ध में सरकार की नीति अनिश्चित सी है। इस का परिणाम यह हुआ कि हम प्रबन्ध अभिकरण के सम्बन्ध में कुछ निश्चय के साथ नहीं कह सकते कि इसका भविष्य क्या होगा।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुये]

पारिश्रमिक के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि वह बहुत अधिक रखा गया है। संयुक्त समिति ने दस प्रतिशत पारिश्रमिक निर्धारित किया है जब कि समवाय विधि समिति ने १२½ प्रतिशत किया था। कर जांच आयोग के अनुसार यह स्पष्ट है कि प्रबन्ध अभिकर्ता का वर्तमान औसत पारिश्रमिक १४ प्रतिशत है। कुछ उद्योगों, विशेषकर पटसन उद्योग में, यह अनुपात कुछ अधिक बताया गया है। यदि ऐसा है तो हम इसमें केवल ४ प्रतिशत की ही तो कमी कर रहे हैं। कुछ समवाय प्रबन्ध अभिकर्ताओं को १० प्रतिशत से कम देते हैं। यह प्रश्न तो हमें उन्हीं पर छोड़ देना चाहिये। समवाय जितना चाहें भुगतान करें। जो प्रतिशतता हमने निर्धारित की है वह बहुत अधिक है। अतः पारिश्रमिक के सम्बन्ध में हमने कोई महान् परिवर्तन नहीं किया है।

जिन समवायों को लाभ नहीं होता अथवा कम होता है उनके लिये ५०,००० रुपये की जो राशि रखी गई है वह बहुत अधिक

है । यदि भारत के प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री केवल २२०० रुपये प्रति मास लेकर जीवन निर्वाह कर सकते हैं तो प्रबन्ध अभिकर्ताओं को भी उनका अनुसरण करना चाहिये । धन सभी के लिये बराबर होता है, चाहे राजनीति क्षेत्र हो और चाहे व्यवसाय क्षेत्र । उच्चतम सीमा सभी जगह होनी चाहिये । चाहे प्रशासन क्षेत्र में, चाहे व्यापार में अथवा अन्य कहीं । मैं समझता हूं कि ५०,००० रुपयों की जो विधेयक में व्यवस्था की गई है वह अत्यधिक अनुचित है और सभा को स्वीकार नहीं करना चाहिये ।

अन्त में लेखा परीक्षकों के विषय में मुझे कहना है कि उनकी नियुक्ति वैयक्तिक रूप में की जानी चाहियेसार्थ के नाम में नहीं । अभी तक केवल सार्थों को लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया जाता था जिस का बड़ा दुरुपयोग किया गया है । यदि किसी ख्याति प्राप्त सार्थ में कोई आयोग लेखा परीक्षक पहुंच जाता है तो उससे लेखा-परीक्षण का स्तर गिर जाता है । अतः उनकी नियुक्ति योग्यता के आधार पर की जानी चाहिये । वैयक्तिक रूप से लेखा परीक्षकों की नियुक्ति से एक लाभ यह होगा कि नये लोगों को इस क्षेत्र में आने के लिये प्रोत्साहन मिलेगा । इस समय तो बड़ा एकाधिकार चल रहा है । पुरानी सार्थों की तुलना में नई सार्थों को अवसर ही नहीं मिल पाता । अतः मेरा सुझाव यही है कि लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति सार्थ के रूप में न की जा कर वैयक्तिक रूप में की जानी चाहिये ।

श्री तुलसीदास (मेहसाना पश्चिम) : यद्यपि मैं अपनी विमति टिप्पणी में सारी बात कह चका हूं फिर भी उनका कुछ स्पष्टीकरण करना अपना कर्तव्य समझता हूं ।

जैसा कि भाभा समिति तथा अन्य समितियों ने कहा है, समवाय विधि से हम समवाय प्रबन्ध को कुशल बना सकते हैं । और जिस प्रकार की चाहें समाज व्यवस्था कर सकते हैं । मुझे भय है कि यदि यह विधेयक समाज के किसी विशेष ढांचे के प्रयोजन की सिद्धि के लिये रखा गया है तो इसका प्रयोजन ही निष्फल हो जायेगा ।

सभी लोक नीतियों का अन्तिम उद्देश्य जनता का कल्याण करना ही होता है । जहां तक आर्थिक क्षेत्र का सम्बन्ध है, इसका तात्पर्य है लोगों की आर्थिक दशा सुधारनी चाहिये । यदि हम किसी विशेष प्रकार का समाज बनाना चाहते हैं तो वित्त मंत्री देश में उसी प्रकार के वित्तीय परिवर्तन कर सकते हैं । राज्य की नीति के निदेशक तत्व का भी उल्लेख किया गया है जिसमें कहा गया है कि राज्य को यह देखना है कि सम्पत्ति का संकेन्द्रण न हो इस सम्बन्ध में योजना आयोग ने बताया है कि उद्देश्य अधिक उत्पादन करना है वितरण करना नहीं । हमें देखना है कि उत्पादन में कहां तक वृद्धि हुई है ।

इस विधि की जटिलता और अनानम्यता से विशेषकर नये आने वालों को अत्यधिक कठिनाई होगी । इस अधिनियमन से स्पष्टीकरण करना कठिन होगा ।

मैं माननीय वित्त मंत्री को बताना चाहूंगा कि इससे समवाय बड़े शहरों में संकेन्द्रित हो जायेंगे । इससे मुफस्सिलों में छोटे समवायों का चलना बड़ा कठिन हो जायेगा ।

बम्बई के दक्षिण में एक सीमेंट कम्पनी स्थापित की गई थी । १९४८ में जब वह कम्पनी स्थापित की गई निदेशकों का मिलना कठिन हो गया । जो व्यक्ति इस कम्पनी को चलाना चाहता था उसने अनुभव किया कि उसे वास्तव में वाणिज्यिक व्यक्ति नहीं समझा जाता । एक निदेशक ने महसूस किया कि उसे ऐसे समवाय के बोर्ड में नहीं होना चाहिये जिस की देख रेख करने वाला व्यक्ति वास्तव में वाणिज्यिक व्यक्ति

[श्री तुलसी दास]

नहीं है । वह कुछ व्यक्तियों को, जिन में मैं भी था, समवाय के बोर्ड का सदस्य बनने के लिये तयार करने में सफल हुआ । मुझे उस समवाय का प्रधान होने के लिये कहा गया । मैं जानता हूं कि वह व्यक्ति केवल अपने प्रयत्नों से ही कुछ पूंजी प्राप्त कर सका । यदि उस समय यह विधि होती तो मैं उस समवाय का निदेशक नहीं बन सकता था ।

माननीय मंत्री को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि कम पूंजी वाले लोग भी समवाय बनाते हैं । मान लीजिये कि कोई वैज्ञानिक या इंजीनियर कोई आविष्कार करता है । वह उस वस्तु के उत्पादन के लिये उद्योग चलाना चाहे तो वह सदा रुपया लगाने वाले के अधीन रहेगा । सरकारी संस्थायें भी व्यक्ति की साख देख कर उधार देती हैं । तो इस प्रकार के व्यक्ति को पूंजी कहां से मिलेगी ?

आप पूछ सकते है कि पूंजी प्राप्त करने में कौन सी विधियां बाधायें डालेंगी । आप बड़े बड़े उद्योगों को ही लीजिय । हेनरी फोर्ड की ही बात देखिये । उन्होंने थोड़ी सी पूंजी से अपना काम प्रारम्भ किया था ? यही बात लार्ड नूफील्ड पर भी लागू होती है । इस देश में ऐसा होना सम्भव नहीं है । यहां यदि कोई कम पूंजी वाला व्यक्ति कारखाना खोलना चाहे तो उसे सरकारी संस्थाओं से भी कर्ज़ा नहीं मिलेगा । हम यहां क़ानून केवल कुछ बुराइयों को दूर करने के लिये बनाते हैं परन्तु इन से तो व्यापार में बाधा पड़ेगी । हमें बुराइयों को तो रोकना चाहिये ही परन्तु व्यापार में बाधा नहीं पड़ने देनी चाहिये । मैं यह नहीं कहता कि पूरी स्वतन्त्रता हो परन्तु बुराइयो के लिये ज़िम्मेदार व्यक्तियों को रोकते रोकते हम उद्योग को ही अवरुद्ध कर रहे हैं । हमें इस बात की व्यवस्था करनी चाहिये कि क़ानून बहुत कड़े न हो जायें ।

अब इस समस्या का दूसरा पहलू लीजिये । प्रस्तुत अधिनियम के अन्तर्गत सरकार के पास कुप्रबन्धों को रोकने की शक्ति है परन्तु सरकार बुराइयों को रोक नहीं सकी है । हमें केवल ऐसे क़ानून बनाने चाहियें जिन के बिना इन बुराइयों को रोका ही न जा सकता हो ।

और फिर केवल कानून बनाने मात्र से ही बेईमान व्यक्ति बेईमान बनने में झिझक नहीं करेंगे । कानून से तो उन्हें सुविधा ही होती है। कानून से असुविधा केवल ईमानदार लोगों को ही होती है । मैं चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री इस दृष्टिकोण से भी इस विधेयक पर विचार करें ।

औद्योगिक विकास तथा विनियमन अधिनियम, आयकर अधिनियम और आयात तथा निर्यात नियंत्रण अधिनियम जैसे कानूनों के अधीन सरकार के पास पर्याप्त शक्ति है । वह अनुज्ञप्ति देते समय यह ध्यान रख सकती है कि केवल ईमानदार व्यक्तियों को ही अनुज्ञप्ति दी जाये और इस्पात तथा सीमेंट आदि बांटने की शक्ति भी सरकार के पास है । फिर वह इस विधेयक को इस दृष्टिकोण से क्यों नहीं देखती कि नये लोगों का उद्योग में प्रवेश का रास्ता बन्द न किया जाये? एक सदस्य ने कहा था कि साल डेढ़ साल में सरकार को इस विधेयक में संशोधन करना पड़ेगा परन्तु मेरी राय में इससे भी अधिक समय लग सकता है ।

अपने विमति टिप्पण में मैं ने मित्रक मतदान की चर्चा की है । मात्रा समिति ने भी कहा कि इस प्रकार के मतदान में इस के दुरुपयोग की सम्भावना रहती है

यह तो ठीक है कि किसी समवाय का प्रबन्ध अभिकर्ताओं के हाथ में हो तो ऐसा हो सकता है परन्तु जहां प्रबन्ध अभिकर्ता न हो वहां तो ऐसा मतदान होने में कोई डर नहीं है। मित्रक मतदान लार्ड नू फील्ड और हेनरी फोर्ड ने आरम्भ किया था और जनता ने इसे स्वीकार कर लिया। हम भी ऐसे समवायों के सम्बन्ध में यह पद्धति क्यों न अपनायें जिन में प्रबन्ध अभिकर्ता न हो ? माननीय वित्त मंत्री ने यहां भी और संयुक्त समिति ने भी कहा है कि वह भिन्न प्रकार की प्रबन्ध प्रणाली वाले समवायों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। मैं उन्हें एक ज्ञापन देना चाहता हूं जिसमें मैं कुछ संशोधन रखूंगा। मैं चाहता हूं कि वह इस पर रचनात्मक ढंग से विचार करें। आप के पास विभिन्न विधियों के अधीन पर्याप्त शक्ति है जिस से कि आप प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली की बुराइयों को रोक सकते हैं। यह प्रणाली यहीं उत्पन्न हुई। पाकिस्तान, बर्मा और लंका को छोड़कर यह किसी और देश में नहीं है। यदि हम कोई भिन्न प्रणाली चाहते हैं तो हमें उसका धीरे धीरे विकास करना चाहिए। इस प्रणाली को एकदम समाप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका स्थान लेने वाली और कोई प्रणाली देश में नहीं है।

माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि संयुक्त समिति के प्रतिवेदन में मूल विधेयक के अतिरिक्त और बहुत कुछ नहीं है। खंड ३२३ से ३३१ के उपबन्ध तो किसी समिति की सिफारिश में नहीं थे। ये तो केवल भारतीय राष्ट्र मजदूर संघ कांग्रेस के सुझाव हैं।

आप प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली पर चाहे जो प्रतिबन्ध लगायें परन्तु साथ ही साथ किसी नई प्रणाली का भी विकास कीजिये नहीं तो बड़ी हानि होगी।

खण्ड १९७ में पारिश्रमिक का उपबन्ध है। इस में कहा गया है कि प्रबन्ध पर खर्च ५० हजार रुपय से अधिक नहीं होना चाहिए। इस खंड से वेतन पाने वालों पर प्रभाव पड़ेगा। तो वे कैसे काम जारी रख सकेंगे ? अभी सरकार ने एक रूसी विशेषज्ञ को ४,००० रुपये प्रति मास के वेतन पर रखा है। यदि यह खंड सरकारी समवायों पर लागू होता है तो प्रबन्ध पर खर्च ५०,००० रुपये तक सीमित नहीं रखा जा सकता।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : परन्तु वह मुख्य इंजीनियर है।

श्री तुलसीदास : मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री 'प्रबन्धक' शब्द की परिभाषा पर विचार करें। मेरा विचार है कि कारखाना प्रबन्धक को भी प्रबन्धक माना जाना चाहिए। मंत्री महोदय को यह भी देखना चाहिए कि सरकारी समवायों में जहां कोई प्रबन्धकर्ता या प्रबन्ध निर्देशक नहीं है और न ही किसी को लाभ के आधार पर कमीशन दिया जाता है, प्रबन्ध का खर्च ५० हजार रुपये से अधिक होगा या नहीं। यदि यह खण्ड सरकारी समवायों पर लागू नहीं होता तो यह भेद भाव क्यों है ?

श्री सी० सी० शाह ने एक समवाय के सम्बन्ध में कहा कि उस की पंजी साढ़े तीन या चार करोड़ रुपये है और यह नई पूंजी प्राप्त करने की चेष्ठा में है। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि सरकार यह समझती कि वह समवाय देश के समाजवादी ढांचे के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है तो वह पूंजी निर्गमन नियंत्रण अधिनियम और औद्योगिक विकास विनियमन अधिनियम के अधीन उस समवाय को

[श्री तुलसीदास]

अनुज्ञप्ति देने या नये शेयर जारी करने देने से इनकार कर सकती थी। जो भी हो श्री शाह ने अच्छी वकालत की है यद्यपि उन्हों ने संयुक्त समिति में यह प्रश्न नहीं उठाया था।

श्री शाह ने कहा है कि गैर सरकारी उद्योगों के सम्बन्ध में मैंने जो कुछ कहा था, गलत था। मैंने अपने विमति पत्र में गैर सरकारी उद्योगों के सम्बन्ध में कोहेन समिति के विचारों का उल्लेख किया था। मैं अब भी वही बात दोहराता हूं। उन्हों ने कहा है कि सरकार गैर सरकारी समवायों को करोड़ों रुपये देती हैं। यह बिल्कुल गलत है। वह एक भी ऐसे समवाय का उदाहरण दें जिसे सरकार ने धन दिया हो। और फिर वह मुझे बतायें कि कौन सा ऐसा बैंक है या कौन सी ऐसी वितीय संस्था है जो किसी समवाय के सम्बन्ध में सब कुछ जाने बिना उसे कोई सुविधा देती है? किसी समवाय में उस के अंशधारियों को छोड़कर और कौन रुचि रखेगा? किसी गैर सरकारी समवाय के साथ कोई समझौता आदि करने से पहले कोई भी उस की स्थिति का पता लगायेगा और केवल उस की साख पर ध्यान देगा। कोई यह नहीं देखता कि ऐसे समवाय का हिसाब-किताब क्या है, उसकी जांच पड़ताल होती है या नहीं। श्री शाह ने कहा "तो फिर क्या डर है"। इसका उत्तर कोहेन समिति ने दिया है। इसीलिये उस समिति ने यह सिफारिश की कि कुछ विमुक्त गैर सरकारी समवाय होने चाहिएं। मैंने अपने विमति टिप्पण में कहा था कि यदि सरकार यह उपबन्ध ठीक नहीं समझती कि गैर सरकारी समवाय इस खण्ड के प्रवर्तन से विमुक्त कर दिया जाये तो उसे विमुक्त गैर-सरकारी समवायों की एक अलग श्रेणी बनाने के प्रश्न पर विचार करना चाहिए श्री शाह ने उसका यह उत्तर दिया कि यह समय से पहले की बात है। मैं पूछता हूं कैसे? जब विधेयक में ६५० खण्ड हैं तो फिर यह खण्ड क्यों नहीं रखा जा सकता।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि समवायों के प्रबन्ध में भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। परन्तु यह लेगा कैसे? आपको यह याद रखना चाहिए कि यह सुझाव केवल यह सोच कर दिया जाता है कि निदेशक बोर्डों में अपने ही आदमी भर लिये जाते हैं। आप ने प्रबन्ध अभिकर्ताओं वाले समवाये पर इतने प्रतिबन्ध लगा दिये हैं कि उन में मर्जी के लोग नही भरे जा सकते। परन्तु मैं तो यह कहता हूं कि किसी मंत्रिमंडल में प्रधान मंत्री की मर्जी के लोग नहीं होंगे तो काम कैसे चलेगा? इसी प्रकार यदि किसी निदेशक बोर्ड के सदस्य आपस में लड़ते ही रहें तो समवाय की तो दुर्दशा हो जायगी। ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं और मुझे समझ में नहीं आता कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व का समर्थन क्यों किया जा रहा है।

[श्री बर्मन पीठासीन हुए]

जिन खण्डों में सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने का उपबन्ध है उन के बारे में मैं विमति पत्र में ही बहुत कुछ कह चुका हूं। इस विधेयक में परिशिष्ट ६ मेरा ही जोड़ा हुआ है जिस में मैंने उन खण्डों का उल्लेख किया है जिन के अधीन सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना पड़ेगा। माननीय मंत्री तनिक इस बात

पर विचार करें कि यदि किसी व्यक्ति ने त्रावनकोर-कोचीन में समवाय चलाया है और उसे सरकार का अनुमोदन लेने के लिये दिल्ली आना पड़ता है तो उसे कितनी कठिनाई होगी । सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने में नये और छोटे समवायों को बड़ी कठिनाई होगी और बड़े समवायों के लिये तो अनुमोदन प्राप्त करना अधिक कठिन नहीं होगा ।

अब सरकारी समवायों के विशेषाधिकारों की बात लीजिए । खण्ड ६१० से ६१४ में ऐसे उपबन्ध हैं कि उन्हें लगभग सभी उपबन्धों से विमुक्ति मिल जायेगी । साथ ही सरकारी समवाय की परिभाषा में कहा गया है—ऐसा समवाय जिसमें सरकार के ५१ प्रतिशत अंश हों । मैं यह नहीं कहता कि यह ५१ प्रतिशत क्यों है और ८० या ७० प्रतिशत क्यों नहीं । मेरा कहना केवल यह है कि सरकारी और गैर सरकारी समवायों में यह भेदभाव क्यों हो ?

इस सभा में कई बार कहा गया है कि सभा को सरकारी समवायों के सम्बन्ध में पर्याप्त जानकारी नहीं मिली । सरकार का विचार है कि नये उपक्रम निगमों के रूप में होने चाहिएं क्योंकि यदि वे विभागों के अधीन होंगे तो संसद् उन में हस्तक्षेप कर सकेगी । सरकार ने ये खण्ड इसी उद्देश्य से रखे हैं कि लेखा तथा लेखा परीक्षा सम्बन्धी उपबन्धों का सरकारी समवायों पर लागू होना सीमित रहे, उन के मामलों की जांच करने के सम्बन्ध में सदस्यों के अधिकार कम हो जायें और कई बातों में संगत शक्तियां न्यायालयों के स्थान में सरकार के हाथ में आ जायं । इस का मतलब यह है कि सारी शक्तियां सरकार के हाथ में होंगी और हमें सरकारी समवायों के सम्बन्ध में कम से कम जानकारी मिलेगी । किसी समवाय के ५१ प्रतिशत अंश सरकार के हाथ में रहेंगे तो ४९ प्रतिशत अंशों वालों को सरकार के विरुद्ध कुछ भी कहने का अधिकार न होगा चाहे इन समवायों का प्रबन्ध खराब ही हो । मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस समस्या पर विचार करें । यह एक स्थायी विधि बनने वाली है और इस के अंतर्गत सरकार के पास जो शक्तियां होंगी उन के कारण सरकारी समवायों में गैरसरकारी समवायों की अपेक्षा अधिक कुप्रबन्ध होगा क्योंकि उन के कामों की जांच पड़ताल नहीं होगी । निगम बन जाने पर वह अलग संस्था होगी और किसी के प्रति जिम्मेदार नहीं होंगी । वित्त मंत्री इस प्रश्न पर विचार करें तो उन्हें मालूम होगा कि मैं ने जो कुछ कहा है उसमें बहुत कुछ तथ्य है । आप हमें बताइये कि आप कौन कौन सी शक्ति अपने हाथ में रखना चाहते हैं । यह कहने का क्या मतलब है कि सरकारी समवायों को विधेयक के किसी भी उपबन्ध से विमुक्त किया जा सकता है ?

श्रमिकों के प्रतिनिधित्व के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया है । मैं इस सम्बन्ध में यह बताना चाहता हूँ कि अन्य देशों में स्थिति क्या है । संयुक्त राज्य में जब कोई श्रमिक नेता निदेशक बन जाता है तो फिर वह श्रमिक नेता नहीं रहना चाहता । बोर्ड में आ जाने के बाद तो उसे केवल श्रमिकों का नहीं, वरन् समवाय के हित का भी ध्यान रखना पड़ता है । इसलिये यह अधिक अच्छा होगा कि यहां भी इस विधेयक में इस प्रश्न पर विचार न किया जाये । यह मामला किसी अन्य विधान के प्रसंग में उठाया जा सकता है ।

[श्री तुलसी दास]

बस मुझे एक बात और कहनी है । वह है इस विधान के प्रवर्तन के सम्बन्ध में । यदि इसके लिये सरकार को कुछ शक्तियां दी जायें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । मैं तो बस यह चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री इस बात पर विचार करें कि क्या देश के भिन्न भिन्न भागों में कुछ विभाग स्थापित नहीं किये जा सकते जिससे कि अधिनियम के प्रवर्तन में बुराइयों को रोका जा सके । यदि एक ही विभाग स्थापित किया गया तो लोगों को छोटी छोटी जानकारी प्राप्त करने में भी अत्यधिक कठिनाई हुआ करेगी। यदि ऐसा न किया गया तो मुझे भय है कि इस विधि का सन्तोषजनक प्रवर्तन नहीं हो सकेगा । अन्त में मुझे आशा है कि माननीय वित्त मंत्री एक ऐसा संगठन कायम कर सकेंगे जिससे कि हमारे देश में समवायों का समुचित विकास हो सके ।

श्री राम चन्द्र रेड्डी (नेल्लोर) : पिछले चार-पांच दिनों में जो वादविवाद हुआ है उससे इस बात का आभास मिलता है मानो सभी प्रबन्ध अभिकरण हानि पहुंचा रहे हैं । और उन से कोई लाभ नहीं हो रहा है । मेरा अपना ख्याल यह है कि बड़े बड़े समवायों से फायदा ही पहुंचा है, नुक़सान नहीं हुआ है । अतः उनकी गतिविधियों की एक दम निन्दा करना उचित नहीं है । हां, जहां तक छोटे अथवा मध्यम समवायों का सम्बन्ध है, उनसे फायदे की बजाय नुकसान अधिक हुआ है । इसका कारण यह है कि बड़े समवाय अपने लिये अपेक्षित वित्त की व्यवस्था कर सके हैं जब कि छोटे समवायों को आवश्यक धन का प्रबन्ध करने में कठिनाईयां आई हैं। इसलिये मेरा कहना यह है कि बड़े समवायों से अधिक हित हुआ है, छोटे समवायों से नहीं।

अब संयुक्त समिति ने विधेयक में काफी परिवर्तन कर दिये हैं । जिसका परिणाम यह होगा कि प्रगति उस गति से नहीं होगी जिससे कि होनी चाहिये थी । सरकार अपने हाथ में जो शक्ति रख रही है वह देश के उद्योगों के विकास में बाधक सिद्ध होगी । परिशिष्ट ६ से ज्ञात होगा कि लगभग ८० खंडों में केन्द्रीय सरकार ने बहुत सी शक्ति अपने हाथ में ले ली है । मैं नहीं कह सकता कि इन ८० खंडों के परिणाम स्वरूप सरकार की जो ज़िम्मेदारियां हो जायेंगी उन्हें वह समुचित रूप से निभा सकेगी या नहीं क्योंकि नये नये पद बनाने तथा नये नये पदाधिकारियों की नियुक्ति से कार्य संचालन में विलम्ब होने की सम्भावना है । उदाहरण के लिये निरीक्षकों को लीजिये । ये निरीक्षक कुछ दिन तक तो ईमानदारी से कार्य करेंगे परन्तु बाद में उनकी यह ईमानदारी खत्म हो जायेगी और वे सब तरह की रिपोर्टें देते रहेंगे। यह भी सम्भव है कि समवायों के ईमानदार लोगों को नुक़सान उठाना पड़े और बेईमान लोग फूलें फलें । इस प्रकार निरीक्षकों के इस पद से कोई लाभ होने की सम्भावना नहीं है। पंजीयन विभाग के प्रशासन में कुछ दोष हैं जिन्हें दूर किया जाना होगा । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक पदाधिकारियों की व्यवस्था ठीक नहीं की जायेगी तब तक इन समवायों के प्रशासन में कठिनाइयां आती जायेंगी ।

अब मैं लेखापरीक्षकों के प्रश्न को लेता हूं । मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही है कि सरकार लेखापरीक्षक नियुक्त करने की ज़म्मेदारी अपने ऊपर क्यों ले रही है आखिर लेखापरीक्षकों की एक स्वीकृत सूची अधिकृत लेखापाल संस्था के पास भी रहती है । यदि ये लेखापरीक्षक कोई ग़लत काम करें तो उनका नाम उस सूची में से निकाला

जा सकता है । कहने का मतलब यह है कि इस सम्बन्ध में पहल से ही पर्याप्त शक्ति मिली हुई है । ऐसी दशा में यह उपबन्ध ठीक नहीं लगता । यह भी कहा गया है कि लेखा परीक्षकों का चुनाव करते समय किसी फर्म को न चुना जाये—अलग अलग लेखापरीक्षक चने जायें । परन्तु इसमें बुराई यह है कि हो सकता है कि कोई लेखापरीक्षक ईमानदार न हो । आखिर लेखापरीक्षकों की फर्म को तो अपनी प्रतिष्ठा बनाये रखने का ख्याल रखना पड़ता है । अतः यह ठीक नहीं होगा कि इस सम्बन्ध में वर्तमान प्रणाली को बदला जाये ।

एक मंत्रणा समिति की नियुक्ति की भी व्यवस्था की गयी है, पर विगत वर्षों में कम्पनियों का कुशासन रोकने में इसने क्या सहायता दी है ? उसमें व्यापारी, वित्त लगाने वाले या सरकारी पदाधिकारी कौन लोग होंगे, यह भी उनकी रचना वाले अध्याय ७ में स्पष्ट नहीं किया गया है । व्यापारी अपने साथियों की आलोचना के लिये उसमें जाना नहीं चाहेंगे । सरकार के अवांछित पदाधिकारियों को भी वहां थोपना ठीक नहीं होगा ।

श्री सी० डी० देशमुख : कोई सुझाव ?

श्री रामचन्द्र रेड्डी : मैं संयुक्त समिति में नहीं हूं । खंडशः चर्चा के क्रम पर सम्भवतयः मैं कुछ सुझाव दे सकूंगा। अभी तो मैं उसकी त्रटियों को बता रहा हूं । संयुक्त समिति और सरकार ने उस समिति के संगठन के बारे में कुछ नहीं कहा है ।

एक प्रबन्ध-एजेंसी अब केवल १० कम्पनियों का ही प्रबन्ध कर सकती है । ऐसी भारतीय कम्पनियों की संख्या १९५१ में ८८ थी । यदि उनमें से १० से अधिक कम्पनियों का प्रबन्ध करने से मना किया गया तो दिक्कत बढ़ जायेंगी नई कम्पनियों पर १० की सीमा तो लागू की जा सकती है, परन्तु जो विद्यमान कम्पनियां इस समय प्रबन्ध को सुचारु रूप से चला रही हैं, उन्हें बन्द करने से क्या लाभ ? प्रबन्धित कम्पनियों के लिये वैसे योग्य प्रबन्धकों का मिलना मुश्किल हो जायेगा और इससे देश के विकास में बाधा पहुंचेगी । यह नियम आवश्यक हो, तो भविष्य के लिये रखा जा सकता है । अन्यथा ये लोग १० विकसित कम्पनियों को ले कर शेष की अविकसित कम्पनियों को छोड़ देंगे, जिनका प्रबन्ध संभालने के लिये फिर कोई तैयार न होगा ।

प्राइवेट कम्पनियों के कुप्रबन्ध की शिकायत की गयी है, पर सरकारी कम्पनियां भी कुछ अच्छा आदर्श नहीं रख सकी हैं । जनता की आलोचना से बचने के लिये उन्हें सीमित कम्पनी बना दिया गया है । पर उनके बारे में बहुत शिकायतें हैं । उनमें लगी पूंजी का सदुपयोग नहीं किया गया है । बंगलौर के मशीनी औज़ारों का कारखाना सिंदरी कारखाना और पूना के पेनीसिलिन कारखानों के बारे में अनेक तरह की शिकायतें की गई हैं । गृह व्यवस्था कारखाने के कुप्रबन्ध का उदाहरण हमारे सामने है ही । सरकार का काम केवल ग़लतियां बताना नहीं है, उसे एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिये । था । मुझे यक़ीन है कि उनमें भी संयुक्त समिति द्वारा सुझाये गये प्रशासनिक सुधार यथाशीघ्र किये जायेंगे ।

इस विधेयक में सरकार कम्पनियों के निर्माण और उनके कार्यों के बारे में निदेश की शक्तियां अपने हाथ में ले रही हैं । परन्तु सरकार की अक्षमता पूंजी-निर्गम के बारे में स्पष्ट हो गई है । सरकार ने जिन कम्पनियों को अनुमति दी, उनमें से अधिकांश असफल रहीं और बन्द हो गईं । सरकार उचित व्यक्ति और स्थान का चुनाव न कर सकी । जब तक वह सुधार न करेगी, यह कुप्रबन्ध चलता रहेगा और सरकार को इससे कुछ श्रेय न मिलेगा ।

[श्री रामचन्द्र रेड्डी]

जैसा श्री किलाचन्द्र ने कहा, बड़ी कम्पनियां तो अपने कार्यों के लिये दिल्ली में सुयोग्य प्रतिनिधि रखेंगी, पर छोटी कम्पनियां दिल्ली आकर ग़लतियों के बारे में स्पष्टीकरण न दे सकेंगी और घाटे में रहेंगी । अतः छोटी कम्पनियों को विशेष सुविधा मिलनी चाहिये और अधीक्षक एजेंसियों के इस विधेयक में रखे गये गतिहीन रूप के स्थान पर उनका रूप यात्रात्मक होना चाहिये ।

माननीय सदस्यों ने प्रबन्ध एजेंटों की जिस रूप में निन्दा की है, मुझे उससे दुख पहुंचा है । वे यहां आकर अपनी रक्षा करने में असमर्थ हैं अतः माननीय मित्रों को उनकी वैसी आलोचना नहीं करनी चाहिये थी ।

यह विधेयक लालफीतावाद और व्यापार में विलम्बकारी तरीक़ों को प्रश्रय देता है । इससे सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा । मैं आशा करता हूं कि चर्चा संयुक्त समिति द्वारा प्रस्तावित खण्डों पर सभा में उचित प्रकार के संशोधन प्रस्तुत किये जायेंगे ।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : विधेयक के खंड ३२३ से ३३१ तक में प्रबन्ध-एजेंटों के ऊपर जो प्रतिबन्ध लगाये गये हैं, उससे मेरे माननीय मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव और श्री तुलसी दास को बहुत क्षोभ पहुंचा है । पर सब बातों को सामने रखते हुये पुंजीपति समुदाय को सरकार का कृतज्ञ ही होना चाहिये, क्योंकि समाजवादी ढांचे के समाज को आदर्श मान कर भी वह निजी उपक्रमों और उस प्रबन्ध-एजेन्सी प्रणाली को अपना रही है, जो ब्रिटिश राज्य की एक सुन्दर भेंट है ।

सरकार, योजना आयोग, कम्पनी विधि समिति और संयुक्त समिति सभी का विचार प्रबन्ध एजेन्सी प्रणाली को बनाये रखने का है एक प्रबन्ध एजेंट को केवल १० कम्पनियां दी जायेंगी और एक निदेशक को २० बंबई सरकार ने ४८ एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को शेष ज़मीन देने की गारंटी दी है, उसी प्रकार जिन प्रबन्ध-एजेन्टों के के पास १० से कम कम्पनियां हों, सरकार उन को अपनी कम्पनियों से कुछ कम्पनियां देंगी, जैसे कि बिड़ला को कुछ सरकारी उपक्रम प्रबन्ध के लिये दिये गये हैं । यह है समाजवादी ढांचे का वह स्वरूप जिसे भारत में लोक प्रिय बनाया जा रहा है ।

मैं तो देखता हूं कि इन खंडों से भी पूंजीपतियों को लाभ पहुंचेगा और उन्हें उसके लिये सरकार से झगड़ना न चाहिये । वह तो उन्हें अधिकाधिक लाभ ही पहुंचाने जा रही है । श्री शाह ने एक उदाहरण दिया था । अनुमति न होने पर भी वे करोड़ों रुपयों के ऋण जमा कर सकते हैं और सरकार उन्हें न रोकेगी । सरकार इसीलिये शक्ति अपने हाथ में रखना चाहती है कि अपने मनचाहे लोगों को लाभ पहुंचा सके । यही बात श्री चटर्जी ने अपने विमति-टिप्पण में कही थी कि कार्यपालिका को प्रबन्ध-एजेंसियों को समाप्त करने की शक्ति देने से कम्पनियों के उद्भव में बाधा पड़ेगी और विद्यमान कम्पनियों का काम रुक जायेगा। अब पूंजीपतियों को चाहिये कि अंशभाजकों को खुश न करके केवल केन्द्रीय सरकार को खुश रखें ।

हमने प्रजातन्त्र को अपनाया है और हम इस एक दलीय सरकार को इतनी अधिक शक्तियां दे रहे हैं । कम्पनी विधि समिति ने इन शक्तियों वाले एक आयोग की स्थापना का सुझाव दिया था । सरकार ने सभी सिफारिशें मान ली थीं, पर प्रबन्ध एजेंसी प्रणाली को जारी रखने की या कुछ उद्योगों में उसकी समाप्ति की शक्ति सरकार अपने हाथों में

रखना चाहती है । पता चला है कि कांग्रेस दल की बैठक में यह तय हुआ है कि कुछ निश्चित समय तक यह प्रणाली ख़तम न की जायेगी ।

कांग्रेस कोई ग़लती नहीं कर सकती और वह भ्रष्टाचार से परे है । पर मान लो कल चुनाव के समय टाटा, बिड़ला, शांन्ति-स्वरूप जैन या कोई और पूंजीपति आकर दल की निधि में एक करोड़ रुपया देते हैं और कहते हैं कि समाजवादी ढांचे के समाज की स्थापना और प्रबन्ध एजेंसी प्रणाली बनाये रखने के लिये वह इसी दल को चाहते हैं। मैं समझता हूं कि सरकार को अपने पर किसी आशंका के होने का अवसर नहीं देना चाहिये और उसे यह जिम्मेवारी अपने ऊपर न लेनी चाहिये थी ।

माननीय मित्र श्री एम० एस गुरुपाद-स्वामी इस प्रणाली का अन्त चाहते थे और श्री तुलसीदास आदि उसे बनाये रखना चाहते हैं । वित्त मंत्री जी का कहना है कि संयुक्त समिति के प्रतिवदन को मानते हुये सरकार बीच का मार्ग अपनाना चाहती है और किसी ओर बिना झुके इस प्रणाली को समाप्त करने की शक्ति अपने हाथ में रखना चाहती है । जिस प्रकार बन्दर बांट की कहानी में दो बिल्लियों की लड़ाई में रोटी बांटते समय बन्दर पूरी रोटी स्वयं खा गया था, इसी प्रकार वह दल के हित में सब शक्ति केन्द्रीय सरकार के हाथों में केन्द्रित कर देना चाहते हैं ।

मैं मानता हूं कि इस प्रणाली में कुछ दोष हैं और यह भी मानता हूं कि उसे तुरन्त समाप्त नहीं किया जा सकता और एक समय-सीमा निश्चित करनी होगी । सरकार प्रगति-वादियों से तो कह सकेगी कि वह इस प्रणाली को ख़तम करने जा रही है और पूंजीपतियों से कहेगी कि आपके लिये १० कम्पयनियां हैं । पर मैं वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि वह यह घोषित कर दें कि क्या वह कुछ समय बाद इस प्रणाली को समाप्त करने जा रहे हैं ।

यह बन्धन लगाया गया है कि अंशों के क्रय-विक्रय में उनके निकट सम्बन्धियों के कोई हित न हों, पर मंत्रियों पर कोई रोक नहीं है । मेरे विचार से मंत्रियों के ऊपर भी यह रोक होनी चाहिये कि वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में किसी सम्बन्धी आदि के द्वारा किसी भी प्रबन्ध-एजेंसी या औद्योगिक उपक्रम में उनका कोई हित न होगा ।

फिर मैं सरकार से यह मांग करूंगा कि इन सार्वजनिक सीमित कम्पनियों के बारे में ऐसी रोक लगाई जाये, जिससे कि राज-नीतिक दलों को कुछ रक़म न दे सकें । आज कल सभी सम्बन्धियों और निकट के लोगों को देश के प्रबन्ध और प्रशासन में विशेष भाग मिलता है । मुझे इस पक्षपातपूर्ण बर्ताव पर आपत्ति है ।

इस्पात का दाम इस प्रकार रखा जाता है कि टाटा के अंश (शेयर) ३६०० में बिकते हैं । फिर इण्डियन आयरन एण्ड स्टील सिंडी-केट को, जिसकी कुल पूंजी ५ करोड़ रुपये थी और लाभ भी पांच करोड़ रुपये था, १० करोड़ रुपये का ऋण बिना ब्याज के दिया गया । इन सब बातों को देखते हुये मैं यह आवश्यक समझता हूं कि प्रशासन में विशुद्धता रहे और सरकार से मेरा अनुरोध है कि ऐसी शक्तियां लेकर वह जनता की आलोचना का पात्र न बने ।

मैं एक वैकल्पिक व्यवस्था का सुझाव दे रहा था । भारतीय प्रशासन सेवा की भांति हमें एक भारतीय प्रबन्ध सेवा बनानी चाहिये, उससे यह समस्या थोड़े ही समय में सुलझ जायेगी ।

जिस प्रकार टाटा, बिड़ला, डालमिया आदि निजी उद्योग खंड में कम्पनियां खड़ी

[श्री वी० जी० देशपांडे]

करते हैं, उसी प्रकार सरकार को सामने आकर लोगों से धन लगाने का अनुरोध करना चाहिये ।

सरकार ने प्रबन्ध-एजेन्सियों के बारे में अपनी नीति स्पष्ट नहीं की है । संविहित आयोग के बारे में भाभा समिति की सिफारिश भी उसने नहीं मानी है । उसमें कहा था कि उसमें केवल विशेषज्ञ हों और किसी सदस्य का कोई हित हो, तो वह घोषित कर दें । उस प्रकार तो मंत्रिगण अपने हित घोषित नहीं करने जा रहे हैं । केवल कांग्रेस नियंत्रित श्रम संगठन ने इसके लिये आन्दोलन किया है । मुझे लगता है कि सरकार को ये शक्तियां प्रदान करने के लिये एक षड्यंत्र चल रहा है ।

कम्पनियों के प्रबन्ध में मज़दूरों को भी प्रतिनिधित्व अवश्य मिलना चाहिये । श्री तुलसीदास ने इंगलैंड का उदाहरण देते हुये बताया था कि निदेशक-बोर्ड में निदेशक के रूप में काम कर चुकने वाले व्यक्ति वहां मज़दूर देता नहीं रहते । यह उनके लिये अच्छा समाधान होगा । यदि श्री ए० के० गोपालन, श्री एच० एन० मुकर्जी और श्री एस० एल० सक्सेना को निदेशक बना दिया जाये और वे मज़दूर-नेता न रहें, तो हमारे मित्र श्री तुलसीदास और श्री जी० डी० सोमानी का सारा सरदर्द दूर हो जायेगा ।

श्री कामत : हिन्दू महा सभा की श्रम सम्बन्धी नीति क्या है ?

श्री वी० जी० देशपांडे : हिन्दू महा सभा सदैव ही एक उन्नतिशील दल है ।

अतः श्री तुलसीदास से मेरा निवेदन यह है कि यदि और किसी कारण से नहीं तो कम से कम देश में मज़दूरों की समस्त कठिनाइयों के समाधान के लिये वे सुझाव स्वीकार करें । मैं देखता हूं कि हमारी सरकार ने, अपनी सारी उन्नतिशीलता, अपने समाजवादी ढंग के समाज के साथ अपने आपको यहां तक ही सीमित रखा है कि अन्य व्यक्तियों से सम्पदा और अधिकार ले लिया जाये । उसके समान विभाजन की ओर ध्यान नहीं दिया है । यह अधिकार सरकार को प्राप्त हो रहा है, परन्तु वे नहीं चाहते कि यह मज़दूरों को प्राप्त हों । यदि सरकार पक्षपाती ढंग से कार्य न करके संविधिक आयोग के द्वारा कार्य करती है, यदि वहां मज़दूरों के प्रतिनिधि हैं और उद्योग के विकास के लिये सारी आवश्यक टेक्नीकल सहायता प्राप्त होती है, तो हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है । मैं वित्त मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह विधि में उपयुक्त संशोधन करें ताकि उन पर लगाये गये इन सातों प्रतिबन्धों को प्रयोग करने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को न दिया जाये अपितु संविहित आयोग को दिया जाये ।

पारिश्रमिक का प्रश्न भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समाजवादी ढंग के समाज में ५०,००० रुपये उन समवायों के मामले में, जहां कोई लाभ नहीं होता, विनीत न्यूनतम निर्धारित किये गये हैं । यह बड़े दुर्भाग्य परन्तु फिर भी उदारता की बात है कि हमारे मंत्री ने अन्य लोगों को स्वयं अपने वेतन से अधिक देना निश्चित किया है । इससे प्रतीत होता है कि वास्तव में वे समाजवादी ढंग के समाज के बारे में गम्भीर नहीं हैं । मेरा विचार है कि न्यूनतम पारिश्रमिक, जो निर्धारित किया गया है, देश में प्रचलित आर्थिक परिस्थितियों के कुछ अनुकूल होना चाहिये । मेरी अपनी भावना है कि धनाढ्य को और अधिक धनाढ्य और निर्धन को और अधिक निर्धन बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है । कोई निर्धनों की स्थिति पर आंसू नहीं बहाता । अतः मैं इस पारिश्रमिक सम्बन्धी खंड का

विरोध करता हूं। यह खण्ड बहुत ग़लत प्रकार का तथा हमारे विचारों के विरुद्ध है।

सभा का कार्य

सभापति महोदय: प्रेस आयोग के बारे में मुझे एक घोषणा करनी है। सभा इस बात से पहिले ही सहमत हो चुकी है कि जिन दिनों प्रेस आयोग के प्रतिवेदन पर विचार विमर्श होगा उन दिनों सभा एक घंटा देर तक बैठेगी। तदनुसार, सभा शुक्रवार और शनिवार, १९ व २० अगस्त, १९५५ को ११ बजे से सायंकाल के ६ बजे तक बैठेगी। वर्तमान कार्य समाप्त होने के पश्चात्, वह विचार विमर्श कल आरम्भ होगा।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर): क्योंकि समवाय विधेयक पर अनेकों सदस्य विचार विमर्ष में भाग लेना चाहते हैं, मेरा निवेदन है कि इसके लिये नियत समय बढ़ा दिया जाये।

सभापति महोदय: मैं नहीं कह सकता। मैं यह बात अध्यक्ष महोदय तक पहुंचा दूंगा। और कल प्रातःकाल कोई भी सदस्य यह बात उठा सकते हैं।

प्रेस आयोग के प्रतिवेदन पर कल विचार विमर्श आरम्भ होगा।

समवाय विधेयक—जारी

श्री बी० के० रे (कटक): इस विधेयक की विभिन्न दृष्टियों से कड़ी आलोचना की गई है। इस विधेयक का उद्देश्य अंशधारियों की कुछ कठिनाइयों को दूर करना, प्रबन्ध अभिकर्ता द्वारा किये जाने वाले कदाचारों और दुरुपयोगों को समाप्त करना, और संयुक्त स्टाक समवायों के प्रशासन और प्रबन्ध को स्वच्छ बनाना है ताकि यह देश के आर्थिक ढांचे और निजी उद्योग द्वारा अर्थ व्यवस्था की विकास सम्बन्धी व्यवस्था के अनुकल हो सके। अतः यह अनिवार्यतः प्रतिबन्ध लगाने और समता लाने वाला विधेयक है। ऐसे विधेयक सदैव दोनों पक्षों को प्रसन्न नहीं रख सकते।

जहां तक इसकी आलोचना का सम्बन्ध है, एक पक्ष कहता है कि यह पूर्ण है और दूसरा पक्ष कहता है कि यह अव्यवहारिक है। विधेयक का सावधानी से अध्ययन करने और इस पर बहुत समय देने के बाद मैं वित्त मंत्री और संयुक्त समिति की, विधेयक को इस रूप में प्रस्तुत करने के लिये, सराहना किये बिना न रह सका। परन्तु इसमें कुछ दोष भी है जिनका मैं शीघ्र ही उल्लेख करूंगा।

मुझे खेद से कहना पड़ता है कि कुछ आलोचनायें इस कारण असन्तुलित रही हैं, कि वहां विधेयक का वास्तविक उद्देश्य भुला दिया गया है। उद्देश्य यह है कि उद्योग व्यापार में सहायता दी जाये और निजी उद्योग द्वारा आर्थिक ढांचे में सुधार किया जाये। वास्तव में, सुधार का भार निजी उद्योग पर भी उसी सीमा तक छोड़ दिया गया है जितना कि सरकारी उद्योग पर है। यह एक मुख्य उद्देश्य है। यदि आप संयुक्त स्टाक समवायों को समाप्त कर देते हैं, तो मुश्किल से ही कोई ऐसा निजी उद्योग रहेगा जो उद्योग या देश के आर्थिक ढांचे में सुधार कर सके।

इन संयुक्त स्टाक समवायों को बनाये रखने का एक कारण और भी है कि यह साधारण व्यक्ति की बचत का समूहन करके एक बड़े उपक्रम में विनिमय करते हैं और उससे धनोपार्जन करते हैं, जिससे मध्यम वर्ग के लोगों को अपनी आय की अनुपूर्ति करने में सहायता मिलती है। अतः विधेयक का दूसरा उद्देश्य अंशधारियों की रक्षा करना और उन्हें वे अधिकार देना है जो उन्हें प्राप्त नहीं है। अन्तिम उद्देश्य प्रबन्ध गृहों या प्रबन्ध

[श्री बी० के० रे]

अभिकरणों फर्मों को अपने व्यक्तिगत लाभ के लिये दुरोपयोग से रोकना है ।

इन विभिन्न उद्देश्यों की दृष्टि से, मैं नहीं देखता कि विधेयक में कोई त्रुटि है । सब से अधिक मत भेद इस बात पर रहा है कि प्रबन्ध अभिकरण को समाप्त किया जाये या नहीं । जहां तक प्रबन्ध अभिकरण का सम्बन्ध है. उनके प्रति किसी की भी दुर्भावना नहीं है । जब तक कि व्यापार रहता है, जब तक समवाय रहता है, प्रबन्ध का कोई साधन अवश्य होना चाहिये, वह चाहे प्रबन्ध अभिकरण हो या कुछ और हो । अतः यदि हम एक दम सारे प्रबन्ध अभिकरणों को समाप्त कर देते हैं, तो व्यापार और समवायों की क्या स्थिति होगी ? हमें इन अभिकरणों के स्थान पर उतने दक्ष लोग रखने हैं । अतः वित्त मंत्री और संयुक्त समिति दोनों ने विभिन्न प्रकार के दुरुपयोगों को समाप्त करने के लिये अनेकों उपबन्ध बनाये हैं । यदि प्रबन्ध अभिकरण उन प्रतिबन्धों और समताओं के अनुसार कार्य करता है, जो इस विधेयक में सम्मिलित किये गये हैं, तो निश्चय ही कोई भी व्यक्ति उन्हें समाप्त करने का विचार भी नहीं करेगा : अतः मैं विधेयक के प्रबन्ध अभिकर्ता सम्बन्धी उपबन्धों का पूर्ण समर्थन करता हूं ।

इस विधेयक की आलोचना के उन उद्देश्यों की दृष्टि से, जो मैं ने अपने समक्ष रखे हैं, मुझे इस विधेयक में कुछ अभाव प्रतीत हैं । विधेयक को विभिन्न भागों में विभाजित किया जा सकता है, अर्थात् निगमन, प्रबन्ध, अंशधारियों के अधिकार और कार्यवाहियों का समापन । नियमन के सम्बन्ध में संचालकों को झूठा व्यौरा देने के लिये दंड देने के सम्बन्ध में बहुत से दण्ड सम्बन्धी उपबन्ध किये गये हैं । मैं इसे अपर्याप्त समझता हूं और मेरे विचारानुसार उस योजना का पूर्ण चित्र होना चाहिये जिससे समवाय का प्रबन्ध होगा । इसके अतिरिक्त ,समूची योजना के साथ एक विशेषज्ञ का प्रतिवेदन होना चाहिये जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि योजना के सफल होने की आशा है । जब तक उपबन्धों में इस बात का अभाव है तब तक वे उस सीमा तक दोषयुक्त हैं ।

जहां तक प्रबन्ध का सम्बन्ध है, मुझे कोई दोष नहीं मिला है । अतः मैं प्रबन्ध अभिकरण सम्बन्धी उपबन्धों का पूर्ण समर्थन करता हूं ।

अंशधारियों की रक्षा के सम्बन्ध में अंशधारियों को यह अधिकार दिया गया है कि वे बहुत से कदाचारों की शिकायत कर सकते हैं ताकि समवाय के कार्य का निरीक्षण या उसकी जांच पड़ताल हो जाये । अब, स्थिति यह है कि क्या उन्हें इस उद्देश्य के लिये आवश्यक सूचना प्राप्त करने का अवसर मिलता है ।

५ म० प०

सभापति महोदय : मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य अधिक समय लेंगे । अतः वह कल अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

इस के पश्चात् लोक सभा की बैठक गुरुवार, १८ अगस्त १९५५ के उपरान्त ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गई ।